सुन्नत का अनुसरण

लेखक

मुहम्मद इक़बाल कीलानी

प्रकाशक

अल किताब इंटरनेशनल

मुरादी रोड, बटला हाउस,

जामिया नगर, नई दिल्ली-२५

सुन्नत का अनुसरण

संकलन
मुहम्मद इक़बाल कीलानी

प्रकाशक

अल किताब इन्टर नेशनल

मुरादी रोड, बटला हाउस, जामिया नगर,
नई दिल्ली-110025

पुस्तक का नाम : सुन्नत का अनुसरण

संकलन : मुहम्मद इक़बाल कीलानी

ज़ेरे निगरानी : सैयद शौकत सलीम

संख्या : एक हज़ार

प्रकाशन : 2007

मूल्य :

प्रकाशक

अल किताब इन्टर नेशनल

मुरादी रोड, बटला हाउस, जामिया नगर,

नई दिल्ली-110025

विषय-सूची

يَـا أَيُّهَـا الَّذِيْنَ آمَنُـوْا!

ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो!

ऐ लोगो, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्ल० पर ईमान लाए हो!

वह रसूल सल्ल० जिन पर अल्लाह अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाता है।

वह रसूले अकरम सल्ल० जिनके लिए फ़रिश्ते दुआए रहमत करते हैं।

वह रसूले अकरम सल्ल० जिनकी उमर की क़सम अल्लाह तआला ने अपनी किताबे मुक़द्दस में उठाई है।

वह रसूले अकरम सल्ल० जिनकी ज़िंदगी को अल्लाह तआला ने बेहतरीन नमूना क़रार दिया है।

वह रसूले अकरम सल्ल० जिन पर ईमान लाने का वायदा तमाम अंबिया किराम से आलमे आत्मलोक में लिया गया।

वह रसूले अकरम सल्ल० जिन्हें अल्लाह तआला ने मेराजे जिस्मानी से नवाज़ा।

वह रसूले अकरम सल्ल० जिनके बाद क़ियामत तक अब कोई दूसरा नबी आने वाला नहीं।

वह रसूले अकरम सल्ल० जिनके ख़ुश होने से अल्लाह ख़ुश होता है।

वह रसूले अकरम सल्ल० जिनके नाराज़ होने से अल्लाह नाराज़ होता है।

वह रसूले अकरम सल्ल० जिनकी आज्ञा पालन, अल्लाह की आज्ञा पालन है।

वह रसूले अकरम सल्ल० जिनकी अवज्ञा, अल्लाह की अवज्ञा है।

वह रसूले अकरम सल्ल० जिनके किसी भी फ़ैसले या हुक्म से मुंह मोड़ना सदकर्मों को बर्बाद कर देता है।

वह रसूले अकरम सल्ल० जिनसे आगे बढ़ने की किसी को इजाज़त नहीं।

वह रसूले अकरम सल्ल० जिनके सामने ऊंची आवाज़ में बात करना अपनी दुनिया व आख़िरत बर्बाद करना है।

वह रसूले अकरम सल्ल० जिनकी आज्ञा पालन में जन्नत और अवज्ञा में

जहन्नम है।

हम सब उसी रसूले अकरम सल्ल० की उम्मत हैं। हम सबने उसी रसूले अकरम का कलिमा पढ़ा है। हमारा ताल्लुक़ उसी रसूले अकरम सल्ल० के साथ है, तो फिर यह क्या कि हमने अलाहिद। अलाहिदा निस्बतें क़ायम कर रखी हैं। अलाहिदा अलाहिदा सम्प्रदाय और मत बना लिए हैं, अलाहिदा अलाहिदा नाम रख लिए हैं और फिर अपनी अपनी निस्बत, अपने अपने सम्प्रदाय, अपने अपने मत और अपने अपने नाम पर गर्व जताने में ख़ुशी महसूस करते हैं।

ऐ लोगो, जो अल्लाह और अपने रसूल सल्ल० पर ईमान लाने का दावा रखते हो! क्या हमारे दिल अपने अपने पसन्दीदा मतों और तौर तरीक़ों पर पत्थरों से भी ज़्यादा सख़्ती से जमे हुए हैं कि सुन्नते रसूल सल्ल० जान लेने के बावजूद हम उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं।

अल्लाह और रसूल सल्ल० पर ईमान लाने वालो! ज़रा कान लगाकर मेरी बात तो सुनो, सहाबी रसूल सय्यदना हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया :

"जिसने मेरे तरीक़े से मुंह मोड़ा, उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं।"

(बुख़ारी व मुस्लिम)

ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो! हम सबने रसूले अकरम सल्ल० का इर्शाद मुबारक सुन लिया। आइए ज़रा सोच विचार करें कि हमारे पास इसका क्या जवाब है?

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ، أَمَّا بَعْدُ.

दीन इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्ल० का आज्ञा पालन इसी तरह फ़र्ज़ है जिस तरह अल्लाह तआला का आज्ञा पालन फ़र्ज़ है। अल्लाह तआला का इर्शाद मुबारक है :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ﴾

"जिसने रसूलुल्लाह सल्ल० का आज्ञा पालन किया उसने अल्लाह का आज्ञा पालन किया।" (सूरह निसा : 80) सूरह मुहम्मद में इर्शाद है :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا أَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا أَعْمَالَكُمْ﴾

"ऐ लोगो! जो ईमान लाए हो अल्लाह और रसूल सल्ल० की आज्ञा का पालन करो (और इससे मुंह मोड़कर) अपने कर्म बर्बाद न करो।" (आयत 33) आज्ञा पालन की वजह भी ख़ुद अल्लाह तआला ने ही स्पष्ट फ़रमा दी है :

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى﴾

"मुहम्मद सल्ल० अपनी मर्ज़ी से कोई बात नहीं करते बल्कि 'वही' जो उन पर उतारी जाती है, उसके मुताबिक़ बात करते हैं।" (सूरह नज्म : 3) अतएव रसूलुल्लाह सल्ल० ने उम्मत को वुज़ू का वही तरीक़ा सिखाया जो अल्लाह तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहि० के ज़रिए आप सल्ल० को सिखाया था। नमाज़ों के वही समय निश्चित किए जो अल्लाह तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहि० के ज़रिए आप सल्ल० को बतलाए थे और नमाज़ का वही तरीक़ा उम्मत को बतलाया जो अल्लाह तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहि० के ज़रिए आप सल्ल० को बतलाया था। रसूले अकरम सल्ल० के पाक जीवन से

ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं कि दीनी मसाइल के बारे में जब तक अल्लाह तआला की तरफ़ से 'वह्य' न आ जाती आप सल्ल० सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के सवालात के जवाब नहीं दिया करते थे। हज़रत उवैस बिन सामित रज़ि० अपनी पत्नी हज़रत ख़ौला रज़ि० से ज़िहार (बीवी को अपने ऊपर हराम कर लेना) कर बैठे, तो हज़रत ख़ौला रज़ि० नबी अकरम सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िर हुईं। मसला मालूम किया, तो आप सल्ल० ने उस समय तक जवाब न दिया जब तक 'वह्य' नाज़िल न हुई। रूह के बारे में आप सल्ल० से सवाल किया गया, तो आप सल्ल० उस समय तक ख़ामोश रहे जब तक अल्लाह तआला की तरफ़ से हज़रत जिब्रील अलैहि० जवाब लेकर न आ गए। एक बार नबी अकरम सल्ल० से मीरास के बारे में सवाल किया गया, तो आप सल्ल० ने 'वह्य' आने तक कोई जवाब न दिया। एक अंसारी सेवा में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया : "ऐ रसूलल्लाह सल्ल०! अगर एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ ग़ैर मर्द को देख ले तो क्या करे? अगर मुंह से (गवाहों के बिना) बात करे, तो आप हद क़ज़फ़ लगाएंगे अगर (ग़ुस्से में) क़त्ल कर दे तो आप क़िसास में क़त्ल करवा देंगे और अगर चुप रहे तो ख़ुद ग़ुस्सा होता रहेगा।" इस पर रसूलुल्लाह सल्ल० ने दुआ फ़रमाई या अल्लाह! इस मसले का फ़ैसला फ़रमा। अतएंव अल्लाह तआला ने लिआन की आयत (सूरह नूर : 6-9) नाज़िल फ़रमाई। तब आप सल्ल० ने उसे जवाब दिया।

रसूल के बारे में यह बात ध्यान में रहनी चाहिए कि रसूले अकरम सल्ल० का आज्ञा पालन केवल आप सल्ल० की ज़िंदगी तक सीमित नहीं बल्कि आप सल्ल० की वफ़ात के बाद भी क़ियामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ क़रार दिया गया है। सूरह सबा में अल्लाह तआला फ़रमाता है :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ﴾

"ऐ मुहम्मद सल्ल०! हमने आप सल्ल० को तमाम मानव जाति के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है।" (आयत 28) सूरह अनआम में इर्शाद बारी तआला है :

﴿ وَاُوْحِيَ إِلَيَّ هٰذَا الْقُرْآنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْ بَلَغَ ﴾

"मेरी तरफ़ यह क़ुरआन नाज़िल किया गया है ताकि मैं इसके ज़रिए तुम्हें डराऊं और उन लोगों को भी जिन तक यह क़ुरआन पहुंचे।" (आयत 19) आज्ञा पालन के बारे में सहीह बुख़ारी की यह हदीस बड़ी अहम है। रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "मेरी उम्मत के सब लोग जन्नत में जाएंगे सिवाए उस व्यक्ति के जिसने इंकार किया।" सहाबा किराम रज़ि० ने पूछा : "इंकार किसने किया?" आप सल्ल० ने फ़रमाया : "जिसने मेरी आज्ञा का पालन किया वह जन्नत में दाख़िल होगा और जिसने मेरी अवज्ञा की उसने इंकार किया।" (बुख़ारी) आप सल्ल० के आज्ञा पालन से मुंह मोड़ने की राह इख़्तियार करने वालों के बारे में अल्लाह तआला ने अपनी ज़ात की क़सम खाकर इर्शाद फ़रमाया है कि ऐसे लोग कभी मोमिन नहीं हो सकते।

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

"ऐ मुहम्मद सल्ल०! तुम्हारे रब की क़सम लोग कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने आपसी मामलों में तुमको फ़ैसला करने वाला न मान लें फिर जो फ़ैसला तुम करो उस पर अपने दिल में तंगी महसूस न करें बल्कि सर झुका दें।" (सूरह निसा : 65)

अर्थात रसूल का आज्ञा पालन और ईमान पूरक हैं, आज्ञा पालन है तो ईमान भी है आज्ञा पालन नहीं तो ईमान भी नहीं। इसके बारे में क़ुरआनी आयात व हदीस शरीफ़ा के अध्ययन के बाद यह फ़ैसला करना मुश्किल नहीं कि दीन में सुन्नत के अनुसरण की हैसियत किसी आंशिक मसले की-सी नहीं बल्कि बुनियादी तक़ाज़ों में से एक तक़ाज़ा है।

किताब व सुन्नत, अक़ाइद और कर्मों के मुहाफ़िज़ हैं

अक़ाइद और आमाल में तमामतर बिगाड़ किताब व सुन्नत की अवहेलना करने से पैदा होता है। वहदतुल वजूद, वहदतुश शहूद, हलूल, तसव्वुर शैख़, आज्ञा पालन शैख़, मक़ाम वलायत, बातिनी और ज़ाहिरी इल्म, मरने के बाद बुज़ुर्गों का सब कुछ करना, वसीला, इल्मे ग़ैब, इस्तमदाद और रूहों की हाज़िरी जैसे असत्य अक़ाइद और रस्म फ़ातिहा, क़ुल, चालीसवां, क़ुरआन ख़्वानी, उर्स, महफ़िले मीलाद और क़व्वाली जैसे ग़ैर इस्लामी अक़ीदे

व आमाल उन्हीं हल्क़ों में मक़्बूल होते हैं जहां किताब व सुन्नत की तालीम नहीं होती है। इसके विपरीत किताब व सुन्नत को मज़बूती से थामना तमाम असत्य अक़ाइद और आमाल से महफ़ूज़ रहने का एक मात्र रास्ता है। 218 हिजरी में मामून रशीद के कार्य काल में मोतज़िला के असत्य अक़ीदे "क़ुरआन मख़्लूक़" है को मामून रशीद ने हुकूमत के तमाम उलमा से मनवाने की कोशिश की, तो इमाम अहमद बिन हंबल रह० उस तथाकथित अक़ीदे के सामने पहाड़ बनकर खड़े हो गए। जेल में ताज़ा दम जल्लाद दो कोड़े मारकर पीछे हट जाते और इमाम से पूछा जाता "क़ुरआन मख़्लूक़ है या ग़ैर मख़्लूक़?" हर बार इमाम अहमद बिन हंबल रह० की ज़बान से एक ही जवाब निकलता :

﴿ أَعْطُوْنِیْ شَیْئًا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَ سُنَّةِ رَسُوْلِهٖ حَتّٰی أَقُوْلَ بِهٖ ﴾

अर्थात् मुझे अल्लाह की किताब या सुन्नत रसूल सल्ल० से कोई दलील ला दो तो मान लूंगा, जरूरत और हिक्मत का कोई भी मशवरा इमाम अहमद बिन हंबल रह० को रसूलुल्लाह सल्ल० के फ़रमान :

﴿ إِنِّیْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهٖ لَنْ تَضِلُّوْا أَبَدًا كِتَابَ اللهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهٖ ﴾

(तर्जुमा : मैं तुम्हारे बीच ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूं जिसे मज़बूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत) पर अमल करने से रोक न सका जिसका नतीजा यह निकला कि पूरा मुस्लिम समुदाय हमेशा हमेशा के लिए इस फ़ितने से महफ़ूज़ हो गया। आज जबकि असत्य अक़ाइद और बिदअतें जंगल की आग की तरह बढ़ती और फैलती चली जा रही हैं उनसे महफ़ूज़ रहने का केवल यही एक रास्ता है कि किताब व सुन्नत को मज़बूती से थामा जाए और लोगों में किताब व सुन्नत की दावत और प्रचार की ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था की जाए।

किताब व सुन्नत, मुस्लिम समुदाय की एकता की बुनियाद हैं

मुस्लिम समुदाय में एकता की ज़रूरत व महत्व किसी स्पष्टीकरण का मोहताज नहीं। साम्प्रदायिकता और गिरोहबन्दी ने दीन व दुनिया दोनों हिसाब से हमें बड़ी भारी हानि पहुंचाई है जिसे हम देश में लम्बे समय से देख रहे हैं

और इस हक़ीक़त से अवगत हैं, कि देश में सही जीवन व्यवस्था को लागू करने में दूसरी रुकावटों के अलावा एक बड़ी रुकावट गिरोहबन्दी है। अगर कभी इस्लामी व्यवस्था के लागु होने की मंज़िल क़रीब आती है तो अचानक एक तरफ़ से किताब व सुन्नत की बजाए किसी एक फ़िक़्ह को लागू करने का मुतालबा शुरू हो जाता है दूसरी तरफ़ से किसी दूसरी फ़िक़्ह का मुतालबा होने लगता है जिसके नतीजे में प्रगति के बजाए निरंतर विफलता मिलती चली आ रही है। हक़ीक़त यह है कि दीने इस्लाम के लागू के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशें उस समय तक बेकार साबित होंगी जब तक दीन की आवाहक जमाअतों के बीच निष्ठा किताब व सुन्नत की बुनियाद पर एक हक़ीक़ी एकता क़ायम नहीं हो जाती। अल्लाह तआला ने जहां क़ुरआन मजीद में गिरोहबन्दी से मना फ़रमाया है वहां दीन ख़ालिस अर्थात् किताब व सुन्नत पर एकत्रित होने का हुक्म भी दिया है। सूरह आले इमरान में अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है :

﴿وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا﴾

"सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थामो और फूट में न पड़ो।"

इस आयत में मुसलमानों को गिरोहबन्दी से मना फ़रमाकर हब्लुल्लाह (अर्थात् क़ुरआन मजीद) पर एकत्रित रहने का हुक्म दिया गया है। क़ुरआन मजीद में अल्लाह तआला ने बार-बार रसूल के आज्ञा पालन को अनिवार्य ठहराया है जिसका साफ़ मतलब यह है कि अल्लाह ही रस्सी, जिसे मज़बूती से थामने का हुक्म दिया गया है उसमें आप से आप दोनों चीज़—किताब व सुन्नत—आ जाती हैं अतः क़ुरआन मजीद की रौशनी में जो एकता उपेक्षित है उसकी बुनियाद किताब व सुन्नत है किताब व सुन्नत से हटकर किसी दूसरी बुनियाद पर उम्मत में एकता न अपेक्षित है न संभव।

शाख़ नाज़ुक पे जो आशियाना बनेगा वह नापायदार होगा

अगर हमने गिरोहबन्दी को अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया और मुसलमानों में एकता हमें प्रिय है तो हमें हर सूरत किताब व सुन्नत की तरफ़ पलटना ही होगा।

मसला तक़्लीद और अदम तक़्लीद

तक़्लीद और अदम तक़्लीद का मसला बहुत पुराना है। दोनों पक्ष अपने अपने मत के हक़ में बहुत से तर्क रखते हैं। हमारे निकट तक़्लीद या तक़्लीद के पक्ष में तर्क जमा करके एक विचार का ग़ालिब और दूसरे को पराजित करना जन सामान्य की ज़रूरत नहीं बल्कि वह नौजवान नस्ल जो स्कूलों और कॉलिजों से यह पढ़कर आती है कि मुसलमानों का अल्लाह एक, रसूल एक, किताब एक, क़िबला एक और दीन भी एक है, लेकिन व्यवहारिक ज़िंदगी में मुसलमानों को कई साम्प्रदायों और जमाअतों में बटा हुआ देखती है तो उसका ज़ेहन आप से आप दीन के बारे में घृणित होने लगता है। ज़रूरत इस बात की है कि नौजवान नस्ल को बताया जाए कि जहां हमारा अल्लाह, रसूल, किताब, क़िबला और दीन सब कुछ एक है वहां ज़िंदगी बसर करने के लिए हमारा रास्ता भी एक ही है।

वह रास्ता कौन-सा है? सीधी सी बात है कि दीने इस्लाम की बुनियाद दो ही चीज़ों पर है। किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्ल०। रसूले अकरम सल्ल० की पवित्र जीवनी से पहले दीन के हवाले से हमें जो कुछ भी मिलता है उस पर ईमान लाना और अमल करना तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और उससे किसी क़िस्म का मतभेद करने की कदापि कोई गुंजाइश नहीं जबकि रसूले अकरम सल्ल० की वफ़ात मुबारक के बाद दीन के नाम से जो कुछ वृद्धि की गयी है उस पर ईमान लाना और उस पर अमल करना मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं है। सोच-विचार कीजिए जो व्यक्ति हंबली फ़िक़्ह पर अमल करता है बाक़ी तीन फ़िक़्हों को तर्क करनें के बावजूद उसके ईमान में कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। इसी तरह जो व्यक्ति फ़िक़्ह हंफ़िया पर अमल करता है वह बाक़ी तीन फ़िक़्हों पर अमल न करके भी उसी दर्जे का मुसलमान है जिस दर्जे का कोई भी दूसरा मुसलमान हो सकता है। मुस्लिम समुदाय के श्रेष्ठतम लोग अर्थात सहाबा किराम रज़ि० प्रचलित चारों सम्प्रदाय फ़िक़्हों में से किसी एक फ़िक़्ह पर अमल नहीं करते थे बल्कि उन्ही के बारे में रसूले अकरम सल्ल० का इरशाद मुबारक है कि सहाबा किराम रज़ि० का ज़माना सबसे बेहतर ज़माना है। (मुस्लिम शरीफ़) इस सारी वार्ता का सारांश यह है कि किताबुल्लाह के बाद सारी मिल्लत की संयुक्त धरोहर और तमाम

मुसलमानों के ईमान व अमल का केन्द्र और परिधि केवल एक ही चीज़ है और वह है "सुन्नत रसूलुल्लाह सल्ल०'। वह चाहे इमाम अबू हनीफ़ा रह० के ज़रिए हम तक पहुंचे या इमाम मालिक रह०, इमाम शाफ़ई रह०, इमाम अहमद बिन हंबल रह० या किसी भी दूसरे इमाम के ज़रिए। गिरोहबन्दी की बुनियाद उस समय पड़ती है जब सुन्नत रसूलुल्लाह सल्ल० का इल्म हो जाने के बाद मात्र इसलिए उस पर अमल न किया जाए कि हमारे मत और हमारी फ़िक़्ह में ऐसा नहीं है। हक़ीक़त यह है कि दीन में यह तरीक़ा सारी ख़राबियों और फ़ितनों का कारण है।

यहां हम पाठको का ध्यान इसी किताब के अध्याय "सुन्नत और अइम्मा किराम रह०" की तरफ़ कराना चाहेंगे जिसमें विभिन्न इमामों के सुन्नत के बारे में कथन प्रस्तुत किए गए हैं। सभी इमामों ने मुसलमानों को इस बात का हुक्म दिया है कि सुन्नत सहीहा सामने आ जाने के बाद उनके कथन और राय को निःसंकोच छोड़ दिया जाए। इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने तो यहां तक फ़रमाया है "दीन में सुन्नत रसूल सल्ल० के अलावा सब गुमराही और फ़साद है।" अगर हम वास्तव में सच्चे दिल से इमाम अबू हनीफ़ा रह० के अनुयायी हैं तो हमें सच्चे दिल से उनकी शिक्षाओं पर अमल करना चाहिए।

आख़िर में इस बात को प्रकट करना भी मुनासिब मालूम होता है कि हमारे निकट अइम्मा किराम का इज्तिहाद और तैयार की गयी फ़िक़्ह अत्यन्त महत्वपूर्ण दीनी सरमाया है जिन मसाइल के बारे में क़ुरआन व हदीस के स्पष्ट आदेश मौजूद नहीं उन मसाइल के बारे में क़ुरआन व हदीस की रौशनी में किया गया इज्तिहाद चाहे इमाम अबू हनीफ़ा रह० का हों उससे तमाम मुसलमानों को लाभ उठाना चाहिए। और यह कि आगे भी हालात के बदलते हुए तक़ाज़ों के मुताबिक़ इज्तिहाद की शर्तों पर पूरे उतरने वाले फ़ुक़्हा के लिए सुन्नत की रौशनी में इज्तिहाद की गुंजाइश हर समय मौजूद है और इससे लोगों को भरपूर लाभ उठाना चाहिए।

सुन्नत का अनुसरण और आंशिक मसाइल

निःसन्देह दीन में सारे आदेश एक दर्जे के नहीं हैं बल्कि उनमें से कुछ बुनियादी हैसियत रखते हैं और कुछ आंशिक हैसियत रखते हैं। आंशिक

मसाइल को बुनियाद बनाकर अलग अलग जमाअतें या सम्प्रदाय बनाना सरासर जिहालत है लेकिन इसी के साथ यह बात भी ध्यान में रहनी चाहिए कि रसूले अकरम सल्ल० के तमाम आदेश चाहे वह छोटे हों या बड़े, बुनियादी हों या आंशिक, ग़ैर ज़रूरी और निरुद्देश्य नहीं हैं। रसूले अकरम सल्ल० की कुछ सुन्नतों को फ़रोई कहकर अवहेलना करना या उनका महत्व कम करना निश्चय ही सुन्नत रसूल सल्ल० की तौहीन है। अल्लाह और रसूल पर ईमान लाने के बाद किसी मोमिन का यह काम नहीं कि वह रसूले अकरम सल्ल० के किसी भी हुक्म को आंशिक कहकर अनदेखा करने की रविश इख़्तियार करे या ज़रूरी और ग़ैर ज़रूरी की बात करके जिस पर चाहे अमल करे और जिसे चाहे छोड़ दे। शरीअत में तमाम सुन्नतों पर एक साथ अमल करना ज़रूरी है जो व्यक्ति कम दर्जे की सुन्नतों की पाबंदी नहीं कर सकता वह बड़े दर्जे की सुन्नतों पर अमल कैसे करेगा? कुछ संगत सल्फ़ का कथन है कि "एक नेकी का बदला यह है कि अल्लाह तआला दूसरी नेकी का सौभाग्य प्रदान कर देता है जबकि एक गुनाह की सज़ा यह है कि इंसान दूसरे गुनाह में फंस जाता है।" अतः नहीं कहा जा कि सुन्नते रसूल सल्ल० का सम्मान करते हुए कम दर्जे की सुन्नतों पर अमल करने वालों को अल्लाह तआला बड़े दर्जे की सुन्नतों पर अमल करने का सौभाग्य भी प्रदान कर दे लेकिन उसके विपरित जो लोग कम दर्जे की सुन्नतों को "आंशिक मसला" कहकर अनदेखा करने का साहस करते हैं उनसे अल्लाह तआला बड़ी सुन्नतों पर अमल करने का सौभाग्य भी छीन ले। ऐसी हालत से हमें अल्लाह तआला की पनाह मांगनी चाहिए।

रसूल की मुहब्बत का वास्तविक पैमाना

रसूले अकरम सल्ल० से मुहब्बत और इश्क़ हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा बल्कि ठीक ठीक ईमान है। स्वयं रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया है। "कोई आदमी उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी औलाद, मां बाप और बाक़ी तमाम लोगों के मुक़ाबले में मुझसे ज़्यादा मुहब्बत न करता हो।" (बुख़ारी व मुस्लिम) एक सहाबी ख़िदमत अक़दस में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया : "या रसूलल्लाह सल्ल०! मैं आप सल्ल० को अपनी जान व माल और घर वालों से ज़्यादा मुहब्बत रखता हूं जब घर में अपने बाल बच्चों के साथ होता हूं और शौक़े ज़ियारत बेक़रार करता है तो दौड़ा-दौड़ा हुआ आता हूं। आप सल्ल० का दीदार करके सुकून हासिल कर लेता हूं। लेकिन जब मैं

अपनी और आप सल्ल० की मौत को याद करता हूं और सोचता हूं कि आप सल्ल० तो जन्नत में अंबिया के साथ ऊंचे दरजात में होंगे, मैं जन्नत में गया भी, तो, आप सल्ल० तक नहीं पहुंच सकूंगा और आप सल्ल० के दीदार से महरूम रहूंगा तो बेचैन हो जाता हूं। इस पर अल्लाह तआला ने सूरह निसा की यह आयात उतारी :

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴾

"जो लोग अल्लाह और रसूल सल्ल० का आज्ञा पालन करेंगे वे उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फ़रमाया है अर्थात नबियों, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालेहीन, कैसे अच्छे हैं यह साथी जो किसी को मिल जाएं।" (सूरह निसा : 69)

सहाबी की मुहब्बत के जवाब में अल्लाह तआला ने रसूले अकरम सल्ल० के आज्ञा पालन की आयात उतार कर यह बात स्पष्ट कर दी कि अगर तुम्हारी मुहब्बत सच्ची है और तुम अपने नबी सल्ल० की स्थाई संगत हासिल करना चाहते हो तो उसका तरीक़ा केवल यह है कि रसूले अकरम सल्ल० का आज्ञा पालन और फ़रमांबरदारी करो। सहाबा किराम रज़ि० की ज़िंदगियों पर एक नज़र डालिए और सोचिए कि उन्होंने रसूले अकरम सल्ल० से इश्क़ व मुहब्बत का कैसे कैसे हक़ अदा किया। रसूले अकरम सल्ल० की पवित्र जीवनी का कोई एक क्षण ऐसा नहीं जिसमें उन्होंने नबी सल्ल० के कथनों को ध्यान से सुना न हो या कर्मों को ध्यान से देखा न हो और फिर वैसे ही उन पर अमल करने की कोशिश न की हो। नबी सल्ल० सोते और जागते कैसे थे? खाते और पीते कैसे थे? उठते और बैठते कैसे थे? मुसाफ़ा कैसे करते और गले कैसे मिलते थे, नमाज़ और रोज़ा कैसे अदा फ़रमाया? घरेलू और शासन की ज़िम्मेदारियां कैसे पूरी फ़रमाईं? सहाबा किराम रज़ि० ने रसूले अकरम सल्ल० का एक एक अमल ध्यान से देखा और फिर आप सल्ल० की फ़रमांबरदारी और आज्ञा पालन की बेहतरीन मिसालें क़ायम करके आप सल्ल० से इश्क़ व मुहब्बत का हक़ अदा कर दिया। अतः आप सल्ल० से इश्क़ व मुहब्बत का तक़ाज़ा यह है कि ज़िंदगी के तमाम मामलों में क़दम क़दम पर आप सल्ल० की पैरवी और आज्ञा पालन किया जाए, वह मुहब्बत

जो सुन्नत रसूल सल्ल० पर अमल करना न सिखाए मात्र धोखा और झूठा है। वह मुहब्बत जो रसूले अकरम सल्ल० की आज्ञा का पालन और अनुसरण न सिखाए मात्र झूठ और कपट है। वह मुहब्बत जो रसूले अकरम सल्ल० की ग़ुलामी के तरीक़े न सिखाए मात्र दिखावा है। वह मुहब्बत जो रसूले अकरम सल्ल० की सुन्नत के निकट न ले जाए मात्र बेकार की बात है।

सुन्नत का अनुसरण और मौज़ूअ या ज़ईफ़ अहादीस का बहाना

सहीह हदीसों के साथ मौज़ूअ (मन गढ़त) और ज़ईफ़ हदीसों की मिलावट के बहाने हदीस के भंडार को भरोसे योग्य न क़रार देकर सुन्नत से बचने की राह पैदा करना असल में इल्म हदीस से अनभिज्ञता का नतीजा है। सोचिए कभी आप को बाज़ार से कोई दवा ख़रीदने की ज़रूरत पेश आए तो क्या आपने इस डर से कि बाज़ार में असली और नक़्ली दोनों तरह की दवाएं मौजूद हैं, असली दवा ख़रीदने का इरादा छोड़ दिया है? करने का काम तो यह है कि ख़ूब छान फटक कर या किसी डॉक्टर की मदद से असली दवा ख़रीदी जाए न कि सिरे से ख़रीदारी का इरादा छोड़ करके मरीज़ को मौत के मुंह में जाने दिया जाए। जिस तरह तौहीद के साथ शिर्क का वजूद तौहीद पर अमल न करने का बहाना नहीं बन सकता, या नेकी के साथ बुराई का वजूद नेकी छोड़ने का बहाना नहीं बन सकता इसी तरह सहीह हदीसों के साथ ज़ईफ़ या मौज़ूअ हदीसों का वजूद भी सहीह हदीसों को छोड़ने का बहाना नहीं बन सकता। करने का काम यह है कि सांसारिक मामलों की तरह दीनी मामलों में भी तहक़ीक़ की जाए, सहीह हदीसों को सच्चे दिल से क़ुबूल करके उन पर अमल किया जाए और ज़ईफ़ या मौज़ूअ हदीसों को तुरन्त छोड़ दिया जाए।

अहादीस के चयन का पैमाना

कुतुब अहादीस के क्रम के आरंभ में ही हमने यह उसूल तय कर लिया था कि हदीसों का मैयार इंतख़ाब किसी मत और सम्प्रदाय की पुष्टि या आलोचना की बुनियाद पर नहीं होगा बल्कि हदीस की सच्चाई की बुनियाद पर होगा अर्थात केवल सहीह या हसन दर्जे की हदीसें ही शामिल की जाएंगी।

इस मैयार इंतख़ाब की वजह से प्रचलित फ़िक़्ही कुतुब में ज़ईफ़ हदीसों से तैयार किए गए कुछ मसाइल शामिल नहीं हो पाते जिस पर कुछ लोग यह समझते हैं कि शायद किसी मत से दिलचस्पी या दिलचस्पी न होने के कारण दूसरी हदीसें शामिल नहीं की गईं। यद्यपि ऐसा कदापि नहीं हम इससे पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारी दिलचस्पी किसी मत से नहीं सुन्नत सहीह से है। यही वजह है कि सहीह हदीस को किताब में शामिल करने या ज़ईफ़ हदीस को किताब से निकालने में हमने कभी संकोच से काम नहीं लिया।

असल में हमारे दौर की सबसे बड़ी दुखद घटना यह है कि हम पक्षपात की दुनिया में जीवन बसर कर रहे हैं, कहीं व्यक्तित्व का पक्षपात है, कहीं मत और सम्प्रदाय का पक्षपात है, कहीं जमाअत और पार्टी का पक्षपात है, कहीं ज़बान और रस्म व रिवाज का पक्षपात है, कहीं रंग व नस्ल का पक्षपात है, कहीं इलाक़े और वतन का पक्षपात है, सत्य और असत्य, जाइज़ और नाजाइज़ का मैयार केवल अपना और पराया है। एक बात अगर अपनी पसन्दीदा जमाअत या मत की तरफ़ से आए तो निन्दा योग्य! उस पक्षपात की पकड़ यहां तक है कि प्रायः अल्लाह और रसूल सल्ल० की बात को भी इसी छलनी से गुज़ारा जाता है। पाठक गणों से हमारी विनती है कि कुतुब अहादीस का अध्ययन हर क़िस्म के पक्षपात से ऊपर उठकर करें। कहीं ग़लती हो तो उसकी निशानदेही फ़रमाएं, लेकिन अगर सहीह हदीस क़ुबूल करने में किसी मत या जमाअत या व्यक्तित्व की आस्था रोक हो तो फिर अल्लाह के यहां अपनी नजात के लिए कोई जवाब भी सोच रखें।

एक ग़लतफ़हमी का निवारण

हज्जतुल विदाअ के अवसर पर मैदाने अरफ़ात में ख़ुतबा देते हुए रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया : "मैं तुम्हारे बीच एक ऐसी चीज़ छोड़े जा रहा हूं कि अगर उसे थामे रखोगे, तो कभी गुमराह नहीं होगे वह है अल्लाह की किताब।" (बहवाला हज्जतुन्नबी, अज़ अलबानी) दूसरे अवसर पर नबी अकरम सल्ल० ने अल्लाह की किताब के साथ सुन्नत रसूल सल्ल० की भी वृद्धि की (बहवाला मुस्तदरक हाकिम) भ्रम यह है कि जब नबी अकरम सल्ल० ने केवल एक चीज़ अर्थात् क़ुरआन मजीद को ही गुमराही के लिए काफ़ी क़रार दिया है तो फिर दूसरी चीज़ अर्थात् सुन्नते रसूल सल्ल० या हदीस रसूल

सल्ल० (जिनमें सहीह के अलावा ज़ईफ़ और मौज़ूअ हादीसें भी शामिल हैं) को दीन में दाख़िल करने की क्या ज़रूरत है?

हक़ीक़त यह है कि रसूले अकरम सल्ल० के दोनों इरशादात में कण बराबर फ़र्क़ या विभेद नहीं है बल्कि नतीजे के हिसाब से दोनों बातें एक ही भाव रखती हैं। निःसन्देह आप सल्ल० ने हज्जतुल विदाअ के अवसर पर केवल क़ुरआन मजीद को गुराही से बचने की चीज़ क़रार दिया है लेकिन इसके साथ ही स्वयं क़ुरआन मजीद ने सुन्नत रसूल सल्ल० (या हदीसे रसूल सल्ल०) को मुसलमानों के लिए अनिवार्य क़रार दिया है और उसे छोड़ने को खुली गुमराही बताया है। देखिए इसी किताब का अध्याय "सुन्नत, क़ुरआन मजीद की रौशनी में" अब अगर एक अवसर पर रसूले अकरम सल्ल० ने सार के साथ केवल क़ुरआन मजीद को और दूसरे अवसर पर स्पष्टीकरण के साथ क़ुरआन व सुन्नत दोनों को गुमराही से बचने की चीज़ क़रार दिया है तो उसमें विभेद या फ़र्क़ वाली कौन-सी बात है? आप सल्ल० की दोनों बातों में फ़र्क़ केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो क़ुरआन मजीद की शिक्षाओं से अनभिज्ञ है या फिर जिसने जानबूझ कर मुसलमानों को गुमराह करना ही अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य बना रखा है।

महत्वपूर्ण विनती

अन्त में हम क़ुरआन व सुन्नत के आवाहक गणों का ध्यान इस तरफ़ कराना चाहेंगे कि सुन्नत के अनुसरण की दावत को कुछ इबादात के मसाइल तक सीमित न रखें बल्कि यह दावत सारी की सारी ज़िंदगी पर हावी होनी चाहिए। नमाज़ की अदाएगी में जिस तरह सुन्नत का अनुसरण चाहिए उसी तरह आचरण और किरदार में भी चाहिए। जिस तरह रोज़े और हज के मसाइल में सुन्नात के अनुसरण की ज़रूरत है उसी तरह कारोबार और आपसो लेनदेन में भी इसकी ज़रूरत है। जिस तरह सवाब पहुंचाने और क़ब्रों की ज़ियारत के मसाइल में सुन्नत की ज़रूरत है उसी तरह बुराइयों के ख़िलाफ़ जिहाद में भी इसकी ज़रूरत है। जिस तरह अल्लाह के हक़ों की अदाएगी में सुन्नत पर अमल चाहिए उसी तरह बन्दों के हक़ों की अदाएगी में भी चाहिए। मानो अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी में चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, मस्जिद के अंदर हो या मस्जिद से बाहर, बीवी बच्चों के साथ हो या दोस्तों के साथ

हर समय हर जगह सुन्नत का अनुसरण चाहिए। मात्र इबादात के कुछ मसाइल पर ध्यान देना और ज़िंदगी के बाक़ी मामलों में सुन्नत के अनुसरण को नज़रअंदाज़ कर देना किसी तरह भी पसन्दीदा नहीं कहला सकता। किताब व सुन्नत के आवाहकों से हम यह भी विनती करना चाहेंगे कि सच्ची किताब व सुन्नत की दावत बड़ी तर्क संगत और साइंटिफिक दावत है आम आदमी जो हर क़िस्म के पक्षपात से पाक ज़ेहन रखता है वह इस दावत को बड़ी जल्दी क़ुबूल कर लेता है, अतः लोगों के स्वभाव और शैक्षिक योग्यता को सामने रखते हुए, हिक्मत के उसूल को कदापि अनदेखा न करें और यह बात कभी न भूलें कि अतिवाद की प्रक्रिया अतिवाद ही होगी। ज़िद की प्रक्रिया ज़िद ही होगी, पक्षपात की प्रक्रिया पक्षपात ही होगी। दावत दीन के मामले में नर्मी, सहन, हौसला, हुस्ने कलाम और खुला दिल जो नतीजे पैदा कर सकते हैं, सख़्ती, कड़वी बात, तंगदिली और कमज़रफ़ी वह नतीजे कभी पैदा नहीं कर सकते।

सुन्नत के अनुसरण जैसे महत्वपूर्ण और नाज़ुक विषय के मुक़ाबले में मुझे अपने अल्प ज्ञान का बड़ी सख़्ती से एहसास है इसलिए मैंने यथा संभव ज़्यादा से ज़्यादा उलमा किराम के इल्म और तहक़ीक़ से लाभ की कोशिश की है। इस किताब की प्रत्यालोचन करने वाले सम्मानीय उलमा किराम की कोशिशों को अल्लाह तआला स्वीकार फ़रमाए और उनके साथ उनके मापं बाप और उस्तादों को भी उनके अज्र व सवाब में शामिल फ़रमाए। आमीन।

सुन्नत के अनुसरण से संबंधित दो महत्वपूर्ण विषय "बिदआत" और फ़ितना इंकार हदीस" भी इस लेख में शामिल किए गए थे लेकिन पृष्ठों की सुख्या बढ़ने के डर से परिशिष्ठ की शक्ल में उनका एक अलग अध्याय बना दिया गया है।

सुन्नत के अनुसरण के विषय पर इस तुच्छ कोशिश के बेहतरीन पहलुओं पर हम अपने अल्लाह तआला के समक्ष सज्दे में जाते हैं और इसमें मौजूद ग़लतियों और ख़ामियों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में लज्जित और माफ़ी के प्रत्याशी।

मोहतरम वालिद हाफ़िज़ मुहम्मद इदरीस कीलानी साहब और मोहतरम हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ साहब ने किताब का प्रत्यालोचन किया अल्लाह तआला दोनों हज़रात की कोशिशों को क़ुबूल फ़रमाकर दुनिया व आख़िरत में

महान अज्र से नवाज़े। आमीन।

आख़िर में अपने उन तमाम हिन्दी व पाकिस्तानी भाइयों का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझता हूं जिन्होंने किसी भी पहलू से किताब की तैयारी में हिस्सा लिया है। अल्लाह तआला तमाम दोस्तों को दुनिया और आख़िरत में अपनी अपार रहमतों और इनायतों से नवाज़े। आमीन।

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

मुहम्मद इक़बाल कीलानी अफ़ियल्लाहु अन्हु

जामिआ मलिक सऊद, रियाज़

परिशिष्ट

बिदअतें

बिदअत की परिभाषा

हर वह अमल बिदअत कहलाएगा जो सवाब और नेकी समझ कर किया जाए लेकिन शरीअत में उसकी कोई बुनियाद या सुबूत न हो अर्थात न तो रसूले अकरम सल्ल० ने स्वयं वह अमल किया हो न किसी को उसका हुक्म दिया हो और न ही किसी को उसकी इजाज़त दी हो। ऐसा अमल अल्लाह तआला के यहां मर्दूद (अस्वीकार्य) है। (बहवाला बुख़ारी व मुस्लिम)

दीन को सबसे ज़्यादा नुक़्सान पहुंचाने वाली चीज़ बिदआत हैं। बिदअतें चूंकि नेकी और सवाब समझ कर की जाती हैं इसलिए बिदअती उन्हें तर्क करने की कल्पना तक नहीं करता जबकि दूसरे गुनाहों के मामले में गुनाह का एहसास मौजूद रहता है जिससे यह उम्मीद की जा सकती है कि गुनाहगार कभी न कभी अपने गुनाहों पर लज्जित होकर ज़रूर तौबा इस्तग़फ़ार करेगा। इसी लिए हज़रत सुफ़ियान सूरी रह० फ़रमाते हैं कि "शैतान को गुनाह के मुक़ाबले में बिदअत ज़्यादा महबूब है।"

शरीअत की निगाह में दो गुनाह ऐसे हैं जिन्हें तर्क किए बिना कोई नेक अमल क़ुबूल होता है न तौबा क़ुबूल होती है पहला शिर्क[1] और दूसरा बिदअत। शिर्क के बारे में रसूले अकरम सल्ल० का इरशाद मुबारक है : "अल्लाह तआला बन्दे के गुनाह माफ़ करता रहता है जब तक अल्लाह और बन्दे के दर्मियान पर्दा हाइल नहीं होता।" सहाबा किराम रज़ि० ने अर्ज़ किया "या रसूलल्लाह सल्ल० पर्दा क्या है?" आप सल्ल० ने फ़रमाया "आदमी इस हाल में मरे कि शिर्क करने वाला हो।" (मुसनद अहमद) बिदअत के बारे में रसूले अकरम सल्ल० का इरशाद मुबारक है कि "अल्लाह तआला बिदअती की तौबा क़ुबूल नहीं फ़रमाता जब तक वह बिदअत तर्क न करे।" (तबरानी)

1. शिर्क के बारे में विस्तृत बहस किताबुत तौहीद में मुलाहिज़ा फ़रमाएं।

अर्थात बिदअती की सारी मेहनत और कोशिशों की मिसाल उस मज़दूर की सी है जो दिन भर मेहनत मज़दूरी करता रहे लेकिन उसे कोई मज़दूरी या पैसा न मिले सिवाए थकावट और समय की बर्बादी के।

क़ियामत के दिन जब रसूले अकरम सल्ल० हौज़े कौसर पर अपनी उम्मत को पानी पिला रहे होंगे तो कुछ लोग हौज़े कौसर पर आएंगे जिन्हें रसूले अकरम सल्ल० अपनी उम्मत समझेंगे लेकिन फ़रिश्ते आप सल्ल० को बताएंगे कि ये वे लोग हैं जिन्होंने आप सल्ल० के बाद बिदआत शुरू कर दीं अतएव रसूलुल्लाह सल्ल० फ़रमाएंगे :

﴿سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي﴾

"दूर हों वे लोग जिन्होंने मेरे बाद दीन को बदल डाला।" (बुख़ारी व मुस्लिम) अतः वह इबादत और साधना जो सुन्नते रसूल सल्ल० के मुताबिक़ न हो ज़लालत और गुमराही है। वह ज़िक्र और वज़ाइफ़ जो सुन्नते रसूल सल्ल० से साबित न हों, बेकार और बे फ़ायदा हैं, वह सदक़ा और ख़ैरात जो रसूलुल्लाह सल्ल० के बताए हुए तरीक़े पर न हो अकारत और बेकार है। वह मेहनत और परिश्रम जो आप सल्ल० के हुक्म के मुताबिक़ नहीं वह जहन्नम का ईंधन है : अर्थात "क़ियामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो अमल कर करके थके हुए होंगे लेकिन भड़कती आग में डाल दिए जाएंगे।

(सूरह ग़ासिया : 3-4)

बिदअतों के फैलने के मौलिक कारण

बिदअतों के महत्व को देखते हुए उन बड़े कार्यों की निशानदेही करना ज़रूरी मालूम होती है जो हमारे समाज में बिदअत की अधिकता का कारण बन रहे हैं ताकि लोग उनसे ख़बरदार हो सकें।

1. बिदअत की तक़्सीम

हमारे समाज के एक बड़े वर्ग के अधिकांश अक़ाइद व कर्मों की बुनियाद ज़ईफ़ और मौज़ूअ (मन गढ़त) रिवायतों पर है। अतएव उन्होंने अपने ग़ैर मसनून और बुरे कर्मों को दीन की सनद उपलब्ध करने के लिए बिदअत को अच्छी बिदअत और बुरी बिदअत में तक़्सीम कर रखा है और यूं किताब व

सुन्नत की शिक्षा से अनभिज्ञ लोगों को यह बताया जाता है कि बुरी बिदअत तो वास्तव में गुनाह है लेकिन अच्छी बिदअत नेकी और सवाब का काम है जबकि असल हक़ीक़त यह है कि रसूले अकरम सल्ल० ने सभी बिदअतों को गुमराही क़रार दिया है। (सहीह मुस्लिम) ग़ौर फ़रमाइए अगर नमाज़ मग़रिब की दो सुन्नतों की बजाए तीन सुन्नतें पढ़ी जाएं तो क्या यह अच्छी बिदअत होगी या दीन में तब्दीली मानी जाएगी?

बात यह है कि अच्छी बिदअत के चोर दरवाज़े ने दीन में बिदअतों को फैलाने और प्रचलित करने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। विभिन्न मसनून इबादात के मुक़ाबले में ग़ैर मसनून और मन गढ़त इबादात ने जगह लेकर एक बिल्कुल नए दीन की इमारत खड़ी कर दी है पीरी मुरीदी के नाम पर विलायत, ख़िलाफ़त, तरीक़त, सलूक, बैअत, निस्बत, इजाज़त, तवज्जोह, इनायत, फ़ैज़, करम, जलाल, आस्ताना, दरगाह, ख़ानक़ाह जैसी इस्तलाहात गढ़ दी गई हैं और मुराक़बा, मुजाहिदा, रियाज़त, चिल्लाकशी, कश्फ़ुल क़ुबूर, चराग़ां, सुबूचा, चौमुक, चढ़ावे, कूंडे, झण्डे, नाच, हाल, वजद और कैफ़ियत जैसी हिन्दुवाना तरह के पूजापाठ के तरीक़े ईजाद किए गए हैं। क़ब्रों पर सज्दा नशीन, गद्दीनशीन, मख़्दूम, जारूबकश, क़ुल शरीफ़, दसवां शरीफ़, चालीसवां शरीफ़, ग्यारहवीं शरीफ़, नियाज़ शरीफ़, उर्स शरीफ़, मीलाद शरीफ़, ख़त्म ख़्वाजगान, क़ुरआन ख़्वानी, ज़िक्र मल्फ़ूज़ात और करामात और तथा कथित औराद व वज़ाइफ़ जैसे ग़ैर मसनून बिदअती कामों को इबादत का दर्जा देकर तिलावत क़ुरआन, नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात तस्बीह व तहलील, ज़िक्र इलाही और मसनून दुआएं जैसी इबादात को बेकार की चीज़ बना दिया गया है और अगर कहीं उन इबादात की धारणा बाक़ी रह भी गयी है तो बिदआत के ज़रिए उनकी हक़ीक़ी शक्ल व सूरत बदल दी गई है मिसाल के तौर पर इबादत के एक पहलू अज़्कार व वज़ाइफ़ ही को लीजिए और ग़ौर फ़रमाइए कि इसमें कैसे कैसे तरीक़ों से कैसी कैसी मन गढ़त बातें शामिल कर दी गईं हैं जैसे :

- फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद बुलन्द आवाज़ से सामूहिक ज़िक्र करना।
- विशेष अंदाज़ में ऊंची आवाज़ से सामूहिक ज़िक्र के हल्क़े क़ायम करना।
- ज़िक्र करते समय अल्लाह तआला के पाक नामों में कमी बेशी करना।

- ढेड़ लाख मर्तबा आयते करीमा के ज़िक्र के लिए महफ़िलें आयोजित करना।
- मुहर्रम की पहली रात ज़िक्र के लिए ख़ास करना।
- सफ़र को अशुभ समझकर पहले बुद्ध को मग़रिब और इशा के बीच महफ़िल ज़िक्र क़ायम करना।
- 27 रजब को मेराज की रात समझकर ज़िक्र का आयोजन करना।
- 15 शाबान को महफ़िल ज़िक्र आयोजित करना।
- सय्यद अब्दुल क़ादिर जीलानी रह० के नामों का विर्द करना।
- सय्यद अब्दुल क़ादिर जीलानी से मंसूब हफ़्ता भर के वज़ाइफ़ का आयोजन करना।
- दुआए गंजुल अर्श, दुआए जमीला, दुआए सुरयानी, दुआए अकाशा, दुआए हिज़्बुल बहूर, दुआए अम्न, दुआए हबीब, अहदनामा, दुरूद ताज़, दुरूद माही, दुरूद तंजीना, दुरूद अकबर, हफ़्त हैकल शरीफ़, चहल काफ़, क़दह मुअज़्ज़म व मुकर्रम और शश क़िफ़्ल आदि जैसे वज़ाइफ़ का आयोजन करना. यह तमाम ज़िक्र व वज़ाइफ़ हमारे यहां बसों, गाड़ियों, सड़कों और आम दुकानों पर अत्यन्त कम दामों पर अधिकता से बेचे जाने वाली किताबों में लिखे होते हैं जिन्हें सीधे साधे कम पढ़े लिखे मुसलमान बड़ी अक़ीदत से ख़रीदते और सम्मान के साथ अपने पास रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर तक्लीफ़ या मुसीबत के समय इनसे लाभ उठाते हैं। अज़्कार व वज़ाइफ़ के अलावा दूसरी इबादात नमाज़, रोज़ा, हज, ज़कात, उमरा, क़ुरबानी आदि की बिदअतों का मामला इससे भी कुछ क़दम आगे है ज़िंदगी के बाक़ी मामलात पैदाइश, शादी, ब्याह, बीमारी, मौत, जनाज़ा, ज़ियारते क़ुबूर, ईसाले सवाब आदि की बिदअतों का सिलसिला न समाप्त होने वाला है जिसका उल्लेख एक अलग किताब की उपेक्षा करता है यूं अच्छी बिदअत के नाम पर आने वाली गुमराही और जिहालत के तूफ़ान ने इस्लाम का एक बिल्कुल नया, अजमी और हिन्दुवाना मॉडल तैयार कर दिया है और यूं अच्छी बिदअत बिदअतों की लम्बी सूची में दिन ब दिन वृद्धि का कारण बन रही है।

2. अंधा अनुसरण

अनपढ़ और जाहिल लोगों की बड़ी तादाद मात्र अपने बाप दादा के अनुसरण में ग़ैर मसनून कामों और बिदअतों में फंसी हुई है और यह सोचने का कष्ट गवारा नहीं करती कि इन कामों का दीन से क्या ताल्लुक़ है। ऐसे लोगों की हर ज़माने में यही दलील रही है :

﴿بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون﴾ (٢٦:٧٤)

अर्थात "हमने अपने बाप दादा को ऐसा करते पाया अतः हम भी ऐसा ही कर रहे हैं।" कुछ लोग बिगड़े हुए उलमा के अनुसरण में बिदअतों की ज़ंजीरों में जकड़े हुए हैं। कुछ लोग अपने शासकों, जिनकी अधिसंख्या दीनी अक़ाइद से अनभिज्ञ और कभी कभी निराश होती है, के अनुसरण में मज़ारों पर हाज़िरी, फ़ातिहा ख़्वानी, क़ुरआन ख़्वानी, महफ़िल मीलाद और बर्सियों आदि जैसी बिदअतों में शरीक हो जाते हैं कुछ लोग रस्म व रिवाज की तक़्लीद में बिदअतों को इख़्तियार किए हुए हैं। तमाम सूरतों में इस गुमराही का असल कारण एक ही है। अंधा अनुसरण, चाहे वह बाप दादा का हो, बिगड़े हुए उलमा का हो या सियासी लीडरों का या रस्म व रिवाज का।

3. बुज़ुर्गों से अक़ीदत में सीमा से बढ़ जाना

बुज़ुर्गों से अक़ीदत में सीमा से बढ़ जाना हमेशा दीन में बिगाड़ का कारण बना है। अल्लाह के नेक मुत्तक़ी और सालेह बन्दों की संगत और मुहब्बत न केवल जाइज़ बल्कि दीनी दृष्टिकोण से आवश्यक है, लेकिन जब यह मुहब्बत अंधे अनुसरण का रंग इख़्तियार कर लेती है तो उन बुज़ुर्गों की ग़लत और ग़ैर मसनून बातें भी उनके मानने वालों को दीन का हिस्सा लगने लगती हैं और वह सवाब का काम समझकर उन पर अमल करना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि उन बुज़ुर्गों के सपने, व्यक्तिगत तजुर्बात, मुशाहिदात, और हिकायात आदि सभी कुछ अक़ीदत की अधिकता में दीन की सनद समझ ली जाती हैं और लोगों के सामने उन्हें दीन बनाकर पेश किया जाता है और यूं बिदअती ग़ैर मसनून काम फलने फूलने लगते हैं, कहा जाता है कि हिन्द व पाक में जब सूफ़ियाए किराम दावते इस्लाम लेकर पहुंचे तो महसूस किया कि यहां की जनता (ग़ैर मुस्लिम) गाने बजाने और संगीत के बहुत शौक़ीन हैं अतएव सूफ़िया ने ज़रूरतन दावते इस्लाम के लिए गाना और क़व्वालियों का

तरीक़ा अविष्कार कर लिया अतः बुज़ुर्गों का यह कार्य तब भी जाइज़ था अब भी जाइज़ है। हम समझते हैं कि सबसे पहले इस क़िस्म की तमाम हिकायतें मात्र अफ़साना और सूफ़ियाए किराम पर आरोप के सिवा कुछ भी नहीं, दूसरे अगर इस तरह की कोई एक आध घटना हो भी तो किसी बड़े से बड़े बुज़ुर्ग या सूफ़ी का अल्लाह और रसूल सल्ल० के आदेशों के विपरीत कोई भी कार्य मुसलमानों के लिए दलील नहीं हो सकता चाहे प्रत्यक्ष वह कितना ही हालत व जरूरत के तहत ही क्यों न हो। आस्था में सीमा से बढ़ जाना और बुज़ुर्गों और सूफ़ियों के ग़ैर शरई कथन व कर्म का बचाव लोगों में बिदअतों के प्रचलन और प्रचार का कारण बना है।

4. विवादित मसलों का भ्रम

कुछ चालाक प्रचारक बिदअतों को परस्पर विरोधी मसाइल कहकर जाने अनजाने रूप से समाज में बिदअतों को फैलाने की ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं याद रहे परस्पर विरोधी केवल वही हैं जिनके बारे में दोनों तरफ़ हदीसों की कोई न कोई दलील मौजूद हो इससे हटकर कि इसके एक तरफ़ सहीह हदीस हो और दूसरी तरफ़ ज़ईफ़, लेकिन दोनों तरफ़ बहरहाल कोई न कोई दलील ज़रूर मौजूद होती है। परस्पर विरोधी की मिसाल नमाज़ में रफ़अ यदैन या आमीन बिल जह्र आदि है लेकिन ऐसे मसाइल जिनके बारे में कोई सहीह हदीस तो अलग कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ या मौज़ूअ हदीस भी पेश नहीं की जा सकती वह परस्पर विरोधी कैसे कहला सकते हैं? रस्म फ़ातिहा, रस्म क़ुल, दसवां, चालीसवां, ग्यारहवीं, क़ुरआन ख़्वानी, मीलाद, बर्सी, क़व्वाली, संदल माली, चराग़ां, कूंडे झण्डे आदि ऐसे कार्य हैं जिनका आज से एक सदी पहले कोई कल्पना तक नहीं थी। अतः इन बिदअतों को "परस्पर विरोधी" कहकर अनदेखा करना असल में दीन में बिदअतों को प्रचलित करने की हौसला अफ़ज़ाई करना है।

5. सुन्नत सहीहा से अनभिज्ञता

रसूले अकरम सल्ल० के आदेशों पर अमल करना चूंकि हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है इसलिए बहुत से लोग रसूले अकरम सल्ल० के नाम से मंसूब की गई हर बात को सुन्नत समझ कर उस पर अमल शुरू कर देते हैं। बहुत कम

लोग ऐसे होते हैं जो इस बात की जांच करना ज़रूरी समझते हैं कि रसूले अकरम सल्ल० के नाम से संबंधित की गई बात वास्तव में आप सल्ल० ही की है या आप सल्ल० के नाम से ग़लत तौर पर जोड़ दी गई है? लोगों की इस कमज़ोरी या अल्प ज्ञान के कारण बहुत सी बिदअतें और रस्में आम हो गई हैं जिन्हें कुछ लोग नेक नीयती से दीन समझ कर करते चले आ रहे हैं। हमारे इल्म में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सहीह और ज़ईफ़ हदीसों का फ़र्क़ स्पष्ट हो जाने के बाद ग़ैर मसनून कामों को तर्क करने और मसनून कामों पर अमल करने में क्षण भर संकोच नहीं किया। सहीह और ज़ईफ़ हदीसों की समझ रखने वाले लोगों पर यह भारी ज़िम्मेदारी आ जाती है कि वह लोगों को इस फ़र्क़ से अवगत करें और उन्हें बिदअतों की इस दलदल से निकालने के लिए भरपूर जद्दोजहद करें यहां हम अपने उन भाइयों को भी एहसास ज़िम्मेदारी दिलाना चाहते हैं जो दावत दीन का फ़रीज़ा बड़ी मेहनत और नेक नीयती से अंजाम दे रहे हैं लेकिन सहीह जांच न होने के बावजूद अपनी बातचीत में "हदीस में आया है" या रसूले अकरम सल्ल० ने फ़रमाया है" जैसे शब्द अधिकता से इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए रसूले अकरम सल्ल० की तरफ़ कोई कथन संबंधित करना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है नबी अकरम सल्ल० का इरशाद मुबारक है "जिसने जान बूझकर मेरी तरफ़ कोई झूठी बात मंसूब की वह अपनी जगह जहन्नम में बना ले।" (बहवाला सहीह मुस्लिम) अतः लोगों की रहनुमाई करने वालों का फ़र्ज़ है कि वह मुकम्मल तहक़ीक़ के बाद सुन्नत सहीह से साबितशुदा मसाइल ही लोगों को बताएं और लोगों का फ़र्ज़ यह है कि वह रसूले अकरम सल्ल० के नाम से मंसूब की गई हर बात को सुन्नत समझकर उस समय तक न अपनाएं जब तक उस बात का मुकम्मल इत्मीनान न कर लें कि आप सल्ल० के नाम से मंसूब की गई बात असल में आप सल्ल० ही का फ़रमान मुबारक है।

6. सियासी मस्लेहतें

आजकल दीन के हवाले से सियासत के मैदान में देश के लगभग तमाम क़ाबिले ज़िक्र दीनी जमाअतें संघर्षरत हैं जो जमाअतें अपने ज्ञान के आधार पर स्वयं शिर्क व बिदअत का शिकार हैं उनका तो ज़िक्र ही क्या, अलबत्ता वे दीनी जमाअतें जो शिर्क व बिदअतों के विनाश की सहीह समझ रखने के

बावजूद लोगों की नाराज़गी से बचने के लिए इस मसले पर ख़ामोशी इख़्तियार किए हुए हैं अर्थात यूं भी जाइज़ तो है लेकिन न करना ज़्यादा बेहतर है फ़लां साहब इसे नाजाइज़ समझते हैं लेकिन फ़लां साहब के नज़दीक यह जाइज़ है आदि आदि। इस तरीक़े ने लोगों के ज़ेहनों में मसनून और ग़ैर मसनून कामों को गुड मुड करके सुन्नत का महत्व बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और इसके विपरीत बिदअतों के प्रचार प्रसार का रास्ता सही किया है। कुछ प्रचारक जो मस्नद रसूल सल्ल० पर बैठकर शिर्क व बिदअतों की निंदा करते थे सियासी उद्देश्यों की प्राप्ती की ख़ातिर स्वयं शिर्किया और बिदअती कार्यों को करने लगे। कुछ उलमा किराम जो किताब व सुन्नत के आवाहक और अलमबरदार थे सियासी मजबूरियों के नाम पर अधर्मी तत्वों की ताक़त बढ़ाने का कारण बनने लगे। इसी तरह कुछ अन्य दीनी रहनुमा जो क़ौम को बुराइयों के ख़िलाफ़ जिहाद की दावत देते थे, स्वयं बुराइयों को क़ुबूल करने की प्रेरणा दिलाने लगे सियासी ज़रूरतों के नाम पर दीनी जमाअतों और कुछ उलमाए किराम के करनी व कथनी के इस फ़र्क़ ने शिर्क व बिदअत के ख़िलाफ़ अतीत में किए जाने वाले संघर्ष को बड़ी हानि पहुंचाई है।

फ़ितना इंकारे हदीस

इंकारे हदीस के मामले में यह बात ध्यान में रहनी चाहिए कि मुसलमानों में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष में सुन्नते रसूल सल्ल० की शरई हैसियत का इंकार करते हैं अलबत्ता ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो सुन्नत के वजूब का इक़रार करने के बावजूद सुन्नत से फ़रार की राह इख़्तियार करने के लिए हदीसों पर विभिन्न कटाक्ष करके हदीस के संग्रह को संदिग्ध और भरोसा न करने योग्य ठहराने की निन्दित कोशिशों में दिन रात व्यस्त रहते हैं। हदीस के इन्कारी के कटाक्ष का अध्ययन किया जाए तो शरई आदेशों को क़ुबूल करने या न करने का नक़्शा कुछ इस तरह सामने आता है जैसे शरई आदेशों का जुमा बाज़ार लगा हो और हर ग्राहक को इस बात की पूरी आज़ादी हासिल हो कि वह तमाम चीज़ों को ख़ूब ठोंक बजाकर देखे और जिस जिस चीज़ को अपने स्वभाव और पसन्द के मुताबिक़ पाए उसे उठा ले और जिसे नापसन्द करे उसे नाक भौं चढ़ाकर वहीं रख दे अतएव मुंकिरीन हदीस के यहां व्यवहार में यही हाल नज़र आता है कोई साहब चमत्कार के इन्कारी हैं तो

कोई साहब पांच के बजाए दो नमाज़ों को ही काफ़ी समझते हैं कोई साहब तीस की बजाए एक या दो रोज़े रखने से फ़र्ज़ पूरा होने के क़ायल हैं तो कोई साहब हज और क़ुरबानी के बजाए कल्याणकारी कामों पर रक़म ख़र्च करना बेहतर समझते हैं कोई साहब ज़कात की दर हुकूमत की मर्ज़ी पर घटाने बढ़ाने के क़ायल हैं तो कोई साहब रसूले अकरम सल्ल० की आज्ञा पालन को आप सल्ल० की पवित्र जीवनी तक ही सीमित समझते हैं कोई साहब क़ुरबानी के आदेशों की टीका और तावील के लिए आधुनिक दौर के मुफ़्तियों को मस्नद तफ़्सीर पर बिठाना चाहते हैं तो कोई साहब यह पद हुकूमत को प्रदान कर रहे हैं। फ़ितना इंकारे हदीस से प्रभावित और पश्चिमी विचार एवं सभ्यता व तहज़ीब से मरऊब तरक़्क़ी पसन्द दानिशवरों ने भी अपना सारा ज़ोरे क़लम और ज़ोरे बयान हदीसों को संदिग्ध और भरोसा योग्य न समझने पर ख़र्च कर दिया है ताकि पूर्वी समाज को भी वही नंगी आज़ादी हासिल हो जाए जो पश्चिमी समाज को हासिल है। औरतों की बेपर्दगी मर्द व औरत की मिली जुली महफ़िलें, जीवन के हर स्थल में मर्द व औरत के समान हुक़ूक़ गाना बजाना और अन्य अश्लीलता और बेहयाई फैलाने वाले काम और रिश्वत, सूद, जुआ, शराब और ज़िना जैसे हराम कामों को भी किसी न किसी तरह शरीअत की सनद हासिल हो जाए।

हदीस के इमामों की सेवाओं पर एक नज़र

मुंकिरीने हदीस की आपत्तियां का अवलोकन करने से पहले हिफ़ाज़त हदीस के लिए उलमाए हदीस की क़ुरबानियों, काविशों पर एक नज़र डालना बहुत ज़रूरी है इल्म की दुनिया में हिफ़ाज़त हदीस एक ऐसा महान कारनामा है जिसे ग़ैर भी मानने पर मजबूर हैं। मशहूर मुस्तशरिक़ प्रोफ़ेसर मारग्रेथे का यह मानना कि "इल्म हदीस पर मुसलमानों का गर्व करना बजा है" अकारण नहीं। मुस्तशरिक़ गोल्ड ज़ीहर ने उलमा हदीस की ख़िदमात का एतराफ़ इन शब्दों में किया है "मुहद्दिसीन ने दुनियाए इस्लाम के एक किनारे से दूसरे किनारे तक उंदलुस से मध्य एशिया तक की ख़ाक छानी और शहर शहर, गांव गांव, चप्पा चप्पा का पैदल सफ़र किया ताकि हदीसें जमा करें और अपने

---

1. मुहम्मडन नेशन स्टोडीन, जिल्द-2, सफ़ा 177।

शागिर्दों में फैलाएं निःसन्देह "रिहाल" (बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाले) और "जव्वाल" (बहुत ज़्यादा घूमने वाले) जैसी उपाधियों के यही लोग हक़दार थे।"[1]

हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ि० ने केवल एक हदीस की जांच के लिए मदीना से मिस्र का सफ़र किया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि० ने एक हदीस सुनने के लिए निरंतर महीना भर का सफ़र किया। हज़रत मक्हूल रह० ने इल्म हदीस हासिल करने के लिए मिस्र, शाम, हिजाज़ और इराक़ का सफ़र किया। इमाम राज़ी रह० फ़रमाते हैं "पहली बार हदीस की चाहत में घर से निकला तो सात साल तक सफ़र में रहा।" इमाम ज़ेहबी रह० ने इमाम बुख़ारी रह० के बारे में लिखा है कि अपने शहर बुख़ारा के उलमा से इल्म हदीस हासिल करने के बाद इमाम बुख़ारी रह० बल्ख़ बग़दाद, मक्का, बसरा, कूफ़ा, शाम, अस्क़लान, हमस और दमिश्क़ के उलमा से इल्म हदीस हासिल किया। याह्या बिन सईद अलक़ितान रह० ने तलब हदीस की ख़ातिर अपने उस्ताद शोबा रह० के पास दस साल गुज़ारे, नाफ़ेअ बिन अब्दुल्लाह रह० फ़रमाते हैं "मैं इमाम मालिक रह० के पास चालीस या पैंतीस साल तक बैठा रहा रोज़ाना सुबह दोपहर और पिछले पहर हाज़िरी देता।" इमाम ज़ोहरी रह० फ़रमाते हैं मैंने सईद बिन मुसय्यब रह० की शागिर्दी में बीस साल गुज़ारे। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह० ने ग्यारह सौ मुहद्दिसीन से इल्म हासिल किया। इमाम मालिक रह० ने नौ सौ उस्तादों से हदीसें हासिल कीं। हिशाम बिन अब्दुल्लाह रह० ने सतरह सौ मुहद्दिसीन से हदीस का ज्ञान हासिल किया। अबू नईम इसबहानी रह० ने आठ सौ उलमाए हदीस के दर्स से लाभ हासिल किया।

उलमा हदीस ने तलब हदीस की ख़ातिर अपनी सारी सारी ज़िंदगियां ईमान व ईक़ान में इस शान से वक़्फ़ कर रखी थी कि उस घोर संघर्ष में घर बार की सारी पूंजी लुटाने के बाद भी बड़ी से बड़ी आज़माइश उनके पांव में डगमगाहट पैदा न कर सकी। इमाम मालिक रह० अपने उस्ताद रबीआ रह० के बारे में लिखते हैं कि इल्म हदीस की तलाश और जुस्तुजू में उनका हाल यह हो गया था कि घर की छत की कड़ियां तक बेच डालीं और इस हाल से भी गुज़रे कि ख़स व ख़ाशाक के ढेर से खजूरों के टुकड़े चुन चुनकर खाने पड़े। इल्म हदीस के इमाम याह्या बिन मुईन रह० के बारे में ख़तीब रह० ने यह रिवायत दर्ज की है कि याह्या बिन मुईन रह० ने इल्म हदीस हासिल करने

में साढ़े दस लाख दिरहम की रक़म ख़र्च कर डाली और नौबत यहां तक पहुंची कि उनके पास पांव में पहनने के लिए जूता तक बाक़ी न रहा। अली बिन आसिम रह० ने तलबे हदीस में एक लाख दिरहम, इमाम ज़ेहबी रह० ने ढेड़ लाख, इब्ने रुस्तम रह० ने तीन लाख, हिशाम बिन अब्दुल्लाह रह० ने सात लाख दिरहम ख़र्च किए। इमाम बुख़ारी रह० जैसे साहिबे सरवत और लाड प्यार में परवरिश पाने वाले व्यक्ति ने तलबे हदीस की ख़ातिर ग़रीबुल वतनी में कैसे कैसे समय देखे इसका अंदाज़ा इमाम मौसूफ़ के हम सबक़, उमर बिन हफ़्स रह० की बयान की गई इस घटना से लगाया जा सकता है "बसरा में हम मुहम्मद बिन इस्माईल (बुख़ारी) के साथ हदीस लिखा करते थे कुछ दिनों के बाद महसूस हुआ कि बुख़ारी रह० कई दिन से दर्स में नहीं आ रहे हैं। तलाश हुई हम लोग उनके घर पहुंचे तो देखा कि एक अंधेरी कोठरी में पड़े हैं, बदन पर ऐसा लिबास नहीं जिसे पहन कर बाहर निकल सकें। मालूम करने पर पता चला कि ख़र्च ख़त्म हो चुका है लिबास तैयार करने के लिए भी पैसे नहीं आख़िर छात्रों ने मिलकर रक़म जमा की, बुख़ारी रह० के लिए कपड़ा ख़रीद कर लाए तब वह हमारे साथ दर्सगाह में आने जाने लगे। इमाम अहमद बिन हंबल रह० इल्म हदीस के हुसूल के लिए यमन आए तो इज़ारबन्द बुनते और उन्हें बेच बेचकर अपनी ज़रूरियात पूरी करते रहे, जब फ़ारिग़ होकर यमन से जाने लगे तो नानबाई के मक़रूज़ थे अतएव अपना जूता क़र्ज़ में दे दिया ख़ुद नंगे पांव पैदल रवाना हो गए रास्ते में ऊंटों पर बोझ लादने और उतारने वाले मज़दूरों में शरीक हो गए जो मज़दूरी मिलती उसी से गुज़ारा करते।

तलब हदीस और इशाअते हदीस के लिए उलमाए हदीस की सख़्त मेहनत व मुशक़्क़त और क़ुरबानियों की दास्तान केवल उनकी दिन रात मेहनत और भूख प्यास की ज़िंदगी पर ही ख़त्म नहीं हो जाती बल्कि उस राहे वफ़ा में अधिकांश मुहद्दिसीने किराम को अपने समय की जाबिर और ज़ालिम हुकूमतों के क़हर व ग़ज़ब का निशाना भी बनना पड़ा। बनी उमैया के कार्य काल में (हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को छोड़कर) मुहम्मद बिन सीरीन, हसन बसरी, उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़ेअ, याहया बिन उबैद और इब्ने अबी कसीर रह० जैसे श्रेष्ठ मुहद्दिसीन को उमरा के अत्याचारों का निशाना बनना पड़ा। बनू अब्बास के कार्य काल में इमाम मालिक बिन अनस रह० की नंगी

पीठ पर कोड़े बरसाए गए। हज़रत सुफ़ियान सूरी रह० जैसे उच्च कोटि मुहद्दिस के क़त्ल का हुक्म दिया गया। इमाम शाफ़ई रह० को गिरफ़्तार करके पैदल दारुल ख़िलाफ़ा रवाना किया गया, जहां वह क़ैद व बन्द की यातनाओं का भी शिकार रहे। इमाम अहमद बिन हंबल रह० ने किताब व सुन्नत की ख़ातिर जो भयानक सितम उठाए वह तारीख़े इस्लाम का बड़ा ही शिक्षाप्रद अध्ययन है इमाम अबू हनीफ़ा रह० का जनाज़ा जेल की तंग व अंधेरी कोठरी से उठा। अल्लाह तआला की करोड़हा करोड़ रहमतें नाज़िल हों उन पाकबाज़ हस्तियों पर जिन्होंने हालात की सारी सितम रानियों के बावजूद हदीस रसूल सल्ल० की शमा को हर ज़माने की तेज़ आंधियों से महफ़ूज़ रखने का हक़ अदा किया।

इन जानी व वित्तीय क़ुरबानियों के साथ साथ उलमाए हदीस के इल्मी कारनामे भी सामने रहने चाहिएं, हदीस रसूल सल्ल० को क़ुबूल करने के मामले में सावधानी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि० और हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ि० गवाही के बिना किसी की हदीस क़ुबूल नहीं फ़रमाते थे। हज़रत अली रज़ि० रावी हदीस से क़सम लिया करते थे। हज़रत उसमान रज़ि० सावधानी हेतु हदीसें कम बयान फ़रमाते। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० हदीस बयान फ़रमाते तो ज़िम्मेदारी के एहसास से उनके चेहरे का रंग बदल जाता, हज़रत अनस रज़ि० सावधानी हेतु हदीस बयान करने के बाद "अव क़मा क़ाल" (या जैसे रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया) के शब्द अदा फ़रमाते ज़ब सहाबा किराम रज़ि० को मामूली सा सन्देह गुज़रता कि बुढ़ापे के कारण इनका हाफ़िज़ा कमज़ोर हो गया है तो वह हदीसें बयान करना छोड़ देते। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ि० से उनके बुढ़ापे के ज़माने में हदीस सुनाने को कहा जाता तो फ़रमाते "हम बूढ़े हो चुके हैं हाफ़िज़ा कमज़ोर हो गया है। हदीस रसूल सल्ल० बयान करना बड़ा कठिन काम है।" इमाम मालिक बिन अनस रह० फ़रमाते हैं हम मदीना के बहुत से मुहद्दिसीन को जानते हैं जो कुछ ऐसे सिक़ा मुत्तक़ी और परहेज़गार लोगों से भी हदीस क़ुबूल न करते जिन्हें अगर बैतुल माल का मुहाफ़िज़ बना दिया जाता तो एक पैसे की बेइमानी न करते। मशहूर मुहद्दिस याह्या बिन सईद रह० का कथन है कि "हम बहुत से लोगों पर दिरहम व दीनार का एतेबार करने को तैयार हैं लेकिन उनकी रिवायत की गई

अहादीस क़ुबूल नहीं कर सकते। मुहद्दिस मुईन बिन ईसा रह० फ़रमाते हैं "मैंने इमाम मालिक रह० से जो हदीसें रिवायत की हैं उनमें से एक एक हदीस तीस तीस बार सुनी है।" मुहद्दिस इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह अलहरवी रह० फ़रमाते हैं "मैं अपने उस्ताद हशीम रह० से जो हदीसें रिवायत करता हूं उन्हें कम से कम तीस तीस बार सुना है। मशहूर मुहद्दिस इब्राहीम बिन सईद अलजोहरी रह० फ़रमाते हैं "मुझे जब तक एक एक हदीस सो सौ तरीक़ों से नहीं मिलती मैं उस हदीस के बारे में अपने आपको यतीम ख़्याल करता हूं।"

अहादीस की जांच व पड़ताल के मामले में उलमा हदीस ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं वह इस क़द्र हैरान करने वाले हैं कि वर्तमान युग के "प्रगतिशील" और "बुद्धिजीवी" उनकी धूल को भी नहीं पहुंच सकते। मशहूर जर्मन मुतशरिक़ डॉक्टर स्प्रिंगर ने असाबा फ़ी अहवाल सहाबा के अंग्रेज़ी मुक़दमे में लिखा है :

"कोई क़ौम दुनिया में ऐसी गुज़री न आज मौजूद है जिसने मुसलमानों की तरह असमाउर्रिजाल जैसी महान कला ईजाद की हो जिसकी बदौलत आज पांच लाख आदमियों का हाल मालूम हो सकता है।"

मुहद्दिसीन किराम ने असमाउर रिजाल में एक एक रावी के अक़ीदे, ईमान, सदाचार, परहेज़गारी, अमानत, ईमानदारी, सच्चाई, क़ुव्वते हाफ़िज़ा, सूझ बूझ को जांच की कसौटी पर परखा और किसी भी बदले की तमन्ना या मलामत के ख़ौफ़ से ऊपर रहते हुए अपनी राय को स्पष्ट किया, अहादीस गढ़ने और हदीसों में झूठ की मिलावट करने वाले लोगों के नाम अलग अलग कर दिए। किसी हदीस में रावी ने अपनी तरफ़ से किसी शब्द की वृद्धि की तो उसकी निशानदेही की। कहीं सनद के बहाव में फ़र्क़ आया तो न केवल उसे स्पष्ट किया बल्कि सनद के आरंभ समापन या मध्य में विच्छेद की बुनियाद पर हदीस के अलग अलग दर्जे बनाए। बिदअती और बद अक़ीदा लोगों की हदीसों को अलग दर्जा दिया, वहमी और कमज़ोर हाफ़िज़ा वाले लोगों की हदीसों को अलग दर्जा दिया। कहीं रावियों के नाम उपनाम, उपाधी, बाप दादा या उस्तादों के नाम एक जैसे आ गए तो उसके लिए अलग उसूल गढ़ लिए इसी तरह सहीह हदीसों के मामले में भी दर्जा बन्दी की गई।

أَمَرَنَا ، نُهِينَا نَقُولُ أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ

जैसे शब्दों पर आधारित हदीसों का स्पष्टीकरण किया गया। रावियों की तादाद के हिसाब से हदीसों को अलग अलग नाम दिए गए। सहीह लेकिन प्रत्यक्ष में आपत्तिजनक हदीसों के बारे में नियम बनाए गए हदीसें रिवायत करते समय अख़-ब-र-ना, अर-बाना, ना-व-ल-ना, ज़-क-र-लना, जैसे प्रत्यक्ष में एक ही भाव के शब्द अलग अलग अवसरों और कैफ़ियत के लिए ख़ास किए गए। उलमा हदीस की इल्मी काविशों का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हदीस की हिफ़ाज़त के लिए उलमाए हदीस ने सौ से ज़्यादा उलूम की बुनियाद डाली जिस पर अब तक हज़ारों किताबें लिखी जा चुकी हैं।

हदीस पर आपत्तियां

हिफ़ाज़त हदीस के लिए उलमाए हदीस की जानी, माली और इल्मी कोशिशों पर एक नज़र डालने के बाद अब हम अपने असल विषय "इंकार हदीस" की तरफ़ पलटते हुए मुंकिरीन हदीस की आपत्तियों में से कुछ महत्वपूर्ण आपत्तियां यहां नक़ल कर रहे हैं।

1. जो हदीसें अक़्ल के ख़िलाफ़ हैं वे अविश्वसनीय हैं।

2. जो हदीसें क़ुरआन के ख़िलाफ़ हैं वे अविश्वसनीय हैं।

3. जो हदीसें तारीख़ी तथ्यों के ख़िलाफ़ हैं वे अविश्वसनीय हैं।

4. जो हदीसें साइंसी अनुभवों और मुशाहिदात के ख़िलाफ़ हैं वे अविश्वसनीय हैं।

5. हदीस रिवायत करने वाले थे तो बहरहाल इंसान ही हर सावधानी के बावजूद ख़ता की संभावना मौजूद है अतः मुहद्दिसीन किराम की तहक़ीक़ पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता।

6. जिन हदीसों में नंगेपन का उल्लेख है वे अविश्वसनीय हैं।

7. सहीह हदीसें के साथ साथ बड़ी तादाद में ज़ईफ़ और मौज़ू (मन गढ़त) हदीसों इस तरह गुड मुड हो गई हैं कि मुहद्दिसीन ने अपनी सूझ बूझ के मुताबिक़ जो हदीसें क़ुबूल कीं वे भी विश्वास करने योग्य नहीं।

8. हदीस के इमामों में से अधिसंख्या अहले फ़ारस की है जिन्होंने ईरानी

हुकूमत से मिलकर इस्लाम की हानि के लिए साज़िश की और असंख्य हदीसें गढ़ीं।

9. हदीसों का संकलन रसूले अकरम सल्ल० की पवित्र जीवनी के दो या अढ़ाई सौ साल बाद हुई अतः उन पर विश्वास करना मुमकिन नहीं।

हदीसों पर इन तमाम आपत्तियों का विस्तार से अवलोकन करना यहां संभव नहीं अतः हम यहां सबसे ज़्यादा प्रिय और आम लोगों की ज़बान पर आने वाली आपत्तियां जो कि हदीस के संकलन के बारे में है, का पूर्ण जवाब तहरीर करने पर बस करेंगे।

हदीस का संकलन

कहा जाता है कि हदीसों का संकलन रसूले अकरम सल्ल० की पवित्र जीवनी के दो या अढ़ाई सौ साल बाद उस समय हुआ जब इमाम बुख़ारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम नसाई और इमाम इब्ने माजा रह० आदि ने हदीसें संग्रहित करने का काम शुरू किया अतः हदीस का संग्रह किसी तरह भी विश्वसनीय नहीं।

सबसे पहले हम यह ग़लतफ़हमी दूर करना ज़रूरी समझते हैं कि रसूले अकरम सल्ल० के ज़माना अक़दस में लिखाई या किताब का रिवाज आम नहीं था और लोग केवल अपने हाफ़िज़े पर भरोसा करते थे। यहां हम उन सहाबा किराम के नाम दे रहे हैं जो दरबारे रिसालत के स्थाई कातिब थे। रसूले अकरम सल्ल० उनसे ज़रूरत पड़ने पर मुख़्तलिफ़ क़बाइल से सन्धि या पत्र या रक़ूम के हिसाबात या सरकारी आदेश या दीनी मसाइल आदि लिखवाने का काम लिया करते थे। हर सहाबी की अलग ड्यूटी का उल्लेख इतिहास की किताबों में मौजूद है।

1. हज़रत ख़ालिद बिन सईद बिन अलआस रज़ि०। 2. हज़रत मुगीरा बिन शौबा रज़ि०। 3. हज़रत हसीन बिन नमीर रज़ि०। 4. हज़रत जहीम बिन सलत रज़ि०। 5. हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ि०। 6. हज़रत माअक़ीब बिन अबी फ़ातिमा रज़ि०। 7. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अरक़म रज़ि०। 8. हज़रत अला बिन उक़बा रज़ि०। 9. हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ि०। 10. हज़रत उसमान बिन अफ़्फ़ान रज़ि०। 11. हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान

रज़ियल्लाहु अन्हुमा। 12. हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ि०। 13. हज़रत ज़ैद बिन साबित अंसारी रज़ि०। 14. हज़रत हंज़ला बिन रबीअ़ रज़ि०। 15. हज़रत अला बिन हज़रमी रज़ि०। 16. हज़रत इबान बिन सईद रज़ि०। 17. हज़रत उबई बिन काअब रज़ि०।

अहदे रिसालत के कुछ अन्य सहाबा किराम रज़ि० जो बाक़ायदा रसूलुल्लाह सल्ल० की ख़िदमत पर नियुक्त नहीं थे लेकिन लिखना पढ़ना जानते थे, ये हैं :

1. हज़रत काअब बिन मालिक रज़ि०। 2. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि०। 3. हज़रत फ़ातिमा बिन्ते ख़त्ताब रज़ि० 4. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि०। 5. हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत रज़ि०। 6. हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ि०। 7. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि०। 8. हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि०। 9. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उबई ऊफ़ा रज़ि०। 10. हज़रत सईद बिन उबादा रज़ि०। 11. हज़रत समरा बिन जुंदुब रज़ि०। 12. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि०। 13. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि०। 14. हज़रत हाज़ब बिन अबी बलतआ रज़ि०। 15. हज़रत अबू हुरैरह रज़ि०। 16. हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज रज़ि०। 17. हज़रत अबू राफ़ेअ मिस्री रज़ि०।

रसूले अकरम सल्ल० की विभिन्न सेवा करने के अलावा सहाबा किराम अपनी अपनी चाहत और इच्छा के मुताबिक़ रसूले अकरम सल्ल० की करनी व कथनी भी लिखते रहते थे। कुछ सहाबा किराम को स्वयं नबी अकरम सल्ल० ने हदीसें लिखने की इजाज़त दी। हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज रज़ि० फ़रमाते हैं कि हमने दरबारे रिसालत में अर्ज़ किया "या रसूलल्लाह सल्ल० हम लोग आप सल्ल० की ज़बान मुबारक से बहुत सी बातें सुनते हैं और उन्हें लिख लेते हैं। आप सल्ल० का इस बारे में क्या इरशाद है?" रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "लिख लिया करो इसमें कोई हरज नहीं।" हज़रत अबू राफ़ेअ मिस्री रज़ि० ने नबी अकरम सल्ल० से हदीसें लिखने की इजाज़त माँगी तो आप सल्ल० ने इजाज़त प्रदान कर दी। हज़रत अनस रज़ि० फ़रमाते हैं एक व्यक्ति ने शिकायत की कि उसे हदीसें याद नहीं रहतीं, तो नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया कि "अपने हाथ से मदद लो।" (अर्थात लिख लिया करो) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि० फ़रमाते हैं मैं रसूले अकरम

सल्ल० की ज़बान मुबारक से जो कुछ सुनता, लिख लिया करता, ताकि उसे याद कर लिया करूं। क़ुरैश ने मुझे ऐसा करने से मना किया और कहा कि मुहम्मद सल्ल० इन्सान हैं, कभी ग़ुस्से में भी बात कर देते हैं अतएव मैंने लिखना छोड़ दिया। फिर रसूले अकरम सल्ल० की सेवा में इसका ज़िक्र किया तो आप सल्ल० ने फ़रमाया "जो कुछ मुझसे सुनो ज़रूर लिख लिया करो, उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है मेरी ज़बान से हक़ के बिना कुछ नहीं निकलता।" हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ि० को रसूले अकरम सल्ल० ने ख़ास तौर पर अपनी ज़रूरत के तहत विदेशी भाषा लिखने और सीखने का हुक्म दे रखा था। यहां न लिखने वाली हदीस (अर्थात क़ुरआन के अलावा मुझसे कोई बात न लिखो) का स्पष्टीकरण करना भी ज़रूरी मालूम होता है। क़ुरआन उतरने के समय रसूले अकरम सल्ल० क़ुरआनी आयात के अलावा उनकी टीका व व्याख्या में जो कुछ इरशाद फ़रमाते सहाबा किराम उसे एक ही जगह लिख लेते थे। एक अवसर पर नबी अकरम सल्ल० ने पूछा : "यह क्या लिख रहे हो?" सहाबा ने कहा : "वही जो कुछ आप सल्ल० से सुनते हैं। "तब आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : "क्या अल्लाह की किताब के साथ साथ एक और भी किताब लिखी जा रही है। अल्लाह की किताब अलग करो और उसे ख़ालिस रखो।" रसूले अकरम सल्ल० के शब्दों से यह बात स्पष्ट हो रही है कि सहाबा किराम क़ुरआनी आयात और उनकी टीका (हदीसों) दोनों एक जगह लिख रहे थे जिसे आप सल्ल० ने अलग अलग रखने का हुक्म दिया न यह कि हदीसें लिखने की मनाही फ़रमाई। जब क़ुरआन मजीद पूरी तरह हिफ़्ज़ कर लिया गया तो मनाही का हुक्म आप से आप ख़त्म हो गया इस तफ़्सील के बाद हम नबवी काल (11 हि० तक) में लिखने और संकलन हदीस की मिसालें पेश कर रहे हैं। याद रहे कि रसूले अकरम सल्ल० की करनी व कथनी के अलावा वह चीज़ें जो आप सल्ल० ने ख़ुतूत, सन्धियों और सरकारी अफ़सरों के नाम आदेश व निर्देश की शक्ल में तैयार करवाएं वे सब हदीसों कहलाती हैं।

नबवी दौर में और सहाबा दौर में रज़ि० (110 हि० तक) में किताबत व संकलन हदीस

1. किताबुस्सदक़ा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० फ़रमाते हैं कि

रसूले अकरम सल्ल० ने अपनी ज़िंदगी के अन्तिम दिनों में सरकारी अफ़सरों को भेजने के लिए किताबुस्सदक़ा तहरीर करवाई जिसमें जानवरों की ज़कात के मसाइल थे। (तिर्मिज़ी)

2. सहीफ़ा अम्र बिन हज़म : रसूले अकरम सल्ल० ने यमन के गवर्नर हज़रत अम्र बिन हज़म रज़ि० को एक सहीफ़ा लिखवा कर भिजवाया जिसमें तिलावत क़ुरआन, नमाज़, ज़कात, तलाक़, ग़ुलाम आज़ाद करना, क़िसास (मक़्तूल का बदला), दैत (क़त्ल होने वाले का ख़ूं बहा) और फ़राइज़ व सुन्नत और कबीरा गुनाहों की तफ़्सील दर्ज थी।

(अहमद, अबू दाऊद, नसाई, दारे क़ुतनी, दारमी, हाकिम)

3. सहीफ़ा अली : रसूले अकरम सल्ल० ने हज़रत अली रज़ि० को एक सहीफ़ा लिखवा कर प्रदान किया था जिसके बारे में हज़रत अली रज़ि० फ़रमाते थे "वल्लाह हमारे पास पढ़ने लिखने की कोई किताब नहीं सिवाए अल्लाह की किताब और इस सहीफ़े के। मुझे यह सहीफ़ा रसूलुल्लाह सल्ल० ने अता फ़रमाया है इसमें ज़कात के मुसाइल लिखे हैं। (अहमद)

4. सहीफ़ा वाइल बिन हजर : हज़रत वाइल बिन हजर रज़ि० अपने वतन हज़रे मौत जाने लगे तो नबी अकरम सल्ल० ने उनके लिए नमाज़, ज़कात, निकाह, सूद, शराब आदि के मसाइल पर आधारित सहीफ़ा तैयार करवा के प्रदान किया। (तबरानी)

5. सहीफ़ा साअद बिन उबादा : हज़रत साअद बिन उबादा रज़ि० ने ख़ुद रसूलुल्लाह सल्ल० से हदीसें सुनकर यह सहीफ़ा मुरत्तब किया था।

(तिर्मिज़ी)

6. सहीफ़ा समरा बिन जुंदुब : हज़रत समरा बिन जुंदुब रज़ि० ने यह सहीफ़ा रसूलुल्लाह सल्ल० की पवित्र जीवनी में ही मुरत्तब फ़रमाया जो बाद में उनके बेटे हज़रत सलमान रज़ि० के हिस्से में आया। (हिफ़ाज़त हदीस)

7. सहीफ़ा जाबिर बिन अब्दुल्लाह : हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि० का मुरत्तब किया हुआ यह सहीफ़ा मनासिक हज की हदीसों पर मुश्तमिल था। (मुस्लिम)

8. सहीफ़ा अनस बिन मालिक : रसूले अकरम सल्ल० के ख़ास सेवक

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि० ने रसूले अकरम सल्ल० से स्वयं हदीसें सुनीं और लिखीं फिर रसूलुल्लाह सल्ल० को सुनाकर उनकी तस्दीक़ भी करवाई। (हाकिम)

9. सहीफ़ा अब्दुल्लाह बिन अब्बास : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० के पास हदीसों पर आधारित कई कुतुब थीं (तिर्मिज़ी) जब अब्दुल्लाह रज़ि० मर गए तो उनके पास एक ऊंट के बोझ के बराबर किताबें थीं। (इब्ने सअद)

10. सहीफ़ा सादिक़ा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अलआस रज़ि० के पास हदीसों का बहुत बड़ा भंडार था जिसके बारे में वह स्वयं फ़रमाया करते थे "सादिक़ा वह किताब है जिसे मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० से सीधे सीधे सुनकर लिखा है।"[1] (दारमी)

11. सहीफ़ा उमर बिन ख़त्ताब : इस सहीफ़ा में सदक़ात व ज़कात के आदेश मौजूद थे। इमाम मालिक रह० फ़रमाते हैं "मैंने हज़रत उमर रज़ि० की यह किताब स्वयं पढ़ी थी।" (मोत्ता इमाम मालिक)

12. सहीफ़ा उसमान : इस सहीफ़े में ज़कात के जुमला आदेश मौजूद थे। (बुख़ारी)

13. सहीफ़ा अब्दुल्लाह बिन मसऊद : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० के बेटे हज़रत अब्दुर्रहमान फ़रमाया करते थे कि यह सहीफ़ा उनके वालिद ने अपने हाथ से लिखा है। (आईना परवेज़ियत)

14. मुस्नद अबू हुरैरह : इसके नुस्ख़े सहाबा के दौर ही में लिखे गए उसकी एक नक़ल हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० के वालिद अब्दुल अज़ीज़ बिन मर्वान रह० गवर्नर मिस्र (मृत्यु 86 ई०) के पास मौजूद थी। (बुख़ारी)

15. ख़ुत्बा फ़तह मक्का : एक यमनी नागरिक अबू शाह की प्रार्थना पर रसूले अकरम सल्ल० ने अपना पूरा ख़ुत्बा करने का हुक्म दिया। (बुख़ारी)

---

1. सय्यद अबूबक्र ग़ज़नवी रह० की तहक़ीक़ के मुताबिक़ सहीफ़ा सादिक़ा में पांच हज़ार तीन सौ चौहत्तर (5374) से अधिक हदीसें थीं याद रहे कि बुख़ारी व मुस्लिम की ग़ैर मक्रूह हदीसों की तादाद चार हज़ार से अधिक नहीं। (किताबत हदीस अहद नबवी सल्ल० में)

16. रिवायात हज़रत आइशा सिद्दीक़ा : हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायात उनके शिष्य उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ि० ने लिखीं। (दीबाचा इंतख़ाब हदीस)

17. सहीफ़ा सहीहा : यह सहीफ़ा हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० ने मुरत्तब करके अपने शिष्य हमाम बिन मुंबा रह० को इमला कराया उसमें 138 हदीसों हैं जिनका ज़्यादातर संबंध आचरण से है यह सहीफ़ा हिन्द व पाक में प्रकाशित हो चुका है। याद रहे हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० की मृत्यु 59 हि० में हुई जिसका मतलब है कि यह बहुमूल्य इतिहासिक पुस्तक सहाबा के दौर की सर्वश्रेष्ठ यादगार है इस सहीफ़े का एक नुस्ख़ा जो छटी सदी में लिखा गया था प्रख्यात शोधकर्त्ता डा० हमीदुल्लाह साहब (पैरिस) ने दमिश्क़ के मक्तबा ज़ाहिरिया से मालूम किया। जबकि इस सहीफ़े का दूसरा नुस्ख़ा जो बारहवीं सदी में लिखा गया था मौसूफ़ ही ने बर्लिन लाइब्रेरी से मालूम किया दोनों क़लमी नुस्ख़ों का मुक़ाबला करने पर मालूम हुआ कि दोनों नुस्ख़ों की तमाम हदीसों में कोई फ़र्क़ नहीं। सहीफ़ा सहीहा जिसे सहीफ़ा हुमाम बिन मुंबा भी कहा जाता है, की तमाम हदीसें न केवल मुस्नद अहमद में अक्षरशः मौजूद हैं बल्कि तमाम अहादीस सिहाह सित्ता में हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० के हवाले से मिलती हैं मानो सहीफ़ा सहीहा इस बात का खुला सुबूत है कि हदीसें अहद नबवी सल्ल० और अहद सहाबा रज़ि० में लिखी जाती थीं और सहीफ़ा की तमाम हदीसों का मुस्नद अहमद और सिहाह सित्ता की दूसरी किताबों में उसी तरह एक ही जैसे शब्दों के साथ मौजूद होना हदीसों की सेहत का बहुत बड़ा सुबूत है।

18. सहीफ़ा बशीर बिन नहीक : हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० के एक दूसरे शिष्य बशीर बिन नहीक रह० ने मुरत्तब किया और हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० को सुनाकर उसकी तस्दीक़ कराई। (जामा बयानुल इल्म)

19. मक्तूबात हज़रत नाफ़ेअ : मक्तूबात हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० ने इमला करवाए और हज़रत नाफ़ेअ रज़ि० ने लिखे। (दारमी)

20. ख़ुतूत व वसाइक़ : हदीसों के बाक़ायदा किताबी ज़ख़ीरों के अलावा आप के तहरीर करवाए हुए ख़ुतूत व वसाइक़ की तादाद सैकड़ों में है जिनमें से कुछ एक ये हैं :

1. दस्तूरी मुआहिदा : हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में इस्लामी

रियासत की बुनियाद रखते ही आप सल्ल० ने मुस्लिमों और ग़ैर मुस्लिमों के अधिकारों व कर्तव्य पर आधारित 53 धाराओं का एक दस्तूरी मुआहिदा तय किया जिसे तहरीर करवाया गया। (इब्ने हिशाम)

2. सुलह हुदैबिया के बाद रसूलुल्लाह सल्ल० ने क़ैसर व किसरा मक़ूक़स और नजाशी के अलावा बहरीन, अमान, दमिश्क़, यमामा, नजद, दोमतुल जुंदब और क़बीला हमीर के हाकिमों को दावती ख़ुतूत भिजवाए।

(रसूलुल्लाह सल्ल० की सियासी ज़िंदगी)

3. एक लश्कर को जंग पर रवाना फ़रमाते हुए रसूलुल्लाह सल्ल० ने लश्कर के सरदार को एक ख़त लिखवा कर दिया और फ़रमाया फ़लां जगह पर पहुंचने से पहले इसे न पढ़ा जाए इस स्थान पर पहुंचकर लश्कर के सरदार ने ख़त खोला और लोगों को रसूलुल्लाह सल्ल० का हुक्म पढ़कर सुनाया।

(बुख़ारी)

4. दौराने हिजरत सुराक़ा बिन मालिक को परवाना अम्न लिखवाया गया। (इब्ने हिशाम)

5. अपने ग़ुलाम हज़रत राफ़ेअ रज़ि० और हज़रत अलाई रज़ि० को आज़ाद करते समय तहरीरी परवाना आज़ादी इनायत फ़रमाया। (मुक़दमा सहीफ़ा सहीहा, मुस्नद अहमद)

6. 2 हि० में क़बीला बनीं जमरा, 5 हि० में फ़राज़ा और बनी ग़ितफ़ान, 6. हि० में क़ुरैश मक्का और 9 हि० में अकीदर बिन अब्दुल मलिक से तहरीरी मुआहिदे तय क़िए गए। (तबरानी, इब्ने सअद, इब्ने हिशाम, अलसाइक़)

7. यहूद ख़ैबर को एक सहाबी के क़त्ल करने पर दैत अदा करने का तहरीरी हुक्म जारी फ़रमाया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

8. गवर्नर यमन हज़रत मुआज़ रज़ि० के लड़के की वफ़ात पर तहरीरी ताज़ियत नामा इरसाल फ़रमाया। (मुस्तदरक हाकिम)

9. हज़रत यमामा रज़ि० को अहले मक्का के लिए ग़ल्ला न रोकने की तहरीरी हिदायत जारी फ़रमाई। (फ़तहुल बारी)

10. हज़रत बिलाल बिन हारिस मुज़नी रज़ि० को जबल क़दस के दामन में जगह देने के लिए तहरीरी हुक्म नामा जारी फ़रमाया। (अबू दाऊद)

11. विभिन्न क़बाइल के नाम दैत के मसाइल लिखवा कर भिजवाए।

(मुस्लिम)

ताबईन के दौर (181 हि० तक) में हदीसें लिखना व संकलन

ताबईन के दौर में हदीस के इमामों की एक ऐसी जमाअत तैयार हो गई जिसने अहद नबवी सल्ल० और अहद सहाबा में लिखी और जमा की गई हदीसों के साथ साथ दूसरी हदीसें भी शामिल करके हदीसों के भारी संग्रह तैयार कर दिए। इस दौर की कुछ तहरीरी काविशें निम्न हैं—

1. हज़रत उर्वा रज़ि० ने ग़जवात के बारे में हदीसें का संग्रह मुरत्तब किया। (तहज़ीबुत्तहज़ीब जिल्द 7)

2. हज़रत ताऊस रह० ने दैत के बारे में हदीसें जमा कीं। (बैहेक़ी)

3. हज़रत ख़ालिद बिन मादान अलकलाई रह० ने विभिन्न हदीसें जमा कीं। (तज़्किरतुल हुफ़्फ़ाज़ जिल्द 1)

4. हज़रत वहब बिन मुनब्बा रज़ि० ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि० की रिवायतों का मज्मूआ तैयार किया। (तहज़ीबुत्तहज़ीब)

5. हज़रत सलमान रह० लश्करी ने भी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की हदीसों का एक संग्रह तैयार किया। (तहज़ीबुत्तहज़ीब)

6. हज़रत अबुज़्ज़नाद रह० ने अपने उस्ताद से हलाल व हराम के मुताल्लिक़ तमाम हदीसें तहरीर कीं। (जामेअ बयानुल इल्म, जिल्द 1)

7. इमाम मालिक रह० ने हदीस शरीफ़ का मुस्तनद संग्रह "मौत्ता इमाम मालिक" के नाम से मुरत्तब किया जिसे हदीस की किताबों में प्रमुख स्थान हासिल है।

8. मुहम्मद बिन मुस्लिम बिन शहाब ज़ोहरी रह० ने छात्रावस्था में सुनन व आसार सहाबा नोट किए। (जामेअ बयानुल इल्म, जिल्द 1)

9. हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रह० ने अपने कार्य काल (सफ़र 99 हि० रजब 101 हि०) में हदीस के संकलन के लिए हुकूमती सतह पर व्यवस्था की इस उद्देश्य के लिए इस्लामी राज्य के तमाम माहिर मुहद्दिसीन को हदीसों की जमा व संकलन का आदेश पारित किया जिसके नतीजे में हदीसों के बहुत से संग्रह राजधानी दमिश्क़ में पहुंच गए। उन संग्रहों की तहक़ीक़ व तर्तीब श्रेष्ठ ताबई और मशहूर मुहद्दिस मुहम्मद बिन शहाब ज़ोहरी (मृत्यु 124 हि०) ने की और उनकी नक़लें इस्लामी राज्य के कोने कोने में फैला दी गईं।

इस ज़माने में हदीस के संकलन पर काम करने वाले दूसरे मुहद्दिसीन के

असमाए गरामी ये हैं :–

1. अब्दुल अज़ीज़ बिन जरीह अल बसरी रह० मक्का मुकर्रमा में रहते थे 150 हि० में देहान्त हुआ।

2. मुहम्मद बिन इस्हाक़ रह० मदीना मुनव्वरा में रहते थे 151 हि० में मृत्यु हुई।

3. सईद बिन राशिद रह० यमन में रहते थे 153 हि० में मृत्यु हुई।

4. सईद बिन उरूबा रह० बसरा में रहते थे 156 हि० में देहान्त हुआ।

5. अब्दुर्रहमान बिन अम्र औज़ाई रह० शाम में रहते थे 157 हि० में मृत्यु हुई।

6. मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान मदीना मुनव्वरा में रहते थे 158 हि० में मृत्यु हुई।

7. रबीअ बिन सबीह रह० बसरा में रहते थे 160 हि० में मृत्यु हुई।

8. सुफ़ियान सूरी रह० कूफ़ा में रहते थे 161 हि० में मृत्यु हुई।

9. जमाद बिन अबी सलमा रह० बसरा में रहते थे। वहीं 167 हि० में मृत्यु हुई।

10. मालिक बिन अनस रह० मदीना मुनव्वरा में रहते थे 179 हि० में मृत्यु हुई।

11. इमाम शाबी, इमाम ज़ोहरी, इमाम मक्हूल और क़ाज़ी अबूबक्र हज़मी रह० की महत्वपूर्ण किताबें ताबईन के दौर ही की यादगार हैं। (हिफ़ाज़त हदीस)

12. जामेअ सुफ़ियान सूरी, जामेअ इब्नुल मुबारक, जामेअ इमाम औज़ाई, जामेअ इब्ने जरीह, मुसनद अबू हनीफ़ा, किताबुल ख़िराज क़ाज़ी अबू यूसुफ़, किताबुल आसार इमाम मुहम्मद जैसी उच्च कोटि की किताबें इसी दौर में लिखी गईं। (आईना परवेज़ियत, हिस्सा चार)

ताबईन के दौर के बाद

ताबईन के दौर (181 हि०) में हदीस संकलन की इन कोशिशों के बाद यह काम इतना तेज़ी से हुआ कि तीसरी सदी में केवल मुस्नद की तर्ज़ पर मुरत्तब की गई किताबों की तादाद सौ से अधिक है इसी मुबारक दौर में हदीस शरीफ़ की सबसे ज़्यादा प्रिय और किताबें सुनन दारमी सहीह बुख़ारी,

सहीह मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, जामेअ तिर्मिज़ी, सुनन इब्ने माजा, सुनन नसाई मुरत्तब की गईं।

उपरोक्त उल्लिखित तथ्य को देखते हुए हम पूरे विश्वास से यह कह सकते हैं कि :

- पहला, हदीसें सहीहा का ग़ालिब तरीन हिस्सा रसूलुल्लाह सल्ल० के पवित्र जीवन में लिखा जा चुका था।
- दूसरा, चूंकि अहदे नबवी सल्ल० और अहदे सहाबा रज़ि० का तमाम तहरीरी सरमाया ताबईन की मुरत्तब की हुई किताबों में मौजूद है अतः हदीस लिखने और हदीस के संकलन की कोशिश में अहदे नबवी सल्ल० से लेकर आज तक कहीं भी रुकावट पैदा नहीं हुई।
- तीसरे, हदीस सहीहा का जो संग्रह आज हमारे पास मौजूद है वह निःसन्देह ठीक ठीक वैसा ही एक महफ़ूज़ और मज़बूत ज़ंजीर की जुड़ी कड़ियों के ज़रिए रसूले अकरम सल्ल० की ज़िन्दगी से बाद में आने वाली नस्लों में मुंतक़िल हुआ है।

पाठक गण! अंदाज़ा लगाइए कि रसूले अकरम सल्ल० के दो या अढ़ाई सौ साल बाद हदीस के संकलन का प्रोपगंडा कितना निराधार और मन गढ़त है असल में हदीस के ख़िलाफ़ इस सारी शरारत का अस्ल उद्देश्य इन्हीं आपत्तियों के पर्दे में मुस्लिम समाज को किताब व सुन्नत की पाबन्दियों से आज़ाद कराना और मग़रिब की नंगी आज़ाद तहज़ीब को मुसलमानों पर थोपना है जिसमें मुंकिरीन हदीस इंशाअल्लाह कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे।

अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वामे मग़रिब से न कर
ख़ास है तरकीब में क़ौम रसूले हाशमी

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया :

मन अताअ़नी द-ख़-लल जन्नह

"जिसने मेरी आज्ञा का पालन किया वह जन्नत में दाख़िल होगा।"

(इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है)

नीयत के मसाइल

मसला 1 : आमाल के अज्र व सवाब का आधार नीयत पर है।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَو إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ** رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ (١)

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना है कि "आमाल का आधार नीयतों पर है" हर व्यक्ति को वही मिलेगा जिसकी उसने नीयत की। अतः जिस व्यक्ति ने दुनिया हासिल करने की नीयत से हिजरत की उसे दुनिया मिलेगी और जिसने किसी औरत से निकाह के लिए हिजरत की उसे औरत ही मिलेगी। तो मुहाजिर की हिजरत का बदला वही है जिसके लिए उसने हिजरत की।[1] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ** رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया कि "अल्लाह तुम्हारी शक्ल व सूरत और मालों (की मात्रा) को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे दिलों और कर्मों (के ख़ुलूस) को देखता है।"[2] इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

---

1. अध्याय केफ़,
2. किताबुल बर,

تَعْرِيْفُ السُّنَّةِ

सुन्नत की परिभाषा

मसला 2 : सुन्नत का शाब्दिक अर्थ तरीक़ा या रास्ता है (चाहे अच्छा हो या बुरा)।

عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (١)

हज़रत अबू जुहैफ़ा रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "जिस व्यक्ति ने कोई अच्छा तरीक़ा जारी किया और उसके बाद उस पर अमल किया गया, तो जारी करने वाले को अपने अमल का सवाब भी मिलेगा और उस अच्छे तरीक़े पर चलने वाले दूसरे लोगों के अमल का सवाब भी मिलेगा जबकि अमल करने वाले लोगों के अपने सवाब से कोई कमी नहीं की जाएगी और जिस व्यक्ति ने कोई बुरा तरीक़ा जारी किया जिस पर उसके बाद अमल किया गया तो उस पर अपना गुनाह भी होगा और उन लोगों का गुनाह भी जिन्होंने उस पर अमल किया जबकि बुरे तरीक़े पर अमल करने वाले लोगों के अपने गुनाहों से कोई कमी नहीं की जाएगी।"[1] इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

मसला 3 : शरई परिभाषा में सुन्नत का मतलब रसूले अकरम सल्ल० का तरीक़ा है।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰـهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ: فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢)

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी पहला भाग, हदीस 172।

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "जिसने मेरे तरीक़े पर चलने से बचना चाहा वह मुझसे नहीं।"[1] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَلٰى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)

हज़रत तलहा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ़ रज़ि० कहते हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० के पीछे नमाज़े जनाज़ा पढ़ी, तो उन्होंने उसमें सूरत फ़ातिहा पढ़ी और फ़रमाया : "(मैंने यह इसलिए पढ़ी है ताकि) लोगों को पता लग जाए कि यह नबी सल्ल० का तरीक़ा है।"[2] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 4 : सुन्नत की तीन क़िस्में हैं : 1. कथन वाली सुन्नत, 2. व्यवहारिक सुन्नत, 3. उपदेश वाली सुन्नत।

मसला 5. रसूले अकरम सल्ल० का ज़बानी इरशाद मुबारक "कथन वाली सुन्नत" कहलाता है जिसकी मिसाल यह है :

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "अगर खाना खाने से पहले "बिस्मिल्लाह" न पढ़ी जाए तो शैतान उस खाने को अपने लिए हलाल समझ लेता है।"[3] इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 6 : रसूले अकरम सल्ल० के व्यवहार को "व्यवहारिक सुन्नत" कहते हैं जिसकी मिसाल यह है :

عَنْ نُعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا لِلصَّلَاةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ (٣) (صَحِيْح)

---

1. किताबुन्निकाह, बाब तर्ग़ीब फ़िन्निकाह।
2. किताबुल जनाइज़।
3. किताबुल अतअमा।

हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ि० फ़रमाते हैं : "जब हम नमाज़ के लिए खड़े होते तो रसूलुल्लाह सल्ल० हमारी पंक्तियां दुरुस्त फ़रमाते जब हम सीधे खड़े हो जाते तो फिर "अल्लाहु अकबर" कहकर नमाज़ शुरू फ़रमाते।"[1] इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

मसला 7. रसूले अकरम सल्ल० की मौजूदगी में जो काम किया गया हो और आप सल्ल० ने ख़ामोशी फ़रमाई हो या उस पर पसन्दीदगी की हो उसे "उपदेश वाली सुन्नत" कहते हैं जिसकी मिसाल यह है।

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَأَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ** فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ (١) (صَحِيْح)

हज़रत क़ैस बिन अम्र रज़ि० कहते हैं "नबी अकरम सल्ल० ने एक आदमी को सुबह की नमाज़ के बाद दो रकअतें पढ़ते देखा तो फ़रमाया : "सुबह की नमाज़ तो दो रकअत है" उस आदमी ने जवाब दिया "मैंने फ़र्ज़ नमाज़ से पहले की दो रकअतें नहीं पढ़ी थीं अतः अब पढ़ी हैं।" रसूलुल्लाह सल्ल० यह जवाब सुनकर ख़ामोश हो गए (अर्थात इसकी इजाज़त दे दी।)[2] इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण : सुन्नत की तीनों क़िस्में एक ही दर्जे की हैं और शरीअत में तर्क का दर्जा रखती हैं।

---

1. सहीह सुनन इब्ने दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 619।
2. सहीह सुनन इब्ने दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 1128।

اَلسُّنَّةُ فِیْ ضَوْءِ الْقُرْآنِ

सुन्नत क़ुरआन मजीद की रौशनी में

मसला 8 : दीन के मामले में रसूले अकरम सल्ल० के हुक्म का पालन करना फ़र्ज़ है।

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْآ أَطِيْعُوا اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ○ (٨:٢٠)

"ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो! अल्लाह और उसके रसूल का पालन करो और बात सुन लेने के बाद उससे मुंह न मोड़ो।" (सूरह अनफ़ाल : 20)

وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○ (٢٤:٥٦)

"नमाज़ क़ायम करो, ज़कात दो और रसूल का पालन करो, उम्मीद है कि तुम पर रहम किया जाएगा।" (सूरह नूर : 56)

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ○ (٤:٨٠)

"जिसने रसूलुल्लाह की आज्ञा का पालन किया उसने असल में अल्लाह की आज्ञा का पालन किया और जिसने रसूल की आज्ञा का पालन से मुंह फैरा (उसका वबाल उसी पर होगा) हमने आपको उन पर पासबान बनाकर नहीं भेजा।" (सूरह निसा : 80)

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ ○ (٤:٦٤)

"हमने जो भी रसूल भेजा है वह इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसका पालन किया जाए।" (सूरह निसा : 64)

وَأَطِيْعُوا اللهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ○ (٣:١٣٢)

"अल्लाह और रसूल सल्ल० की आज्ञा का पालन करो ताकि तुम पर रहम किया जाए।" (सूरह आले इमरान : 132)

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ (٥٩:٤)

"ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो! अल्लाह और उसके रसूल सल्ल० की आज्ञा का पालन करो और उन लोगों की जो तुममें से अच्छे हों। फिर अगर तुम्हारे बीच किसी भी मामले में मतभेद पैदा हो जाए तो उसे अल्लाह और उसके रसूल सल्ल० की तरफ़ पलटा दो अगर तुम वास्तव में अल्लाह और परलोक पर ईमान रखते हो यही एक सही तरीक़ा है और सवाब के हिसाब मे भी अच्छा है।" (सूरह निसा : 59)

स्पष्टीकरण : अल्लाह तआला की तरफ़ लौटने का मतलब क़ुरआन पाक की तरफ़ रुजूअ करना है और रसूल सल्ल० की तरफ़ लौटने का मतलब आप की पवित्र जीवनी में आप सल्ल० की पवित्र ज़ात थी लेकिन आप सल्ल० की वफ़ात के बाद उससे मुराद आपकी पवित्र सुन्नत और हदीसें मुबारका हैं।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ (٦٥:٤)

"ऐ मुहम्मद सल्ल०! तुम्हारे रब की क़सम, लोग कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने (तमाम) आपसी विवादों में तुमको फ़ैसला करने वाला न मान लें फिर जो भी फ़ैसला तुम करो उस पर अपने दिलों में कोई तंगी महसूस न करें बल्कि स्वेच्छा से मान लें।" (सूरह निसा : 65)

يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوٓا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا أَعْمَالَكُمْ ۝ (٤٧:٣٣)

"ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो! अल्लाह और उसके रसूल का पालन करो (और पालन से मुंह मोड़कर) अपने कर्म नष्ट न करो।"

(सूरह मुहम्मद : 33)

وَمَآ آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ (٧:٥٩)

"जो कुछ रसूल तुम्हें दे वह ले लो और जिस चीज़ से तुम्हें रोक दे उससे

रुक जाओ और अल्लाह से डरो बेशक अल्लाह सख़्त यातना देने वाला है।"
(सूरह हश्र : 7)

मसला 9 : रसूले अकरम सल्ल० का पालन और अनुसरण, कामयाबी की ज़मानत है।

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُونَ ○ (٥٢:٢٤)

"जो लोग अल्लाह और उसके रसूल का पालन करें अल्लाह से डरें और उसकी अवज्ञा से बचें वही कामयाब हैं।" (सूरह नूर : 52)

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○ (٥١:٢٤)

"ईमान लाने वालों का काम तो यह है कि जब वह अल्लाह और उसके रसूल की तरफ़ बुलाए जाएं ताकि रसूल उनके मामलात का फ़ैसला करे तब वे कह दें हमने बात सुन ली और आज्ञा पालन किया ऐसे लोग ही कामयाब होने वाले हैं।" (सूरह नूर : 51)

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ○ (٧١:٣٣)

"जिसने अल्लाह और उसके रसूल का पालन किया उसने बड़ी कामयाबी हासिल की।" (सूरह अहज़ाब : 71)

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خٰلِدِينَ فِيهَا وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○ (١٣:٤)

"जो व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल का पालन करेगा अल्लाह उसे ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी जहां वह सदैव रहेगा और यही सबसे बड़ी कामयाबी है।" (सूरह निसा : 13)

मसला 10. अल्लाह और रसूल सल्ल० के हुक्म के मुताबिक़ किए गए कर्मों का भरपूर बदला व सवाब मिलेगा।

وَإِنْ تُطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

(١٤:٤٩)

"अगर तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल का पालन करोगे तो तुम्हारे कर्मों के अज्र व सवाब में अल्लाह कोई कमी नहीं करेगा (पालन करने वालों के लिए) अल्लाह निश्चय ही बख़्शने वाला और रहम फ़रमाने वाला है।"

(सूरह हुजुरात : 14)

मसला 11 : गुनाहों की मग़फ़िरत रसूले अकरम सल्ल० के अनुसरण के साथ बंधी है।

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ (٣١:٣).

"ऐ नबी! इनसे कह दो कि "अगर तुम (वास्तव में) अल्लाह से मुहब्बत करते हो तो मेरा अनुसरण करो अल्लाह तुम से मुहब्बत करेगा और तुम्हारी त्रुटियों को माफ़ फ़रमाएगा। वह बड़ा माफ़ करने वाला और दयावान है।"

(सूरह आले इमरान : 31)

मसला 12 : अल्लाह और रसूल सल्ल० का पालन करने वाले लोग क़ियामत के दिन नबियों, सिद्दीक़ों, शहीदों और नेक लोगों के साथ होंगे।

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَالرَّسُوْلَ فَأُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ○ (٦٩:٤)

"जो लोग अल्लाह और रसूल का पालन करेंगे वे (क़ियामत के दिन) उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फ़रमाया है। अर्थात अंबिया, सिद्दीक़ीन, शहीद और सालेहीन। उन लोगों की संगत कितनी अच्छी है।"

(सूरह निसा : 69)

मसला 13 : अल्लाह और रसूल सल्ल० पर ईमान लाने के बावजूद कुछ लोग व्यवहार में अल्लाह और रसूल सल्ल० का हुक्म नहीं मानते ऐसे लोग मोमिन नहीं।

وَيَقُوْلُوْنَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُوْلِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَمَآ أُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ○ وَإِذَا دُعُوْآ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ○ (٤٧-٤٨:٢٤)

"लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और रसूल (सल्ल०) पर ईमान लाए हैं

और हमने आज्ञा पालन क़ुबूल किया है फिर (इक़रार करने के बाद) उनमें से एक गिरोह (आज्ञा पालन से) मुंह फेर लेता है। ऐसे लोग कदापि मोमिन नहीं (क्योंकि) जब उनको अल्लाह और रसूल सल्ल० की तरफ़ बुलाया जाता है ताकि रसूल सल्ल० उनके बाहमी मामलात का फ़ैसला करें तो उनमें से एक पक्ष कतरा जाता है।" (सूरह नूर : 47-48)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ○ (٤:٦١)

"जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज़ की तरफ़ जो अल्लाह ने उतारी है और आओ रसूल की तरफ़ तो उन कपटियों को तुम देखते हो कि तुम्हारी तरफ़ आने से रुक जाते हैं।" (सूरह निसा : 61)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ○ (٣:٣٢)

"ऐ नबी! कह दीजिए "अल्लाह और रसूल का पालन करो और अगर लोग अल्लाह और रसूल के आज्ञा पालन से मुंह मोड़ें (तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि) अल्लाह निश्चय ही काफ़िरों को पसन्द नहीं करता।"
(सूरह आले इमरान : 32)

मसला 14 : अल्लाह और रसूल सल्ल० का पालन न करने का नतीजा आपसी फूट और लड़ाई झगड़े हैं।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ○ (٨:٤٦)

"(ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो!) अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करो और आपस में झगड़ा न करो वरना तुम्हारे अंदर कमज़ोरी पैदा हो जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। सब्र से काम लो अल्लाह तआला निश्चय ही सब्र करने वालों के साथ है।" (सूरह अनफ़ाल : 46)

मसला 15 : रसूलुल्लाह सल्ल० के हुक्म की मौजूदगी में किसी दूसरे के हुक्म पर अमल करने की दीने इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं।

मसला 16 : अल्लाह और रसूल सल्ल० की अवज्ञा खुली गुमराही है।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ○ (٣٣:٣٦)

"किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत को यह हक़ नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फ़ैसला कर दे तो फिर उसे अपने मामले में स्वयं फ़ैसला करने का हक़ हासिल रहे और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की अवज्ञा करे वह खुली गुमराही में पड़ गया।"

(सूरह अहज़ाब : 36)

मसला 17 : अल्लाह और रसूल सल्ल० की अवज्ञा करने वाले अपने अंजाम के स्वयं ज़िम्मेदार होंगे।

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. —(٥:٩٢)

"लोगो! अल्लाह और रसूल सल्ल० की आज्ञा का पालन करो और अवज्ञा करने से रुक जाओ लेकिन अगर तुमने हुक्म न माना तो जान लो कि हमारे रसूल सल्ल० पर साफ़ साफ़ पैग़ाम पहुंचा देने के अलावा कोई ज़िम्मेदारी नहीं।" (सूरह माइदा : 92)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٦٤:١٢)

"अल्लाह और रसूल (सल्ल०) की बात मानो और अगर न मानोगे, तो याद रखो हमारे रसूल सल्ल० पर साफ़ साफ़ हक़ बात पहुंचा देने की ज़िम्मेदारी है।" (सूरह तग़ाबुन : 12)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ○ (٢٤:٥٤)

"(ऐ मुहम्मद सल्ल०!) कह दीजिए कि अल्लाह की आज्ञा का पालन करो रसूल सल्ल० की आज्ञा का पालन करो और अगर नहीं करते तो अच्छी तरह समझ लो कि रसूल सल्ल० पर जिस (फ़र्ज़ अर्थात रिसालत) का बोझ डाला गया है वह केवल उसी का ज़िम्मेदार है और तुम पर जिस (फ़र्ज़ अर्थात

आज्ञा पालन) का बोझ डाला गया है उसके ज़िम्मेदार तुम हो अगर रसूल की आज्ञा का पालन करोगे तो हिदायत पाओगे वरना रसूल की ज़िम्मेदारी इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि साफ़ साफ़ हुक्म पहुंचा दे।" (सूरह तौबा : 54)

मसला 18 : अल्लाह और रसूल सल्ल० की अवज्ञा करने की सज़ा जहन्नम और भयानक अज़ाब है।

وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ○ (١٧:٤٨)

"जो व्यक्ति अल्लाह और रसूल सल्ल० की आज्ञा का पालन करेगा उसे अल्लाह उन जन्नतों में दाख़िल फ़रमाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी और जो व्यक्ति अल्लाह और रसूल सल्ल० की आज्ञा का पालन से मुंह फेरेगा वह उसे दुख दायी अज़ाब देगा।" (सूरह फ़तह : 17)

मसला 19 : हीले और बहाने तलाश करके अल्लाह और रसूल सल्ल० के आदेशों से बचना दर्दनाक अज़ाब का कारण है।

لَا تَجْعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○ (٦٣:٢٤)

"मुसलमानो! रसूल सल्ल० के बुलाने को अपने बीच एक दूसरे को बुलाने की तरह न समझ बैठो, अल्लाह उन लोगों को भली प्रकार जानता है जो तुममें से एक दूसरे की आड़ लेते हुए चुपके से खिसक जाते हैं रसूल (सल्ल०) के हुक्म का उल्लंघन करने वालों को डरना चाहिए कि वह किसी फ़ितने में गिरफ़्तार न हो जाएं या उन पर दर्दनाक अज़ाब न आ जाए।" (सूरह नूर : 63)

فَضْلُ السُّـنَّةِ

सुन्नत की श्रेष्ठता

मसला 20 : सुन्नत का अनुसरण करने वालों को रसूलुल्लाह सल्ल० ने जन्नत की शुभ सूचना दी है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُـونَ الْجَنَّـةَ إِلَّا مَنْ أَبٰى قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَمَنْ يَأْبٰى قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّـةَ وَمَـنْ عَصَـانِي فَقَدْ أَبٰى رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "मेरी उम्मत के सारे लोग जन्नत में जाएंगे, सिवाए उन लोगों के जिन्होंने इंकार किया।" सहाबा किराम रज़ि० ने अर्ज़ किया : "या रसूलल्लाह सल्ल०! इंकार किसने किया?" आप सल्ल० ने फ़रमाया : "जिसने मेरी आज्ञा का पालन किया वह जन्नत में दाख़िल होगा, जिसने मेरी अवज्ञा की उसने इंकार किया।" (और वह जन्नत में नहीं जाएगा)[1] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 21 : रसूलुल्लाह सल्ल० का पालन और फ़रमांबरदारी अल्लाह की आज्ञा और फ़रमांबरदारी है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ: مَنْ أَطَـاعَنِي فَقَـدْ أَطَـاعَ اللّٰـهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُطِـعِ الْـأَمِيرَ فَقَـدْ أَطَـاعَنِي وَمَـنْ يَعْصِ الْـأَمِيرَ فَقَـدْ عَصَانِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "जिसने मेरा पालन किया उसने अल्लाह का पालन किया जिसने मेरी अवज्ञा की उसने अल्लाह की अवज्ञा की और जिसने अमीर का पालन किया उसने मेरा पालन किया और जिसने अमीर की अवज्ञा की उसने मेरी अवज्ञा की।"[2]

1. किताबुल एहसाम, बिल किताब वस्सुन्नह, बाब इक़्तदा।
2. मुख़्तसर सहीह मुस्लिम लिल अलबानी, हदीस 1223।

इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण : अमीर की आज्ञा का पालन किताब व सुन्नत के आदेशों के साथ बंधा है।

मसला 22 क़ुरआन व सुन्नत पर सख़्ती से अमल करने वाले लोग गुमराहियों से बचे रहेंगे।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ اَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلٰكِنْ رَضِيَ اَنْ يُطَاعَ فِيْمَا سِوَاى ذٰلِكَ مِمَّا تَحَاقَرُوْنَ مِنْ اَعْمَالِكُمْ فَاحْذَرُوْا اَنِّيْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهٖ فَلَنْ تَضِلُّوْا اَبَدًا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهٖ رَوَاهُ الْحَاكِمُ (١) (حَسَنٌ)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने हज्जतुल विदाअ के अवसर पर ख़ुतबा देते हुए इरशाद फ़रमाया : "शैतान इस बात से निराश हो चुका है कि इस धरती में कभी उसकी उपासना की जाएगी। अतः अब वह इसी बात पर सन्तुष्ट है कि (शिर्क के अलावा) वे कर्म जिन्हें तुम मामूली समझते हो उनमें उसका अनुसरण किया जाए, अतः (शैतान से हर समय) ख़बरदार रहो और (सुनो) मैं तुम्हारे बीच वह चीज़ छोड़े जा रहा हूं जिसे मज़बूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे और वह है अल्लाह की किताब और उसके नबी (सल्ल०) की सुन्नत।"[1] इसे हाकिम ने रिवायत किया है।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُمَا كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّتِيْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ (٢) (صَحِيْحٌ)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "मैं तुम्हारे बीच दो ऐसी चीज़ें छोड़े जा रहा हूं कि अगर उन पर अमल करोगे, तो कभी गुमराह नहीं होगे एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत।"[2] इसे हाकिम ने रिवायत किया है।

मसला 23 : उम्मत में मतभेद के समय नबी अकरम सल्ल० की सुन्नत

---

1. सहीह तर्ग़ीब वत तर्हीब, लिल अलबानी, पहला भाग, हदीस 36।
2. सहीह जामेअ सग़ीर लिल अलबानी, तीसरा भाग, हदीस 2934।

पर मज़बूती से जमे रहना ही निजात का कारण होगा।

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ! كَأَنَّ هٰذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ: أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّيْنَ الرَّاشِدِيْنَ، تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ. (١) (صحيح)

हज़रत इरबाज़ बिन सारिया रज़ि० कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्ल० ने हमें नमाज़ पढ़ाई नमाज़ के बाद हमारी तरफ़ ध्यान दिया और हमें प्रभावी उपदेश दिया जिससे लोगों के आंसू बह निकले और दिल कांप उठे। एक आदमी ने अर्ज़ किया : ''या रसूलल्लाह सल्ल० आप सल्ल० ने इस तरह उपदेश दिया है जैसे यह आप सल्ल० का आख़िरी उपदेश हो। ऐसे समय में आप हमें किस चीज़ की ताकीद फ़रमाते हैं? हमें कुछ वसीयत भी फ़रमा दीजिए।'' रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : ''मैं तुम्हें अल्लाह से डरने, अपने अमीर (शासक) की बात सुनने और उसका पालन करने की वसीयत करता हूं चाहे तुम्हारा शासक हब्शी ग़ुलाम ही क्यों न हो (और याद रखो) जो लोग मेरे बाद ज़िंदा रहेंगे वे उम्मत में बहुत ज़्यादा मतभेद देखेंगे। ऐसे हालात में मेरी सुन्नत पर अमल करने को अनिवार्य बना लेना और हिदायत पाए चारों ख़लीफ़ों के तरीक़े को थामे रखना और उस पर मज़बूती से जमे रहना और दीन में पैदा की नई बातों (बिदअतों) से बचना क्योंकि दीन में हर नई चीज़ बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है।''[1] इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

मसला 24 : सुन्नते रसूल सल्ल० ज़िंदा करने वाले को अपने सवाब के अलावा उन तमाम लोगों का सवाब भी मिलता है जो उसके बाद उस सुन्नत

---

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी तीसरा भाग, हदीस 3851।

पर अमल करते हैं।

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه(١) (صَحِيح)

हज़रत कसीर बिन अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन औफ़ मुज़नी रज़ि० फ़रमाते हैं कि मुझ से मेरे बाप ने, मेरे बाप से मेरे दादा ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "जिसने मेरी सुन्नतों में से कोई एक सुन्नत ज़िंदा की और लोगों ने उस पर अमल किया तो सुन्नत ज़िंदा करने वाले को भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना उस सुन्नत पर अमल करने वाले तमाम लोगों को मिलेगा जबकि लोगों के अपने सवाब में से कोई कमी नहीं की जाएगी और जिसने कोई बिदअत जारी की और फिर उस पर लोगों ने अमल किया तो बिदअत जारी करने वाले पर उन तमाम लोगों का गुनाह होगा जो उस बिदअत पर अमल करेंगे जबकि बिदअत पर अमल करने वाले लोगों के अपने गुनाहों की सज़ा से कोई चीज़ कम नहीं होगी (अर्थात वे भी पूरी पूरी सज़ा पाएंगे)।[1] इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

मसला 25 : सुन्नते रसूल सल्ल० दूसरों तक पहुंचाने वालों के लिए रसूलुल्लाह सल्ल० की दुआएं।

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَحْفَظُ مِنْ سَامِعٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه(٢) (صَحِيح)

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह रज़ि० अपने बाप से और वह नबी अकरम सल्ल० से रिवायत करते हैं कि आप सल्ल० ने फ़रमाया : "अल्लाह उस आदमी को हरा भरा रखे जिसने हमसे हदीस सुनी और उसे (ज्यूं का त्यूं) आगे पहुंचा दिया (क्योंकि) अक्सर वे लोग जिनको हदीस पहुंचाई गई हो, वे

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिलबानी पहला भाग, हदीस 173।

सुनने वालों से ज़्यादा याद रखने वाले होते हैं।''[1] इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ رَوَاهُ التِّرْمَذِيُّ (٢) (صَحِيْح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना है ''अल्लाह उस व्यक्ति को हरा भरा रखे जिसने हमसे कोई बात सुनी और उसको उसी तरह दूसरों तक पहुंचा दिया जिस तरह सुनी थी। (क्योंकि) बहुत से पहुंचाए जाने वाले सुनने वालों से ज़्यादा याद रखने वाले होते हैं।''[2] इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

---

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी पहला भाग, हदीस 189।
2. सहीह सुनन तिर्मिज़ी, लिल अलबानी दूसरा भाग, हदीस 2140।

أَهَمِّيَّةُ السُّنَّةِ

सुन्नत का महत्व

मसला 26 : ज़्यादा सवाब हासिल करने के इरादे से सुन्नते रसूल सल्ल० को नाकाफ़ी समझ कर ग़ैर मसनून तरीक़ों पर मेहनत और परिश्रम करना आप सल्ल० की नाराज़गी का कारण है।

मसला 27 : वही कर्म क़ाबिले सवाब है जो सुन्नते रसूल सल्ल० के मुताबिक़ हो।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: **أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللّٰهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي** رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)

हज़रत अनस रज़ि० फ़रमाते हैं तीन सहाबी पाक पत्नियों रज़ि० के घरों में हाज़िर हुए और नबी अकरम सल्ल० की इबादत के बारे में सवाल किया, जब उन्हें बताया गया, तो उन्होंने आप सल्ल० की इबादत को कम समझा और आपस में कहा, नबी अकरम सल्ल० के मुक़ाबले में हमारा क्या स्थान है उनकी तो अगली पिछली सारी ग़लतियां माफ़ कर दी गई हैं। (अतः हमें आप से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए) उनमें से एक ने कहा, मैं हमेशा सारी रात नमाज़ पढ़ूंगा। (आराम नहीं करूंगा) दूसरे ने कहा, मैं हमेशा रोज़े रखूंगा और कभी तर्क नहीं करूंगा। तीसरे ने कहा, मैं औरतों से अलग रहूंगा और कभी निकाह नहीं करूंगा। जब रसूलुल्लाह सल्ल० तशरीफ़ लाए तो उनसे पूछा : "क्या तुमने ऐसा और ऐसा कहा है? (उनके इक़रार करने पर) आप

सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : "ख़बरदार! अल्लाह की क़सम मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला और तुम सबसे ज़्यादा परहेज़गार हूं, लेकिन मैं रोज़ा रखता हूं तर्क भी करता हूं, रात को नमाज़ के लिए खड़ा भी होता हूं और आराम भी करता हूं, औरतों से निकाह भी किए हैं। (याद रखो) जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा उसका मुझसे कोई संबंध नहीं।[1] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ قَالُوا إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ: **إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللّٰهِ أَنَا** رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० जब सहाबा किराम रज़ि० को किसी बात का हुक्म फ़रमाते, तो उन्ही कामों का हुक्म देते जिन्हें वे कर सकते। सहाबा मालूम करते हम आप की तरह (अल्लाह के महबूब) थोड़े हैं। आप सल्ल० की तो अल्लाह ने अगली पिछली सारी ग़लतियां माफ़ कर दी हैं (अतः हमें ज़्यादा इबादत करने दीजिए) यह सुनकर आप सल्ल० इतना ग़ुस्सा हुए कि उसके निशान आप सल्ल० के चेहरे मुबारक पर नज़र आए। फिर आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : "निःसन्देह मैं तुममें सबसे ज़्यादा परहेज़गार और अल्लाह के आदेशों के बारे में सबसे ज़्यादा जानने वाला हूं।"[2] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَرَخَّصَ فِيهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللّٰهَ ثُمَّ قَالَ: **مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ فَوَاللّٰهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللّٰهِ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً** مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢)

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने कोई काम किया और लोगों को उसकी छूट दे दी। लेकिन कुछ लोगों ने वह छूट लेने से

1. किताबुन्निकाह, अध्याय तर्गीब, फ़िन्निकाह।
2. किताबुल ईमान,

मना किया। नबी अकरम सल्ल० को पता चला तो आप सल्ल० ने ख़ुतबा दिया। अल्लाह की प्रशंसा व स्तुति के बाद इरशाद फ़रमाया : "क्या वजह है कि जो काम मैं करता हूं कुछ लोग उससे बचा करते हैं अल्लाह की क़सम! मैं लोगों की तुलना में अल्लाह की मंशा और मर्ज़ी से ज़्यादा परिचित हूं और लोगों की निस्बत ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं। (अर्थात तुम लोग न तो मुझसे ज़्यादा अल्लाह तआला के आदेशों से परिचित हो सकते हो न ही मुझसे ज़्यादा मुत्तक़ी बन सकते हो)।"[1] इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 28 रसूलुल्लाह का हुक्म न मानने वालों को आप ने सज़ा देने का फ़ैसला फ़रमाया।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **لَا تُوَاصِلُوا** قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ: **إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي** فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ قَالَ فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْنِ أَوْ لَيْلَتَيْنِ ثُمَّ رَأَوُا الْهِلَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ** رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : (इफ़्तार के बिना) "निरंतर रोज़े न रखो।" सहाबा किराम रज़ि० ने मालूम किया : "या रसूलल्लाह सल्ल० आप तो रखते हैं।" आप सल्ल० ने फ़रमाया : "मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं मुझे मेरा रब रात को खिलाता भी है पिलाता भी है।" लेकिन उसके बावजूद लोग न माने। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं तब नबी अकरम सल्ल० ने निरंतर दो दिन या निरंतर दो रात रोज़ा रखा फिर (सौभाग्यवश) ईद का चांद नज़र आ गया। आप सल्ल० ने फ़रमाया : "अगर चांद नज़र न आता, तो मैं अभी निरंतर रोज़े रखता।" मानो उनको सज़ा देने के लिए आपने यह बात फ़रमाई। (अर्थात मेरा हुक्म न मानने वाले लोग भी मेरे साथ रोज़ा रखते और उन्हें सज़ा मिलती।)[2] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 29 : सुन्नत का ज्ञान हो जाने के बाद उस पर अमल न करने

---

1. लुअ्लूअू वल मरजान, दूसरा भाग, हदीस 1518।
2. किताबुल आसाम

वाले लोगों को रसूले अकरम सल्ल० ने अवज्ञाकारी कहा।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتّٰى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتّٰى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ: أُولٰئِكَ الْعُصَاةُ أُولٰئِكَ الْعُصَاةُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

हज़रत जाबिर रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० रमज़ान में फ़तह मक्का वाले साल मक्का के लिए (मदीना से) निकले, जब कुराअ ग़मीम (जगह का नाम) पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्ल० और सहाबा किराम सबने रोज़ा रखा (दौराने सफ़र) आपने पानी का प्याला मंगा कर ऊंचा किया। यहां तक कि लोगों ने उस (प्याले) को देख दिया फिर आप सल्ल० ने पी लिया बाद में आप सल्ल० को बताया गया कि कुछ लोगों ने अभी भी रोज़ा रखा हुआ है। इस पर आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : "ये लोग अवज्ञाकारी हैं, ये लोग अवज्ञाकारी हैं।"[1] इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 30 : जो अमल सुन्नते रसूल सल्ल० के मुताबिक़ न हो वह अल्लाह के यहां मर्दूद (अस्वीकार्य) है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢)

हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं, रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "जिसने दीन में कोई ऐसा काम किया जिसकी बुनियाद शरीअत में नहीं वह काम मर्दूद है।"[2] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 31 : किताब व सुन्नत के अनुसरण से हटने का नतीजा गुमराही है।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला 22 के अन्तर्गत देखें।

मसला 32 : रसूलुल्लाह सल्ल० की अवज्ञा अल्लाह तआला की अवज्ञा है।

---

1. किताबुस्सियाम,
2. लुअ्लूअ् वल मरजान, दूसरा भाग, हदीस 1120।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला 21 के अन्तर्गत देखें।

मसला 33 : रसूलुल्लाह सल्ल० की अवज्ञा विनाश और तबाही का कारण है।

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللّٰهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمَهُ فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مُهْلَتِهِمْ وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢)

हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "मेरी और इस हिदायत की मिसाल, जिसे मैं देकर भेजा गया हूं ऐसी है जैसे कि एक आदमी अपनी क़ौम के पास आए और कहे, लोगो! मैंने अपनी आंखों से एक लश्कर देखा है जिससे तुम्हें स्पष्ट रूप से ख़बरदार कर रहा हूं, अतः उससे बचने की चिंता करो। क़ौम के कुछ लोगों ने उसकी बात मान ली और रातों रात चुपके से निकल गए जबकि दूसरे लोगों ने झुठलाया और अपने घरों में (ग़फ़लत से) पड़े रहे। सुबह के समय लश्कर ने उन्हें आ लिया और विनष्ट करके उनकी नस्ल का ख़ात्मा कर दिया। यह मिसाल मेरी और मुझ पर उतारे गए हक़ का अनुसरण करने वाले और न करने वाले लोगों की है।'[1] इसे बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَقَدْ تَرَكْتُكُم عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيْغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ رَوَاهُ ابْنُ أَبِيْ عَاصِمٍ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ (١) (صَحِيْح)

हज़रत इरबाज़ बिन सारिया रज़ि० से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना है कि लोगो! मैं तुम्हें ऐसे रौशन दीन पर छोड़े जा रहा हूं जिसकी रात भी दिन की तरह रौशन है उससे वही व्यक्ति इन्कार

1. रिवायत बुख़ारी,

करेगा जिसे विनष्ट होना है।[1] इसे इब्ने आसिम ने किताबुस्सुन्नह में रिवायत किया है।

मसला 34 : रसूलुल्लाह सल्ल० के मुक़ाबले में किसी नबी या वली, मुहद्दिस या फ़क़ीह इमाम या आलिम के अनुसरण की कल्पना खुली गुमराही है।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اَتَاهُ عُمَرُ فَقَالَ اِنَّا نَسْمَعُ اَحَادِيْثَ مِنْ يَهُودَ تُعْجِبُنَا أَفَتَرَى اَنْ نَكْتُبَ بَعْضَهَا فَقَالَ: اَمُتَهَوِّكُوْنَ اَنْتُم كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لَقَدْ جِئْتُكُم بِهَا بَيْضَآءَ نَقِيَّةً وَلَو كَانَ مُوسَى حَيًّا مَاوَسِعَهُ اِلَّا اِتِّبَاعِي. رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ (٢) (حَسَنْ)

हज़रत जाबिर रज़ि० रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर रज़ि० नबी अकरम सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुए और कहा कि : "हम यहूदियों से कुछ बातें सुनते हैं, जो हमें अच्छी लगती हैं क्या उनमें से कुछ (ज़्यादा अच्छी लगने वाली) लिख लिया करें?" नबी अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : "क्या तुम (अपने दीन के बारे में) सन्देह का शिकार हो (कि यह अधूरा है) जिस तरह यहूद व नसारा (अपने अपने दीन के बारे में) सन्देह में पड़े थे। यद्यपि मैं एक स्पष्ट और रौशन शरीअत लेकर आया हूं। अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा होते तो मेरा अनुसरण किए बिना उनके लिए भी कोई रास्ता न होता।"[2] इसे अहमद और बैहेक़ी ने रिवायत किया है।

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ أَتَى رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُسْخَةٍ مِنَ التَّوْرَاةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ هٰذِهِ نُسْخَةٌ مِنَ التَّوْرَاةِ فَسَكَتَ فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَوَجْهُ رَسُولِ اللّٰهِ يَتَغَيَّرُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ مَا تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِينَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَى

---

1. सहीह किताबुस्सुन्नह लिल अलबानी, प्रथम भाग, हदीस 49।
2. मिश्कातुल मसाबीह, किताबुल ईमान।

فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ (١) (حَسَنٌ)

हज़रत जाबिर रज़ि० रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० तौरात लेकर रसूलुल्लाह सल्ल० की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया : "या रसूलल्लाह सल्ल० यह तौरात है।" आप सल्ल० ख़ामोश रहे। हज़रत उमर रज़ि० तौरात पढ़ने लगे, तो रसूलुल्लाह सल्ल० का चेहरा मुबारक (ग़ुस्से से) बदलने लगा। हज़रत अबूबक्र रज़ि० (ने यह हालत देखी) तो कहा : "ऐ उमर! गुम करने वालियां तुझे गुम पाएं। रसूलुल्लाह सल्ल० के चेहरे की तरफ़ नहीं देखते।" हज़रत उमर रज़ि० ने रसूलुल्लाह सल्ल० के चेहरे मुबारक की तरफ़ देखा तो कहा : "मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्ल० के ग़ुस्से से अल्लाह की पनाह मांगता हूं। हम अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मुहम्मद सल्ल० के नबी होने पर राज़ी हैं।" इसके बाद रसूले अकरम सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : "उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मुहम्मद सल्ल० की जान है अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आएं और तुम लोग मेरी बजाए उनका अनुसरण शुरू कर दो, तो सीधी राह से गुमराह हो जाओगे और अगर मूसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा होते और मेरी नुबूवत का ज़माना पाते, तो वह भी मेरा ही अनुसरण करते।"[1] इसे दारमी ने रिवायत किया है।

मसला 35 : रसूले अकरम सल्ल० के अनुसरण में कौताही ने जंगे उहुद की फ़तह को शिकस्त से बदल दिया।

عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقِينَا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ وَأَجْلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا مِنَ الرُّمَاةِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَاللّٰهِ وَقَالَ لَا تَبْرَحُوا إِنْ رَأَيْتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَلَا تَبْرَحُوا وَإِنْ رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُعِينُونَا فَلَمَّا لَقِينَا هَرَبُوا حَتَّى رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الْجَبَلِ رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَّ قَدْ بَدَتْ خَلَاخِلُهُنَّ فَأَخَذُوا يَقُولُونَ الْغَنِيمَةَ الْغَنِيمَةَ فَقَالَ عَبْدُاللّٰهِ عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَبْرَحُوا فَأَبَوْا فَلَمَّا أَبَوْا صُرِفَ وُجُوهُهُمْ فَأُصِيبَ سَبْعُونَ قَتِيلًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)

---

1. मुक़दमा दारमी, अध्याय 39, हदीस 435।

हज़रत बरा रज़ि० फ़रमाते हैं कि उहुद के रोज़ मुशरिकों से हमारा मुक़ाबला हुआ। नबी अकरम सल्ल० ने तीर अंदाज़ों की एक जमाअत (पहाड़ की चोटी पर) बिठा दी और अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि० को उनका अमीर मुक़र्रर करते हुए फ़रमाया : "तुम हमें (मैदाने जंग में) चाहे विजयी होते देखो या पराजित होते, अपनी जगह से कदापि न हटना और न ही हमारी मदद को आना।" अतएव काफ़िरों से जब मुक़ाबला हुआ, तो काफ़िर भाग निकले। यहां तक कि मैंने देखा कि मुशरिकों की औरतें पिंडलियों से कपड़ा उठाए हुए पहाड़ पर भागी जा रही हैं। उनकी पाज़ेबें दिखाई दे रही थीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ि० ने उनको समझाया कि रसूलुल्लाह सल्ल० ताकीद कर गए हैं कि इस जगह से न हिलना, अतः यहां से मत हिलो, तीर अंदाज़ न माने, (अपनी मर्ज़ी से वह जगह छोड़ दी अतएव) मुसलमानों को पराजय हो गई और सत्तर सहाबा शहीद हो गए।[1] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 36 : सहाबा किराम रज़ि० सुन्नते रसूल सल्ल० को तर्क करना खुली गुमराही समझते थे।

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ – مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢)

हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ि० से रिवायत है हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि० ने फ़रमाया : "मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ सकता जिस पर रसूलुल्लाह सल्ल० अमल किया करते थे, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मैं रसूलुल्लाह सल्ल० की करनी व कथनी में से कोई चीज़ भी छोड़ दूंगा, तो गुमराह हो जाऊंगा।"[2] इसे बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 37 : ऐसी बात या अमल, जो रसूले अकरम सल्ल० से साबित न हो, हदीस या सुन्नत कहकर लोगों के सामने पेश करने की सज़ा जहन्नम है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)

1. किताबुल ग़ाज़ी, अध्याय ग़ज़वा उहुद।
2. लुअ्लूअू वल मरजान, किताबुल जिहाद, हदीस 1150।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "जिसने जान बूझकर झूठ मेरी ओर संबंधित किया वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले।"[1] इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ** - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢)

हज़रत अली रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "मेरी तरफ़ झूठी बात संबंधित न करो जिसने मेरी तरफ़ झूठी बात संबंधित की वह आग में दाख़िल होगा।"[2] इसे बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।

عَنْ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: **مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ** - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٣)

हज़रत सलमा रज़ि० से रिवायत है कि मैंने नबी अकरम सल्ल० को यह फ़रमाते हुए सुना है कि जो व्यक्ति मेरी तरफ़ ऐसी बात संबंधित करे, जो मैंने नहीं कही, वह अपनी जगह जहन्नम में बना ले।[3] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ** - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٤)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "आख़िरी ज़माने में दज्जाल और झूठे लोग ऐसी हदीसें तुम्हारे पास लाएंगे, जो तुमने और तुम्हारे बुज़ुर्गों ने कभी न सुनी होंगी। अतः उनसे बचकर रहो कहीं तुम्हें गुमराह न कर दें या फ़ितने का शिकार न कर दें।"[4] इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

---

1. लुअ्लूअ् वल मरजान, प्रथम भाग, हदीस 30।
2. लुअ्लूअ् वल मरजान, प्रथम भाग, हदीस 1।
3. किताबुल इल्म।
4. मुक़दमा मुस्लिम।

मसला 38 : सुन्नते रसूल सल्ल० छोड़कर कोई नया तरीक़ा तलाश करने वाला व्यक्ति अल्लाह के यहां सबसे ज़्यादा प्रकोप ग्रस्त है।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللّٰهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "तीन आदमी अल्लाह के यहां सबसे ज़्यादा प्रकोप ग्रस्त हैं। 1. हरम शरीफ़ की हुरमत रौंदने वाला। 2. इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्ल० का तरीक़ा छोड़कर अज्ञानता का तरीक़ा तलाश करने वाला। 3. किसी मुसलमान का अकारण ख़ून तलब करने वाला ताकि उसका ख़ून बहाए।"[1] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 39 : रसूले अकरम सल्ल० का हुक्म न मानने पर दुनिया में प्रेरणादायक सज़ा।

عَنْ سَلْمَةَ بْنِ أَكْوَعٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِشِمَالِهِ فَقَالَ: كُلْ بِيَمِيْنِكَ قَالَ: لَا أَسْتَطِيْعُ قَالَ: لَا اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

हज़रत सलमा बिन अकूअ़ रज़ि० से रिवायत है कि उनके बाप ने उन्हें बताया कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह सल्ल० के पास बाएं हाथ से खाना खाया तो आप सल्ल० ने फ़रमाया : "अपने दाएं हाथ से खाओ।" उस आदमी ने जवाब दिया "मैं ऐसा नहीं कर सकता।" आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : "(अच्छा अल्लाह करे) तुझसे ऐसा न हो सके।" उस व्यक्ति ने घमंड की वजह से यह बात कही थी (यद्यपि कोई शरई कारण नहीं था) रावी कहते हैं कि वह व्यक्ति (उम्र भर) अपना दायां हाथ मुंह तक न उठा सका।[2] इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

---

1. किताबुल दैत।
2. किताबुल अशरबा।

تَعْظِيمُ السُّنَّةِ

सुन्नत का सम्मान

मसला 40 : सहाबा किराम रज़ि० सुन्नते रसूल सल्ल० का मामूली सा विरोध भी गवारा नहीं फ़रमाते थे।

عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ رُوَيْبَةَ قَالَ رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ فَقَالَ قَبَّحَ اللّٰهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

हज़रत उमारा बिन रुवैबा रज़ि० ने ख़लीफ़ा मर्वान के बेटे बशर को (जुमे के ख़ुत्बे के बीच) मिंबर पर दोनों हाथ उठाते देखा, तो फ़रमाया : ''अल्लाह ख़राब करे उन दोनों हाथों को मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को इससे ज़्यादा करते नहीं देखा।'' और अपनी अंगुश्त शहादत से इशारा किया।[1] इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنُ أُمِّ الْحَكَمِ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

हज़रत काअब बिन उजरा रज़ि० मस्जिद में दाख़िल हुए और उम्मुल हकम का बेटा अब्दुर्रहमान बैठकर ख़ुतबा दे रहा था। हज़रत काअब रज़ि० ने फ़रमाया : ''इस ख़बीस को देखो बैठकर ख़ुतबा दे रहा है, (जो ख़िलाफ़े सुन्नत है) अल्लाह तआला क़ुरआन पाक में फ़रमाता है ''(ऐ मुहम्मद सल्ल०!) जब लोगों ने ख़रीद व फ़रोख़्त या खेल कूद को देखा, तो इस तरफ़ दौड़ निकले और तुझे खड़ा हुआ छोड़ गए।''[2] इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

---

1. किताबुल जन्नत।
2. किताबुल जन्नत।

मसला 41 : सहाबा किराम रज़ि० रसूले अकरम सल्ल० की करनी व कथनी के विरुद्ध किसी क़िस्म की बात सुनना या उसे मामूली समझना सख़्त नापसन्द फ़रमाते थे।

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللّٰهِ أَنْ يُصَلِّيْنَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ ابْنٌ لَهُ إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيْدًا وَ قَالَ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ تَقُوْلُ إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (١) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया : "कोई व्यक्ति अल्लाह की बन्दियों को मस्जिद में आने से न रोके।" हज़रत अब्दुल्लाह रज़ि० के बेटे ने कहा : "हम तो रोकेंगे।" हज़रत अब्दुल्लाह रज़ि० सख़्त नाराज़ हुए और फ़रमाया : "मैं तेरे सामने हदीसे रसूल सल्ल० बयान कर रहा हूं और तू कहता है कि हम उन्हें ज़रूर रोकेंगे।"[1] इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

(٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا إِلَى جَنْبِهِ ابْنُ أَخٍ لَهُ فَخَذَفَ فَنَهَاهُ وَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكِي عَدُوًّا وَإِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ قَالَ فَعَادَ ابْنُ أَخِيهِ فَخَذَفَ فَقَالَ أُحَدِّثُكَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْهَا ثُمَّ عُدْتَ تَخْذِفُ لَا أُكَلِّمُكَ أَبَدًا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (٢) (صَحِيْح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़ल रज़ि० से रिवायत है कि उनका भतीजा पहलू में बैठा कंकरियां फेंक रहा था। हज़रत अब्दुल्लाह ने उसे मना किया और बताया कि नबी अकरम सल्ल० ने इससे मना फ़रमाया है। और नबी अकरम सल्ल० का इरशाद मुबारक है कि ऐसा करने से न तो शिकार हो सकता है न दुश्मन को नुक़्सान पहुंचाया जा सकता है। अलबत्ता उससे (किसी का) दांत टूट सकता है या आंख फूट सकती है। भतीजे ने दोबारा कंकरियां फेंकनी शुरू कर दीं, तो हज़रत अब्दुल्लाह रज़ि० ने कहा : "मैंने तुझे बताया है कि नबी अकरम सल्ल० ने इससे मना फ़रमाया है और तू फिर वही काम

1. मुसनद अहमद बिन हंबल, दूसरा भाग, हदीस 5469।

कर रहा है, अतः मैं तुझसे अब कभी बात नहीं करूंगा।"[1] इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

(۳) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ: اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ قَالَ أَوْ قَالَ: الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ فَقَالَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ إِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَوِ الْحِكْمَةِ أَنَّ مِنْهُ سَكِينَةً وَوَقَارًا لِلّٰهِ وَمِنْهُ ضَعْفٌ قَالَ فَغَضِبَ عِمْرَانُ حَتّٰى احْمَرَّتَا عَيْنَاهُ وَقَالَ أَلَا أَرَانِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَتُعَارِضُ فِيهِ قَالَ فَأَعَادَ عِمْرَانُ الْحَدِيثَ قَالَ فَأَعَادَ بُشَيْرٌ فَغَضِبَ عِمْرَانُ قَالَ فَمَا زِلْنَا نَقُولُ فِيهِ إِنَّهُ مِنَّا يَا أَبَا نُجَيْدٍ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱)

हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया है "लाज, तो सारी भलाई है या आप सल्ल० ने फ़रमाया लाज मुकम्मल भलाई है।" बशीर बिन काअब रज़ि० ने कहा हमने कुछ किताबों में या सूझ बूझ की बातों में पढ़ा है कि लाज की एक क़िस्म तो अल्लाह के हुज़ूर सन्तोष और मान है जबकि दूसरी क़िस्म बूदापन और कमज़ोरी है। यह सुनकर (सहाबी रसूल सल्ल०) हज़रत इमरान रज़ि० को सख़्त ग़ुस्सा आया, आंखें सुर्ख़ हो गईं और फ़रमाया कि मैं तुम्हारे सामने हदीसे रसूल सल्ल० बयान कर रहा हूं और तू उसके ख़िलाफ़ बात कर रहा है। रावी कहते हैं हज़रत इमरान रज़ि० ने फिर हदीस पढ़कर सुनाई। उधर बशीर बिन काअब रज़ि० ने भी अपनी वही बात दोहरा दी। तो हज़रत इमरान रज़ि० क्रोधित हो गए (और बशीर बिन काअब रज़ि० को सज़ा देने का फ़ैसला किया) हम सब ने कहा : "ऐ अब्बा नजीद! (हज़रत इमरान का उपनाम) बशीर हमारा ही मुसलमान साथी है (इसे माफ़ कर दीजिए) इसमें कोई (कपट या कुफ़्र वाली) बात नहीं।[2] इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 42 : सुन्नते रसूल सल्ल० का इल्म हो जाने के बावजूद मसला मालूम करने पर हज़रत उमर रज़ि० ने नाराज़ी प्रकट की।

---

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी प्रथम भाग, हदीस 17।
2. किताबुल ईमान।

عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلْتُه عَنِ الْمَرْأَةِ تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ تَحِيْضُ قَالَ لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ قَالَ : فَقَالَ الْحَارِثُ كَذَلِكَ أَفْتَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ أَرِبْتَ عَنْ يَدَيْكَ سَأَلْتَنِيْ عَنْ شَيْءٍ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِكَيْ مَا أُخَالِفَ؟ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ. (۲) (صحيح)

हज़रत हारिस बिन अब्दुल्लाह बिन औस रज़ि० कहते हैं कि मैं उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० के पास हाज़िर हुआ और उनसे पूछा कि "अगर क़ुरबानी के दिन तवाफ़े ज़ियारत करने के बाद औरत मासिक धर्म का शिकार हो जाए तो क्या करे?" हज़रत उमर रज़ि० ने फ़रमाया कि "(पाकी हासिल करने के बाद) आख़िरी कार्य बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ होना चाहिए।" हारिस रज़ि० ने कहा : "रसूलुल्लाह सल्ल० ने भी मुझे यही फ़तवा दिया था। इस पर हज़रत उमर रज़ि० ने फ़रमाया : "तेरे हाथ टूट जाएं, तूने मुझसे ऐसी बात पूछी, जो रसूलुल्लाह सल्ल० से पूछ चुका था, ताकि मैं रसूल सल्ल० के ख़िलाफ़ फ़ैसला करूं।"[1] इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

---

1. सहीह सुनन अबी दाऊद लिलबानी पहला भाग, हदीस 1765।

مَكَانَةُ الرَّأْيِ لَدَى السُّنَّةِ

सुन्नत की मौजूदगी में राय की हैसियत

मसला 43 : सुन्नते रसूल सल्ल० पर अमल करने की बजाए अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा अमल करके ज़्यादा सवाब हासिल करने की इच्छा पर आप सल्ल० ने नाराज़गी प्रकट की।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला 26 के अन्तर्गत देखें।

मसला 44 : सुन्नते रसूल सल्ल० पर अमल करने की बजाए अपनी राय पर अमल करने वालों को रसूलुल्लाह सल्ल० ने "अवज्ञाकारी" कहा।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला 29 के अन्तर्गत देखें।

मसला 45 : सहाबा किराम रज़ि० फ़ैसला करते समय अपनी राय पर अमल करने से पहले हमेशा सुन्नते रसूल सल्ल० की तरफ़ ध्यान देते।

मसला 46 : सुन्नते रसूल सल्ल० का पता होते ही सहाबा किराम रज़ि० अपनी राय वापस ले लेते थे।

मसला 47 : सुन्नत का अनुसरण ही मुसलमानों के आपसी मतभेदों को ख़त्म करने का एक मात्र रास्ता है।

(١) عَنْ قَبِيصَةَ ابْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْرٍ مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللّٰهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١) (حَسَن)

हज़रत क़बीसा बिन ज़ुवैब रज़ि० से रिवायत है कि एक मय्यित की नानी हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि० के पास मीरास मांगने आई, हज़रत अबूबक्र रज़ि० ने फ़रमाया : "क़ुरआनी आदेशों के मुताबिक़ मीरास में तुम्हारा कोई

हिस्सा नहीं और न ही मैंने इस बारे में रसूलुल्लाह सल्ल० से कोई हदीस सुनी है। अतः वापस चली जाओ। मैं इस बारे में लोगों से मालूम करूंगा।'' अतएव हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि० ने लोगों से पूछा तो हज़रत मुग़ीरा बिन शौबा रज़ि० ने कहा : ''मेरी मौजूदगी में रसूलुल्लाह सल्ल० ने नानी को छठा हिस्सा दिलाया है।'' हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि० ने पूछा : ''कोई और भी इसका गवाह है?'' मुहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ि० ने भी इस हदीस की पुष्टि की। अतएव हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि० ने नानी को छठा हिस्सा दिला दिया।[1] इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

(٢) عَنْ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا فَرَجَعَ عُمَرُ رَوَاهُ أَبُودَاوُدَ (٢) (صَحِيح)

हज़रत सईद रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० फ़रमाया करते थे कि ''दैत केवल बाप के रिश्तेदारों के लिए है अतः पत्नी को अपने पति की दैत से कोई हिस्सा नहीं मिलता।'' ज़हहाक बिन सुफ़ियान ने (हज़रत उमर रज़ि० से) कहा कि रसूले अकरम सल्ल० ने मुझे यह सन्देश लिखवा कर भिजवाया कि मैं अशीम ज़ुबाबी की पत्नी को उसके पति की दैत से हिस्सा दिलाऊं। अतएव हज़रत उमर रज़ि० ने अपनी राय वापस ले ली।[2] इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

(٣) عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ النَّاسَ فِي مَلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٣)

हज़रत मसवर बिन मख़रमा रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ि० ने पेट के बच्चे की दैत के बारे में लोगों से मशवरा किया, तो हज़रत मुग़ीरा

1. सही सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी प्रथम भाग, हदीस 2888।
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी प्रथम भाग, हदीस 2921।

बिन शौबा रज़ि० ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने इस पर एक ग़ुलाम या लौंडी आज़ाद करने का हुक्म दिया है। हज़रत उमर रज़ि० ने फ़रमाया : "अपनी बात पर गवाह लाओ।" अतएव हज़रत मुहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ि० ने इस बात की पुष्टि की। (इसके बाद हज़रत उमर रज़ि० ने सुन्नते रसूल सल्ल० के मुताबिक़ फ़ैसला फ़रमा दिया)।[1] इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

(٤) عَنْ بَجَالَةَ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الْأَحْنَفِ فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ فَرِّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)

हज़रत बजाला रह० कहते हैं "मैं अहनफ़ के चचा जज़ बिन मुआविया का मुंशी था। हमें हज़रत उमर रज़ि० का एक ख़त उनकी वफ़ात से एक साल पहले मिला, जिसमें लिखा था कि जिस मजूसी ने अपनी मेहरम औरत से निकाह किया हो उन्हें अलग कर दो। हज़रत उमर रज़ि० मजूसियों से जिज़या नहीं लेते थे, लेकिन जब हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि० ने गवाही दी कि रसूलुल्लाह सल्ल० मजूसियों से जिज़या लिया करते थे, तो हज़रत उमर रज़ि० ने भी जिज़या लेना शुरू कर दिया।[2] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

(٥) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِي بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِطَرَفِ الْقَدُومِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي فَإِنِّي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ قَالَتْ فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي أَوْ أَمَرَ بِي فَدُعِيتُ لَهُ فَقَالَ كَيْفَ قُلْتِ فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِي ذَكَرْتُ مِنْ شَأْنِ زَوْجِي قَالَتْ

1. किताबुल क़सामा।
2. किताबुल जिज़या।

فَقَالَ امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ (١) (صَحِيْح)

हज़रत ज़ैनब बिन्ते काअब बिन उजरा रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० की बहन फ़रीआ बिन्ते मालिक बिन सिनान रज़ि० ने उन्हें बताया कि वह रसूलुल्लाह सल्ल० के पास आईं और पूछा : "क्या वह बनी ख़ुदरा में अपने घर जा सकती हैं? क्योंकि मेरे पति के कुछ ग़ुलाम भाग गए थे वह उन्हें ढूंढने निकले जब तरफ़ क़ुद्दूम (एक स्थान है मदीना से सात मील पर) पहुंचे, तो वहां ग़ुलामों को पाया और ग़ुलामों ने मेरे पति को मार डाला अतएव मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० से मालूम किया क्या मैं अपने घर वापस चली जाऊं क्योंकि मेरा पति मेरे लिए कोई मकान या ख़र्च आदि छोड़कर नहीं मरा। हज़रत फ़रीआ रज़ि० कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "हां चली जाओ।" हज़रत फ़रीआ रज़ि० कहती हैं मैं वहां से निकली अभी मस्जिद या हुजरे में ही थी, तो आप सल्ल० ने मुझे बुलाया या किसी को बुलाने का हुक्म दिया और मुझे बुलाया गया। आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : "तुमने क्या कहा था?" मैंने सारी बात दोबारा बयान की जो मैंने अपने पति के बारे में कही थी। हज़रत फ़रीआ रज़ि० कहती हैं तब रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "अपने घर में ठहरी रहो यहां तक कि इद्दत पूरी हो जाए।" अतएव मैंने उस घर में चार माह दस दिन पूरे किए। हज़रत फ़रीआ रज़ि० कहती हैं जब हज़रत उसमान बिन अफ़्फ़ान रज़ि० ने मेरे पास सन्देश भेजा और मसला मालूम किया तो मैंने उन्हे यही बताया और उन्होंने उसके मुताबिक़ फ़ैसला किया।[1] इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

---

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी तीसरा भाग, हदीस 2016।

إِحْتِيَاجُ السُّنَّةِ لِفَهْمِ الْقُرْآنِ

क़ुरआन समझने के लिए सुन्नत की ज़रूरत

मसला 48 : सुन्नत (हदीस) के बिना केवल क़ुरआन मजीद से तमाम शरई मसाइल मालूम करना मुमकिन नहीं।

मसला 49 : सुन्नत में बयान किए गए आदेश, क़ुरआन मजीद के आदेशों की तरह अनुसरण योग्य हैं।

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: **أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا** – رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (صَحِيْح)

हज़रत मिक़दाम बिन मअदी करिब रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "लोगो! याद रखो! क़ुरआन ही की तरह एक और चीज़ (अर्थात हदीस) मुझे अल्लाह की तरफ़ से दी गई है। ख़बरदार! एक समय आएगा कि एक पेट भरा (अर्थात घमंडी व्यक्ति) अपनी मस्नद पर तकिया लगाए बैठा होगा और कहेगा लोगो! तुम्हारे लिए यह क़ुरआन ही काफ़ी है इसमें जो चीज़ हलाल है बस वही हलाल है और जो चीज़ हराम है बस वही हराम है। यद्यपि जो कुछ अल्लाह के रसूल ने हराम किया है वह ऐसे ही हराम है जैसे अल्लाह तआला ने हराम किया है। सुनो! घरेलू गधा भी तुम्हारे लिए हलाल नहीं। (यद्यपि क़ुरआन में उसकी हुरमत का ज़िक्र नहीं) न ही वे दरिन्दे जिनकी कचलियां (अर्थात नोकीले दांत जिनसे वे शिकार करते) हैं, न ही किसी ज़िम्मी की गिरी पड़ी चीज़ किसी के लिए हलाल है। हां अलबत्ता अगर

उसके मालिक को उसकी ज़रूरत ही न हो तो फिर जाइज़ है।''[1] इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللّٰهِ اتَّبَعْنَاهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١) (صَحِيْح)

हज़रत अबू राफ़ेअ रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया : ''(लोगो!) मैं तुममें से किसी को इस हाल में न पाऊं कि वह अपनी मस्नद पर तकिया लगाए बैठा हो और उसके पास मेरे उन आदेशों में से जिनका मैंने हुक्म दिया है या जिनसे मैंने मना किया है, कोई हुक्म आए और वह यूं कहे मैं तो (आप सल्ल० के इस हुक्म को) नहीं जानता। हमने जो अल्लाह की किताब में पाया, उसी पर अमल कर लिया (अर्थात हमारे लिए वही काफ़ी है)।''[2] इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

मसला 50 : क़ुरआन मजीद को सुन्नत के ज़रिए ही समझा जा सकता है। कुछ मिसालें ये हैं।

١- عَنْ حُذَيْفَةَ يَقُولُ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ فَقَرَءُوا الْقُرْآنَ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢)

हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : ''ईमानदारी आसमान से लोगों के दिलों में उतरी है (अर्थात इंसान की प्रकृति में शामिल है) और क़ुरआन भी (आसमान से) उतरा है जिसे लोगों ने पढ़ा और सुन्नत के ज़रिए समझा।''[3] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

٢- عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا) فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ

---

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी तीसरा भाग, हदीस 3848।
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी तीसरा भाग, हदीस 3849।
3. किताबुल आसाम।

مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣)

हज़रत याली बिन उमैया रज़ि० कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर रज़ि० से पूछा अल्लाह तआला फ़रमाता है अगर तुम्हें काफ़िरों के सताने का भय हो तो नमाज़ क़स्र कर लेने में कोई हरज नहीं और अब जबकि ज़माना अम्न है (तो क्या फिर भी क़स्र की रुख़्सत है) तो हज़रत उमर रज़ि० ने कहा मुझे भी तुम्हारी तरह अचम्भा हुआ था, तो मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० से मसला मालूम किया, तो आप सल्ल० ने फ़रमाया कि (दौराने सफ़र भय हो या न हो) अल्लाह ने तुम्हें सदक़ा दिया है अतः उसका सदक़ा क़ुबूल करो।[1] इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

٣- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فَقَالَ: حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ قَالَ فَأَخَذْتُ عِقَالَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْيَضُ وَالْآخَرُ أَسْوَدُ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ سُفْيَانُ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١) (صَحِيح)

हज़रत अदी बिन हातिम रज़ि० कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० से रोज़े के बारे में सवाल किया, तो आप सल्ल० ने फ़रमाया : "(सहरी उस समय तक खाओ पियो) जब तक सफ़ेद धारी सियाह धारी से अलग नज़र न आए।" अतएव मैंने दो डोरियां लीं। उनमें से एक सफ़ेद, दूसरी सियाह थी और (रात भर) दोनों की तरफ़ देखता रहा (मैंने यह हाल रसूलुल्लाह सल्ल० को बताया, तो) आप सल्ल० ने मुझसे कोई ऐसी बात कही, जो सुफ़ियान को याद नहीं रही। फिर फ़रमाया : "इससे मुराद रात और दिन है।"[2] इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَأَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ أَلَمْ

---

1. मुख़्तसर सहीह मुस्लिम, लिल अलबानी हदीस 433।
2. सहीह सुनन तिर्मिज़ी लिल अलबानी तीसरा भाग, हदीस 2372।

تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ: يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٢) (صَحِيحٌ)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० कहते हैं। जब यह आयत नाज़िल हुई "वे लोग जिन्होंने अपने ईमान में ज़ुल्म शामिल नहीं किया (सूरह लुक़मान, आयत 82) तो तमाम मुसलमान परेशान हो गए और अर्ज़ किया "या रसूलल्लाह सल्ल०! हममें से कौन ऐसा है जिसने कोई ज़ुल्म (अर्थात गुनाह) न किया हो?" आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया आयत में ज़ुल्म से मुराद गुनाह नहीं बल्कि शिर्क है। क्या तुमने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की अपने बेटे को नसीहत नहीं सुनी। "ऐ मेरे बेटे! अल्लाह के साथ शिर्क न करना, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा ज़ुल्म है।"[1] इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 51 : सुन्नते रसूल सल्ल० नज़रअंदाज़ करने से कुछ शरई आदेश अपूर्ण और अस्पष्ट रहते हैं। पूर्ण दीन समझने और उस पर अमल करने के लिए क़ुरआन मजीद के साथ साथ सुन्नत का अनुसरण और आज्ञा पालन भी ज़रूरी है। कुछ मिसालें ये हैं।

1. क़ुरआन मजीद ने केवल मुसाफ़िर और बीमार को रमज़ान में रोज़े छोड़कर क़ज़ा अदा करने की छूट दी है जबकि रसूलुल्लाह सल्ल० ने मुसाफ़िर और बीमार के अलावा मासिक धर्म वाली, हामिला और दूध पिलाने वाली औरतों को भी रोज़ा छोड़कर बाद में क़ज़ा अदा करने की छूट दी है।

क़ुरआन मजीद का हुक्म

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (٢:١٨٤)

"तुममें से जो व्यक्ति बीमार हो या सफ़र में हो (और रोज़ा न रखे) तो (रमज़ान के बाद) दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे।" (सूरह बक़रा : 184)

रसूलुल्लाह सल्ल० का हुक्म

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (١) (حَسَنٌ)

1. सहीह सुनन तिर्मिज़ी लिल अलबानी तीसरा भाग, हदीस 2452।

हज़रत अनस रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "अल्लाह तआला ने मुसाफ़िर को रोज़ा विलम्बित करने और आधी नमाज़ की छूट दी है जबकि हामिला और दूध पिलाने वाली औरत को केवल रोज़ा विलम्बित करने की छूट दी है।"[1] इसे नसाई ने रिवायत किया है।

قَالَ أَبُو الزِّنَادِ إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الْحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلَافِ الرَّأْيِ فَمَا يَجِدُ الْمُسْلِمُونَ بُدًّا مِنِ اتِّبَاعِهَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢)

हज़रत अबुज़्ज़नाद रज़ि० फ़रमाते हैं मसनून और शरई आदेश कभी कभी राय के विपरीत होते हैं लेकिन मुसलमानों पर उन आदेशों का अनुसरण करना आवश्यक है। उन्हीं आदेशों में से एक यह भी कि मासिक धर्म वाली रोज़ों की क़ज़ा अदा करे, लेकिन नमाज़ की क़ज़ा अदा न करे।[2] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

2. क़ुरआन मजीद ने ज़ानी मर्द और ज़ानी औरत दोनों को सौ सौ कोड़े मारने का हुक्म दिया है। जबकि रसूलुल्लाह सल्ल० ने अविवाहित मर्द और औरत को सौ सौ कोड़े मारने का हुक्म दिया है और विवादित मर्द और औरत को संगसार (पत्थर मारने) करने की सज़ा दी है।

क़ुरआन मजीद का हुक्म

اَلزَّانِيَةُ وَ الزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّ لَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ـ (٢:٢٤)

ज़ानिया औरत और ज़ानी मर्द दोनों में से हर एक को सौ सौ कोड़े मारो और अल्लाह के दीन (को लागू करने) के मामले में तुमको दया न आए। अगर तुम अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखते हो। (सूरह नूर : 2)

---

1. सहीह सुनन नसाई, दूसरा भाग, हदीस 2145।
2. किताबुस्सोम।

रसूलुल्लाह सल्ल० का हुक्म

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ فَطَرَدَهُ ثُمَّ جَاءَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّتَيْنِ فَقَالَ شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ (١) (صَحِيْح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० कहते हैं कि माइज़ बिन मालिक रज़ि० नबी अकरम सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुए और दो बार ज़िना का एतेराफ़ किया। आप सल्ल० ने उन्हें वापस लौटा दिया। हज़रत माइज़ रज़ि० फिर हाज़िर हुए और दो बार ज़िना का एतेराफ़ किया तब आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : "तुमने चार बार अपने ख़िलाफ़ गवाही दे दी (तब लोगों को हुक्म दिया) जाओ इसे संगसार कर दो।"[1] इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

3. क़ुरआन मजीद ने तमाम मुर्दार हराम क़रार दिए हैं जबकि रसूलुल्लाह सल्ल० ने मरी हुई मछली हलाल क़रार दी है।

क़ुरआन मजीद का हुक्म

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهٖ (٥:٣)

हराम किया गया है तुम पर मुर्दार, ख़ून, ख़िन्ज़ीर का गोश्त और हर वह जानवर जिस पर (ज़ब्ह करते समय) अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाए। (सूरह माइदा : 3)

रसूलुल्लाह सल्ल० का हुक्म

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبَحْرِ قَالَ: هُوَ الطَّهُوْرُ مَاءُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١) (صَحِيْح)

हज़रत जाबिर रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० से समुद्र के

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी , तीसरा भाग, हदीस 3723।

बारे में सवाल किया गया, तो आप सल्ल० ने फ़रमाया समुद्र का पानी पाक है और उसका मुर्दार (अर्थात मछली) हलाल है।[1] इसे इब्ने ख़ज़ैमा ने रिवायत किया है।

4. क़ुरआन मजीद ने मर्दों और औरतों के लिए हर तरह की शोभा को जाइज़ और हलाल क़रार दिया है जबकि रसूलुल्लाह सल्ल० ने मर्दों के लिए सोना और रेशम पहनना हराम क़रार दिया है।

क़ुरआन मजीद का हुक्म

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِيْٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۔ (٧:٣٢)

"ऐ मुहम्मद सल्ल०! इनसे कहो किसने आजीविका की पाक चीज़ों को और अल्लाह की उस शोभा को हराम क़रार दिया जिसे अल्लाह ने अपने बन्दों के लिए निकाला है।" (सूरह आराफ़ : 32)

रसूलुल्लाह सल्ल० का हुक्म

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (٢) (صَحِيح)

हज़रत अबू मूसा रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया : "मेरी उम्मत की औरतों के लिए सोना और रेशम हलाल किया गया है और मर्दों के लिए हराम किया गया है।"[2] इसे नसाई ने रिवायत किया है।

5. क़ुरआन मजीद ने वुज़ू का तरीक़ा मुंह और हाथ कोहनियों तक धोना और फिर सर का मसीह और पांव का धोना बताया है जबकि रसूले अकरम सल्ल० ने तीन बार हाथ धोना, तीन बार कुल्ली करना, तीन बार नाक साफ़ करना और फिर मुंह धोना, तीन बार दोनों हाथ कोहनियों तक धोना। इसके बाद सर और कानों का मसीह करना और फिर तीन बार दोनों पांव टख़नों

---

1. पहला भाग, हदीस 112।
2. सहीह सुनन नसाई लिल अलबानी दूसरा भाग, हदीस 4754।

तक धोना बताया है।

क़ुरआन मजीद का हुक्म

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ـ(٦:٥)

"ऐ लोगो! जो ईमान लाए हो, जब नमाज़ के लिए उठो तो अपने हाथ कोहनियों तक धो लो, सरों पर मसीह कर लो और पांव टख़नों तक धो लिया करो।" (सूरह माइदा : 6)

रसूलुल्लाह सल्ल० का हुक्म

عَنْ حُمْرَانَ أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوْئِي هٰذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)

हज़रत हुमरान रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत उसमान रज़ि० ने वुज़ू के लिए पानी मंगवाया और बर्तन से दोनों हाथों पर पानी डाला और दोनों हाथों को तीन बार धोया फिर अपना हाथ बर्तन में डाला कुल्ली की, नाक साफ़ की और उसमें पानी डाला फिर अपना चेहरा तीन बार धोया और कोहनियों तक बाज़ू तीन बार धोए फिर सर का मसीह किया फिर तीन बार दोनों पांव धोए फिर फ़रमाया "मैंने नबी अकरम सल्ल० को इसी वुज़ू की तरह वुज़ू करते देखा है।"[1] इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।

---

1. किताबुल वुज़ू।

(मुसलमानो!) ख़बरदार रहो,
मैं क़ुरआन दिया गया हूं और इसके साथ उसी दर्जे की
एक और चीज़ (अर्थात हदीस) भी दिया गया हूं।

(इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है)

وُجُوْبُ الْعَمَلِ بِالسُّنَّةِ

सुन्नत पर अमल करना अनिवार्य है

मसला 52 : अल्लाह तआला के आदेशों की तरह रसूलुल्लाह सल्ल० के आदेश भी अनुसरण करने योग्य हैं।

(١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوْا فَقَالَ رَجُلٌ كُلَّ عَامٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَ لَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ ذَرُوْنِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَ اخْتِلافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوْهُ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ .(١)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने हमें ख़ुतबा दिया। जिसमें इरशाद फ़रमाया : "अल्लाह ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया है अतः हज करो।" एक आदमी ने अर्ज़ किया : "या रसूलल्लाह सल्ल०! क्या हर साल हज अदा करें?" रसूलुल्लाह सल्ल० ख़ामोश रहे। उस आदमी ने तीन बार सवाल किया तो आप सल्ल० ने फ़रमाया : "अगर मैं "हां" कह देता तो तुम पर हर साल हज अदा करना फ़र्ज़ हो जाता और फिर इस पर अमल करना तुम्हारे लिए मुमकिन न होता, अतः जितनी बात मैं तुमसे कहूं उसी पर बस किया करो, अगले लोग इसी लिए विनष्ट हुए कि वे अपने नबियों से ज़्यादा सवाल और मतभेद करते थे (फिर आप सल्ल० ने फ़रमाया) "जब मैं

तुम्हें किसी बात का हुक्म दूं तो (कुरेद की बजाए) अपनी ताक़त के मुताबिक़ उस पर अमल करो और जिस चीज़ से मना करूं उसे छोड़ दो।"[1] इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

(٢) عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَدَعَانِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أُجِبْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي فَقَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللّٰهُ اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)

हज़रत अबू सईद बिन मुअल्ली रज़ि० फ़रमाते हैं मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा था। नबी अकरम सल्ल० ने मुझे आवाज़ दी, मैंने जवाब न दिया फिर (नमाज़ ख़त्म करके) जब आप सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुआ तो अर्ज़ किया : "या रसूलल्लाह सल्ल० मैं नमाज़ पढ़ रहा था। (इसलिए आप सल्ल० के बुलाने पर हाज़िर न हो सका) आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया, क्या अल्लाह तआला ने (क़ुरआन मजीद में) यह हुक्म नहीं दिया। लोगो! अल्लाह और उसका रसूल जब तुम्हें बुलाए तो उसके हुक्म का पालन करो।"[2] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

(٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ قَالَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هٰذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ قَالَ اذْهَبِي فَانْظُرِي قَالَ فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللّٰهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا فَقَالَ أَمَا لَوْ كَانَ ذٰلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢)

1. किताबुल हज।
2. किताबुत्तफ़सीर, अध्याय माजा।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० ने फ़रमाया कि "अल्लाह तआला ने जिस्म गोदने वाली और गुदवाने वाली, चेहरे के बाल उखाड़ने और उखड़वाने वालियों पर, ख़ूबसूरती के लिए दांत (रगड़कर) कुशादा करवाने वालियों पर (और) अल्लाह तआला की बनावट को तब्दील करने वालियों पर लानत फ़रमाई है।" बनी असद की एक औरत उम्मे याक़ूब ने यह बात सुनी जो कि क़ुरआन पढ़ा करती थी, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० के पास आई और कहा, मैंने सुना है तुमने जिस्म गुदवाने और गोदने वालियों पर, चेहरे के बाल उखाड़ने और उखड़वाने वालियों पर दांतों को कुशादा करवाने वालियों और अल्लाह की बनावट को बदलने वालियों पर लानत की है।" हज़रत अब्दुल्लाह रज़ि० ने कहा : "मैं इस पर लानत क्यों न करूं जिस पर रसूलुल्लाह सल्ल० ने लानत फ़रमाई है और यह (अर्थात इस बात का ज़िक्र) तो अल्लाह तआला की किताब में मौजूद है।" उस औरत ने कहा "मैंने (अपने पास महफ़ूज़) दो तख़्तियों के बीच सारा क़ुरआन पढ़ डाला है, लेकिन मुझे तो इसमें कहीं इस बात का ज़िक्र नहीं मिला।" हज़रत अब्दुल्लाह रज़ि० ने फ़रमाया "अगर तू क़ुरआन ध्यान से पढ़ती (जिस तरह ध्यान से पढ़ने का हक़ है) तो तुझे यह बात मिल जाती।" अल्लाह तआला फ़रमाता है "रसूल जिस बात का तुम्हें हुक्म दे उस पर अमल करो और जिससे मना करे उससे रुक जाओ।" फिर वह औरत बोली "इन बातों में से कुछ बातें तो तुम्हारी पत्नी में भी हैं।" हज़रत अब्दुल्लाह रज़ि० ने कहा "जाओ जाकर देख लो।" वह औरत गई, तो उनकी पत्नी में ऐसी कोई बात न पाई तब वह वापस आई और कहने लगी "उनमें से कोई बात मैंने तुम्हारी पत्नी में नहीं देखी।" हज़रत अब्दुल्लाह रज़ि० ने फ़रमाया "अगर वह ऐसा करती तो मैं कभी उससे संभोग न करता।"[1] इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 53 : रसूलुल्लाह सल्ल० का पालन अल्लाह का पालन करना है और रसूलुल्लाह सल्ल० की अवज्ञा अल्लाह की अवज्ञा है, अतः दोनों का पालन एक ही दर्जे में वाजिब है।

---

1. लुअ्लूअू वल मरजान, दूसरा भाग, हदीस 1377।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَ هُوَ نَائِمٌ فَقَالُوا إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هٰذَا مَثَلاً فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلاً فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَ الْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَ جَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَ بَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَ أَكَلَ مِنَ الْمَأْدُبَةِ وَ مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَ لَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ فَقَالُوا : أَوِّلُوهَا لَهُ يَفْقَهْهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ نَائِمٌ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ وَ الْقَلْبَ يَقْظَانُ ، فَقَالُوا : فَالدَّارُ الْجَنَّةُ وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ ﷺ ، فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَ مَنْ عَصَى مُحَمَّدًا ﷺ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَ مُحَمَّدٌ ﷺ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ ۔ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . (١)

हज़रत जाबिर रज़ि० फ़रमाते हैं फ़रिश्तों की एक जमाअत नबी अकरम सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुई। उस समय आप सल्ल० सो रहे थे। फ़रिश्तों ने आपस में कहा : "रसूलुल्लाह सल्ल० की एक मिसाल है, वह बयान करो।" कुछ फ़रिश्तों ने कहा : "आप सल्ल० तो सो रहे हैं (अर्थात उनके सामने मिसाल बयान करने से क्या फ़ायदा?)" लेकिन कुछ दूसरे फ़रिश्तों ने कहा कि : "आप सल्ल० की आंख तो वास्तव में सो रही है लेकिन दिल जागता है।" अतएव फ़रिश्तों ने कहा : "आपकी मिसाल उस आदमी की-सी है जिसने एक घर निर्माण किया, खाना पकाया और फिर लोगों को बुलाने के लिए एक आदमी भेजा। जिसने बुलाने वाले की बात मान ली वह घर में दाख़िल हुआ और खाना खा लिया। जिसने बुलाने वाले की बात न मानी, वह घर में दाख़िल हुआ न खाना खाया।" फिर कुछ फ़रिश्तों ने कहा : "इस मिसाल का स्पष्टीकरण करो ताकि आप अच्छी तरह समझ लें।" कुछ फ़रिश्तों ने फिर यह बात दोहराई कि "आप सल्ल० सो तो रहे हैं।" लेकिन दूसरों ने जवाब दिया कि "आपकी आंख सो तो रही है लेकिन दिल जाग रहा है।" अतएव फ़रिश्तों ने मिसाल का स्पष्टीकरण यूं किया कि "घर से मुराद जन्नत है (जिसे अल्लाह ने निर्माण किया है) और लोगों को बुलाने वाले मुहम्मद सल्ल० हैं। तो जिसने मुहम्मद सल्ल० की बात मान ली उसने मानो अल्लाह की बात मानी और जिसने मुहम्मद सल्ल० की बात मानने से इंकार किया, उसने मानो अल्लाह की बात मानने से इंकार किया और मुहम्मद सल्ल० लोगों के बीच फ़र्क़ करने वाले हैं (अर्थात कौन आज्ञापालक है और कौन

अवज्ञाकारी)।"[1] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ (١) (صحيح)

हज़रत मिक़दाम बिन मअदी करिब रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "लोगो! याद रखो क़ुरआन ही की तरह एक और चीज़ (अर्थात सुन्नत) मुझे अल्लाह की तरफ़ से दी गई है। ख़बरदार! एक समय आएगा कि एक पेट भरा (अर्थात घमंडी आदमी) अपनी मस्नद पर तकिया लगाए बैठा होगा और कहेगा लोगो! तुम्हारे लिए क़ुरआन ही काफ़ी है। उसमें जो चीज़ हलाल है बस वही हलाल है और जो चीज़ हराम है बस वही हराम है। यद्यपि जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्ल० ने हराम किया है वह ऐसे ही हराम है जैसे अल्लाह तआला ने हराम किया है। सुनो! घरेलू गधा भी तुम्हारे लिए हलाल नहीं। (यद्यपि क़ुरआन में उसकी हुरमत का ज़िक्र नहीं) न ही दरिन्दे जिनकी कचलियां (नोकीले दांत जिनसे वे शिकार करते हैं) हैं, न ही किसी ज़िम्मी की गिरी पड़ी चीज़ किसी के लिए हलाल है। हां अलबत्ता अगर उसके मालिक को उसकी ज़रूरत ही न हो तो फिर जाइज़ है।[2] इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण : तीसरी हदीस मसला 21 के अन्तर्गत देखें।

मसला 54 : शरीअत में सुन्नत रसूलुल्लाह सल्ल० और किताबुल्लाह के आदेश एक ही दर्जा रखते हैं।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَنْشُدُكَ اللّٰهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَ

---

1. किताबुल आसाम।
2. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी तीसरा भाग, हदीस 3848।

الْخَصْمُ الْآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَأْذَنْ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا قَالَ فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)

हज़रत अबू हुरैरह और ज़ैद बिन ख़ालिद रज़ि० से रिवायत है कि एक देहाती रसूलुल्लाह सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया : "या रसूलल्लाह सल्ल० मैं आप सल्ल० को अल्लाह की क़सम देता हूं कि मेरा फ़ैसला किताबुल्लाह के मुताबिक़ कीजिए।" मुक़दमे का दूसरा पक्ष ज़्यादा समझदार था, उसने अर्ज़ किया : "हां! या रसूलल्लाह सल्ल०! हमारे बीच किताबुल्लाह के मुताबिक़ ही फ़ैसला फ़रमाइए। लेकिन मुझे बात करने की इजाज़त दीजिए।" आप सल्ल० ने फ़रमाया : "अच्छा बात करो।" उसने अर्ज़ किया : "मेरा बेटा इसके घर नौकर था, उसने इसकी पत्नी से ज़िना किया। लोगों ने मुझसे कहा तेरे बेटे के लिए रजम की सज़ा है। मैंने उसके बदले सौ बकरियां सदक़ा कीं और एक लौंडी अदा की है फिर मैंने उलमा से पूछा तो उन्होंने कहा "तेरे बेटे के लिए सौ कोड़ों की सज़ा और एक साल का देश निकाला है और दूसरे पक्ष की पत्नी के लिए संगसारी की सज़ा है।" रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे बीच किताबुल्लाह के मुताबिक़ ही फ़ैसला करूंगा।" पहले पक्ष को हुक्म दिया कि "अपनी बकरियां और लौंडी वापस ले लो, तुम्हारे बेटे के लिए सौ कोड़े और एक साल तक देश निकाले की सज़ा है।" फिर एक सहाबी हज़रत अनीस रज़ि० को हुक्म दिया कि "तुम कल उस औरत से जाकर पूछो, अगर वह ज़िना का इक़रार करे, तो उसे संगसार कर दो।" हज़रत अनीस रज़ि० अगले रोज़ गए। औरत ने ज़िना का इक़रार कर लिया, तो नबी

अकरम सल्ल० के हुक्म से वह संगसार कर दी गई।[1] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 55 : गुमराही से बचने के लिए किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्ल० दोनों के अनुसरण का हुक्म है।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला 22 के अन्तर्गत देखें।

मसला 56 : जो अमल सुन्नते रसूल सल्ल० के मुताबिक़ न हो, वह अल्लाह तआला के यहां स्वीकार्य नहीं।

स्पष्टीकरण : हदीस मसला 30 के अन्तर्गत देखें।

मसला 57 : दीनी मसाइल में नबी अकरम सल्ल० का दव्य द्वारा मार्गदर्शन किया जाता जिसका आज्ञा पालन अल्लाह तआला के हुक्म की तरह ही वाजिब है। कुछ मिसालें देखें।

١ـ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِاللّٰهِ يَقُولُ مَرِضْتُ فَجَاءَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَبَّ وَضُوءَهُ عَلَيَّ فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ أَيْ رَسُولَ اللّٰهِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي قَالَ فَمَا أَجَابَنِي بِشَيْءٍ حَتّٰى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ – رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि० कहते हैं कि मैं बीमार हुआ तो रसूलुल्लाह सल्ल० और हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि० देखने के लिए तशरीफ़ लाए। मैं बेहोश था। आप सल्ल० ने वुज़ू किया और वुज़ू का पानी मुझ पर डाला, जिससे मैं होश में आ गया। मैंने अर्ज़ किया : "या रसूलल्लाह! एक बार हज़रत सुफ़ियान रज़ि० ने आप सल्ल० से पूछा था कि मैं अपने माल का क्या फ़ैसला करूं?" फिर हज़रत सुफ़ियान रज़ि० ने बताया कि "आप सल्ल० ने उस समय तक कोई जवाब न दिया जब तक मीरास की आयत न उतरी।"[2] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

---

1. लुअ्लूअू वल मरजान, दूसरा भाग, हदीस 1103।
2. किताबुल आसाम।

٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتٰى رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأٰى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَأَنْزَلَ اللّٰهُ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **قَدْ قُضِيَ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ** قَالَ فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)

हज़रत सहल बिन साअद रज़ि० से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्ल० के पास हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया : "या रसूलल्लाह सल्ल०! अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को पराये मर्द के साथ देखे तो क्या करे? अगर क़त्ल करे तो आप सल्ल० उसे (क़िसास) में क़त्ल करवा देंगे। फिर आख़िर क्या करे?" (आप सल्ल० ने कोई जवाब न दिया यहां तक कि) अल्लाह तआला ने उन दोनों के बारे में क़ुरआन मजीद में लिआन का हुक्म नाज़िल फ़रमाया तब रसूलुल्लाह सल्ल० ने उस व्यक्ति से फ़रमाया : "तेरा और तेरी पत्नी का फ़ैसला हो गया। अतएव दोनों ने लिआन किया (रावी कहते हैं) मैं उस समय नबी अकरम सल्ल० के पास मौजूद था। तब से यह सुन्नत जारी हुई कि लिआन करने वाले पति पत्नी में जुदाई करा दी जाए।"[1] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

٣- عَنْ عَبْدِاللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرْثٍ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلٰى عَسِيبٍ إِذْ مَرَّ الْيَهُودُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَقَالَ مَا رَأْيُكُمْ إِلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا يَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ فَقَالُوا سَلُوهُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ شَيْئًا فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوحٰى إِلَيْهِ فَقُمْتُ مَقَامِي فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ: **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا** رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० कहते हैं एक बार मैं नबी अकरम सल्ल० के साथ एक बाग़ में था, आप सल्ल० खजूर की एक छड़ी पर टेक

---

1. किताबुत्तफ़सीर।

लगाए हुए थे कि यहूदी गुज़रे वे आपस में एक दूसरे से कहने लगे इन (अर्थात मुहम्मद सल्ल०) से रूह के बारे में सवाल करो (उनमें से) एक ने कहा : "मुहम्मद सल्ल० के बारे में तुम्हें किस चीज़ ने सन्देह में डाल दिया है (कि वह रसूल ही न हों)" कुछ यहूदियों ने कहा : "मुहम्मद सल्ल० कोई ऐसी बात न कह दें, जो तुम्हें बुरी लगे।" फिर उन्होंने (फ़ैसला करके) कहा : "अच्छा चलो सवाल करो।" अतएव यहूदियों ने आप सल्ल० से पूछा : "रूह क्या चीज़ है?" नबी अकरम सल्ल० ख़ामोश रहे उन्हें कोई जवाब न दिया। मैं समझ गया कि आप सल्ल० पर वह्य नाज़िल हो रही है अतएव अपनी जगह पर खड़ा रहा। जब वह्य नाज़िल हो चुकी तो आप सल्ल० ने यह आयत तिलावत फ़रमाई 'यसअलू-न-क अ़निर्रूह क़ुलिर रूहु मिन अमरि रब्बी' अनुवाद "ऐ मुहम्मद लोग आप सल्ल० से रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए रूह मेरे रब का हुक्म है और तुमको (इस बारे में) कम ही ज्ञान दिया गया है।'[1] (सूरह बनी इसराईल : 85)

मसला 58 : क़ुरआन मजीद के अलावा भी अल्लाह तआला नबी अकरम सल्ल० को दीन के आदेश सिखलाते थे जिन पर ईमान लाना और अमल करना उसी तरह वाजिब है जिस तरह क़ुरआन मजीद के आदेशों पर ईमान लाना और अमल करना वाजिब है कुछ मिसालें ये हैं।

١ - عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ نِصْفَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمَ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ (١) (حَسَنٌ)

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "अल्लाह तआला ने मुसाफ़िर को आधी नमाज़ की छूट, और रोज़ा विलम्बित करने की छूट दी है जबकि हामिला और दूध पिलाने वाली औरत को (केवल) रोज़ा विलम्बित करने की छूट दी है।" इसे नसाई ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण : क़ुरआन मजीद में अल्लाह तआला ने केवल मुसाफ़िर और बीमार का ज़िक्र किया है जबकि यहां हामिला और दूध पिलाने वाली औरत को दी गई छूट को भी रसूलुल्लाह सल्ल० ने अल्लाह तआला ही की तरफ़

---

1. किताबुत्तफ़सीर।

मंसूब किया है।

٢- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ذَهَبَ الرِّجَالُ بِحَدِيثِكَ فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللّٰهُ فَقَالَ: اجْتَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَاجْتَمَعْنَ فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا ثَلَاثَةً إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَوِ اثْنَيْنِ قَالَ فَأَعَادَتْهَا مَرَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَاثْنَيْنِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)

हज़रत अबू सईद रज़ि० कहते हैं कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया : "या रसूलल्लाह सल्ल०! आप सल्ल० की सारी शिक्षाएं (हदीसों) मर्दों ने ले ली हैं। (सप्ताह में) एक दिन हमारी शिक्षा के लिए भी निर्धारित फ़रमा दीजिए जिसमें हमें वे बातें सिखाइए। जो अल्लाह ने आप सल्ल० को सिखलाई हैं।" आप सल्ल० ने इरशाद फ़रमाया : "अच्छा फ़लां फ़लां दिन फ़लां फ़लां जगह जमा हुआ करो।" अतएव औरतें जमा हुईं और रसूलुल्लाह सल्ल० उनके पास तशरीफ़ ले गए और जो बातें अल्लाह ने आप सल्ल० को सिखलाई थीं वे उनको सिखलाईं। फिर फ़रमाया : "तुममें से जो औरत अपने तीन बच्चे आगे भेज चुकी है (अर्थात मर चुके हैं) तो क़ियामत के दिन वे बच्चे (सब्र करने पर) उसके लिए जहन्नम से रुकावट बनेंगे।" एक औरत ने सवाल किया : "अगर दो बच्चे मरे हों। औरत ने दो का शब्द दोहराया तो आप सल्ल० ने जवाब दिया, "हां दो भी, दो भी, दो भी।"[1] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

٣- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّكُمْ قَالَ: لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० नबी अकरम सल्ल० से और नबी अकरम सल्ल० अपने रब से रिवायत करते हैं कि अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है

1. किताबुल आसाम।

"हर कर्म का बदला है और रोज़ा मेरे लिए है मैं ही उसका बदला दूंगा। "रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के निकट मुश्क की ख़ुश्बू से ज़्यादा अच्छी है।"[1] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ قَالَ: إِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبَ مِنِّي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١)

हज़रत अनस रज़ि० नबी अकरम सल्ल० से रिवायत करते हैं और नबी अकरम सल्ल० अपने रब से रिवायत करते हैं कि अल्लाह तआला फ़रमाता है "जब कोई बन्दा बालिश्त भर मेरी तरफ़ आता है तो मैं हाथ भर उसकी तरफ़ आता हूं, जब बन्दा हाथ भर मेरी तरफ़ आता है तो मैं दो हाथ उसकी तरफ़ बढ़ता हूं जब बन्दा चलकर मेरी तरफ़ आता है तो मैं दौड़ कर उसकी तरफ़ आता हूं।"[2] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) (صَحِيح)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया, अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है "किबरियाई मेरी ओढ़नी है और महानता मेरी चादर है जिसने इन दोनों में से किसी एक को मुझसे छीना, मैं उसे जहन्नम में फेंक दूंगा।"[3] इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللّٰهُ أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٣)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया

1. किताबुत्तौहीद।
2. किताबुत्तौहीद।
3. सहीह सुनन अबी दाऊद लिल अलबानी, दूसरा भाग, हदीस 3446।

अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है : "ऐ इब्ने आदम! तू (मेरी राह में) ख़र्च कर, तुझ पर ख़र्च किया जाएगा।"[1] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण : रसूले अकरम सल्ल० का अल्लाह तआला से सीधे रिवायत करना इस बात की दलील है कि क़ुरआन मजीद के अलावा कुछ दूसरे शरई आदेश भी आप सल्ल० को अल्लाह तआला की तरफ़ से सिखलाए जाते थे।

1. रिवायत बुख़ारी किताबुत्तफ़सीर, टीका सूरह हूद।

أَلسُّنَّةُ وَالصَّحَابَةُ

सुन्नत सहाबा किराम की नज़र में

मसला 59 : सहाबा किराम रज़ि० रसूले अकरम सल्ल० के तमाम कथनों व कामों की ठीक ठाक उसी तरह अनुसरण करने की कोशिश फ़रमाते जिस तरह नबी अकरम सल्ल० से सुनते या आप सल्ल० को करते देखते थे। कुछ मिसालें देखें।

60 : सुन्नत के अनुसरण के लिए सुन्नत की ज़रूरत और हिक्मत समझ में आना ज़रूरी नहीं।

١- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا أَوْ قَالَ أَذًى وَقَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (١) (صَحِيح)

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि० कहते हैं कि एक बार रसूलुल्लाह सल्ल० सहाबा किराम रज़ि० को नमाज़ पढ़ा रहे थे कि दौराने नमाज़ आप सल्ल० ने जूते उतार कर बाईं ओर रख दिए। जब सहाबा किराम रज़ि० ने देखा तो उन्होंने भी अपने जूते उतार दिए। रसूले अकरम सल्ल० ने नमाज़ ख़त्म की, तो मालूम किया : "तुम लोगों ने अपने जूते क्यों उतारे?" सहाबा किराम रज़ि० ने अर्ज़ किया : "हमने चूंकि आप सल्ल० को जूते उतारते देखा अतः हमने भी अपने जूते उतार दिए।" रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "मुझे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर बताया था कि मेरे जूतों में गन्दगी है या कहा कि कष्ट देने वाली चीज़ है" (अतः मैंने उतार दिए) फिर आप सल्ल० ने सहाबा रज़ि० को नसीहत फ़रमाई : "जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आओ तो

पहले अपने जूतों को अच्छी तरह देख लिया करो। अगर उनमें गन्दगी लगी हो तो उसे साफ़ कर लो, फिर उनमें नमाज़ पढ़ो।"[1] इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

٢- عَنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالَ فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

हज़रत अबू राफ़ेअ रज़ि० फ़रमाते हैं कि मर्वान ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० को मदीना का (कार्यवाहक) गवर्नर बनाया और (स्वयं किसी काम से) मक्का चले गए। इसी दौरान हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० ने नमाज़े जुमा पढ़ाई। पहली रकअत में सूरह जुमआ और दूसरी रकअत में सूरह मुनाफ़िक़ून तिलावत की। हज़रत अबू राफ़ेअ रज़ि० कहते हैं कि नमाज़ के बाद मैं हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से मिला और अर्ज़ किया आपने वही सूरतें तिलावत फ़रमाईं जो हज़रत अली रज़ि० (अपने कार्यकाल में) कूफ़ा में पढ़ा करते थे। हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० ने फ़मरया : "मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को ये दोनों सूरतें नमाज़े जुमा में पढ़ते सुना है। (इसीलिए मैंने पढ़ी हैं)[2] इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

٣- عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ مِزْمَارًا قَالَ فَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَنَأَى عَنِ الطَّرِيقِ وَقَالَ لِي يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا قَالَ فَقُلْتُ لَا قَالَ فَرَفَعَ إِصْبَعَيْهِ مِنْ أُذُنَيْهِ وَقَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ مِثْلَ هٰذَا فَصَنَعَ مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ نَافِعٌ : فَكُنْتُ إِذْ ذَاكَ صَغِيرًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٢) (صحيح)

हज़रत नाफ़ेअ रह० कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० ने बांसुरी की आवाज़ सुनी तो अपनी दोनों उंगलियां कानों में ठूंस लीं और रास्ते

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी प्रथम भाग, हदीस 605।
2. किताबुल जुमआ।

की दूसरी ओर काफ़ी दूर निकल गए और मुझसे पूछा : "ऐ नाफ़ेअ! क्या कुछ सुन रहे हो?" मैंने अर्ज़ किया : "नहीं" तब उन्होंने अपनी उंगलियां कानों से निकालीं और फ़रमाया : "मैं रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ था, रसूलुल्लाह सल्ल० नें बांसुरी की आवाज़ सुनी और ऐसे ही किया (जैसे मैंने अब किया है) हज़रत नाफ़ेअ रज़ि० ने यह भी बताया कि उस समय मैं छोटी उमर का लड़का था।[1] इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

٤- عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ سَالِمٌ وَ عَلَيْكَ و عَلى أُمِّكَ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ مِمَّا قُلْتُ لَكَ قَالَ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ لَمْ تَذْكُرْ أُمِّيْ بِخَيْرٍ وَلَا بِشَرٍّ قَالَ إِنَّمَا قُلْتُ لَكَ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ إِنَّا بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَعَلَيْكَ وَ عَلى أُمِّكَ ثُمَّ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْمَدِ اللهَ قَالَ فَذَكَرَ بَعْضَ الْمَحَامِدِ وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ يَرْحَمُكَ اللهُ وَلْيَرُدَّ يَعْنِي عَلَيْهِمْ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ ـ رَوَاهُ أَبُوْدَاوُد.

(صحيح) (١)

हज़रत हिलाल बिन यसाफ़ रज़ि० कहते हैं हम सालिम बिन उबैद के पास थे कि एक आदमी ने छींक मारी और कहा "अस्सलामु अलैकुम"। हज़रत सालिम रज़ि० ने उसके जवाब में कहा "व अलै-क व अला उम्मु-क" (अर्थात तुझ पर और तेरी मां पर भी सलाम) फिर कहा जो मैंने कहा है शायद उस पर तुझे नागवारी महसूस हुई है। आदमी ने जवाब में कहा मेरी इच्छा थी कि तुम मेरी मां का अच्छे शब्दों में ज़िक्र करते न बुरे शब्दों से। तो हज़रत सालिम ने कहा सुनो मैंने यह जवाब इसलिए दिया कि हम नबी अकरम सल्ल० की सेवा में हाज़िर थे कि एक आदमी ने छींक मारी और अस्सलामु अलैकुम कहा, तो उसके जवाब में नबी अकरम सल्ल० ने भी यही जवाब दिया था।" "व अलै-क व अला उम्मु-क" (अतः मैंने भी वैसा ही कहा है) और फिर नबी अकरम सल्ल० ने उसे बताया "जब छींक मारो, तो "अलहम्दुलिल्लाह" कहो। रावी कहते हैं कि आप सल्ल० ने कुछ अन्य हम्द के कलिमात का ज़िक्र भी किया और फिर आप सल्ल० ने फ़रमाया : "छींकने वाले के पास जो

1. सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी तीसरा भाग, हदीस 4116।

व्यक्ति मौजूद हो उसे "यरहमुकल्लाह" कहना चाहिए और छींकने वाले को फिर "यग़फ़िरल्लाहु लना व लकुम" कहना चाहिए।[1] इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

٥- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا أَنْ نَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١) (حَسَنٌ)

हज़रत नाफ़ेअ रज़ि० से रिवायत है कि एक आदमी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० के पास छींक मारी और कहा "अलहम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह"। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० ने फ़रमाया : "अलहम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह" तो मैं भी कहता हूं (अर्थात मुझे भी रसूलुल्लाह पर सलाम भेजने में कोई आपत्ति नहीं) लेकिन रसूलुल्लाह सल्ल० ने हमें यूं सिखाया है (छींक के बाद) हम "अलहम्दुलिल्लाह अला कुल हाल" (अर्थात हर हाल में अल्लाह का शुक्र है) कहें (अतः जो सुन्नत तरीक़ा है वही इख़्तियार करो)[2] इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

٦- عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِلرُّكْنِ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢)

हज़रत ज़ैद बिन असलम अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० ने हजरे असवद को सम्बोधित करके कहा : "वल्लाह मैं जानता हूं, तू एक पत्थर है न नुक़सान पहुंचा सकता है न लाभ दे सकता है। अगर मैंने नबी अकरम सल्ल० को इस्तलाम (हजरे असवद को हाथ लगाकर

1. मिश्कातुल मसाबीह, लिल अलबानो दूसरा भाग, हदीस 4741।
2. सही सुनन तिर्मिज़ी लिल अलबानी दूसरा भाग, हदीस 2200।

बोसा देना) करते न देखा होता तो तुझे कभी न चूमता। फिर फ़रमाया अब हमें रमल करने की क्या ज़रूरत है। रमल तो मुशरिकों को दिखाने के लिए था। अब अल्लाह ने उन्हें विनष्ट कर दिया है फिर ख़ुद ही फ़रमाया : "लेकिन रमल तो वह चीज़ है जो रसूलुल्लाह सल्ल० की सुन्नत है और सुन्नत छोड़ना हमें पसन्द नहीं।"[1] इसे बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।

٧ـ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفَضْلِهِ إِلَيَّ وَإِنَّهُ بَعَثَ إِلَيَّ يَوْمًا بِفَضْلَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا لِأَنَّ فِيهَا ثُومًا فَسَأَلْتُهُ أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ: لَا وَلٰكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُ مَا كَرِهْتَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० के पास जब खाना लाया जाता तो आप सल्ल० उसमें से खाने के बाद मेरे पास भेज देते। एक दिन आप सल्ल० ने बर्तन जूं का तूं खाए बिना मेरी तरफ़ भेज दिया क्योंकि उसमें लहसुन था। मैंने आप सल्ल० से पूछा : "क्या लहसुन हराम है?" आप सल्ल० ने फ़रमाया : "नहीं लेकिन मैं इसकी बू की वजह से इसे पसन्द नहीं करता।" हज़रत अबू अय्यूब रज़ि० ने कहा : "जो चीज़ आप सल्ल० नापसन्द फ़रमाते हैं मैं भी उसे नापसन्द करता हूं।"[2] इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

٨ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللّٰهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ فَقَالَ رَجُلٌ الْحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ قَالَ: لَا صِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ هٰكَذَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर है। अल्लाह की तौहीद, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े और हज

---

1. लुअ्लूअ् वल मरजान, प्रथम भाग, हदीस 799।
2. किताबुल अशरबा।

अदा करना। एक व्यक्ति ने (बात दोहराकर) पूछा : "हज और रमज़ान के रोज़े" अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० ने फ़रमाया : "(नहीं) रमज़ान के रोज़े और हज। मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० से इस क्रम से हदीस सुनी थी।"[1] इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

٩ـ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي مَحْلُولٌ أَزْرَارُهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٢) (حسن)

हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ि० फ़रमाते हैं, मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० को खुले बटनों के साथ नमाज़ पढ़ते हुए देखा, तो मैंने उनसे पूछा, आप ऐसा क्यों करते हैं तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० ने जवाब दिया। मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को ऐसे ही नमाज़ पढ़ते देखा है।[2] इसे इब्ने ख़ुज़ैमा ने रिवायत किया है।

١٠ـ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَمَرَّ بِمَكَانٍ فَحَادَ عَنْهُ فَسُئِلَ لِمَ فَعَلْتَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هٰذَا فَفَعَلْتُ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّارُ (٣) (صَحِيْح)

हज़रत मुजाहिद रह० कहते हैं कि हम अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० के साथ एक सफ़र में जा रहे थे एक जगह से गुज़रे, तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० रास्ते से दूर हट गए। उनसे पूछा गया : "आपने ऐसा क्यों किया?" अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० ने जवाब दिया : "मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को ऐसे ही करते देखा है। इसलिए मैंने ऐसा किया है।"[3] इसे अहमद और बज़्ज़ार ने रिवायत किया है।

١١ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا كَانَ حِينَ رَاحَ رُحْتُ مَعَهُ حَتّٰى أَتَى الْإِمَامَ فَصَلّٰى مَعَهُ الْأُولَى وَالْعَصْرَ ثُمَّ وَقَفَ مَعَهُ وَأَنَا وَأَصْحَابٌ لِي حَتّٰى أَفَاضَ الْإِمَامُ فَأَفَضْنَا مَعَهُ حَتّٰى انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَضِيقِ دُونَ الْمَأْزِمَيْنِ فَأَنَاخَ وَأَنَخْنَا وَنَحْنُ

---

1. किताबुल ईमान।
2. सहीह तर्ग़ीब वत्तर्हीब, लिल अलबानी प्रथम भाग, हदीस 43।
3. सहीह तर्ग़ीब वत्तर्हीब, लिल अलबानी प्रथम भाग, हदीस 44।

ـحْسَبُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ فَقَالَ غُلَامُهُ الَّذِي يُمْسِكُ رَاحِلَتَهُ إِنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنَّـهُ
:كَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْتَهَى إِلَى هٰذَا الْمَكَانِ قَضَى حَاجَتَهُ فَهُـوَ يُحِـبُّ
ـنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ (١) (صَحِيْح)

हज़रत अनस बिन सीरीन रह० फ़रमाते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० के साथ अरफ़ात में था। जब वे कहीं जाते तो मैं भी उनके साथ जाता। यहां तक कि हम इमाम के पास पहुंचे और उसके साथ नमाज़े ज़ोहर व अस्र (जमा करके) अदा कीं। फिर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० ने वक़ूफ़ फ़रमाया। तो मैं और मेरे साथियों ने भी उनके साथ वक़ूफ़ किया। यहां तक कि इमाम (अरफ़ात से) वापस लौटे। तो हम भी उनके साथ वापस लौटे यहां तक कि उसी तंग रास्ते पर पहुंचे जो माज़मीन (जगह का नाम) से पहले है। वहां पहुंच कर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० ने अपनी सवारी बिठा दी और हमने भी अपनी सवारी बिठा दीं। हमारा विचार था कि अब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन जो मुलाज़िम उनकी सवारी पर नियुक्त था। उसने बताया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० नमाज़ नहीं पढ़ना चाहते बल्कि नबी अकरम सल्ल० यहां पहुंच कर पेशाब पाख़ाना से फ़ारिग़ हुए थे अतएव हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० भी इसी जगह पेशाब पाख़ाना से फ़ारिग़ होना पसन्द करते थे।[1] इसे अहमद ने रिवायत किया है।

١٢- عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ اسْتَقْبَلْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّـامِ فَلَقِينَـاهُ بِعَيْـنِ التَّمْرِ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ مِنْ ذَا الْجَانِبِ يَعْنِي عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ رَأَيْتُكَ تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَعَلَـهُ لَـمْ أَفْعَلْـهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)

हज़रत अनस बिन सीरीन रह० फ़रमाते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि० शाम से तशरीफ़ लाए तो ठीक तमर के मक़ाम पर हमने उनका स्वागत किया। मैंने उन्हें गधे पर नमाज़ पढ़ते देखा और गधे का रुख़ क़िब्ला की बजाए क़िब्ला दाईं तरफ़ था। मैंने हज़रत अनस रज़ि० से पूछा कि आपने क़िब्ले की तरफ़ रुख़ किए बिना नमाज़ पढ़ी है? उन्होंने फ़रमाया "अगर मैं

1. सहीह तर्ग़ीब वत्तर्हीब लिलबानी प्रथम भाग, हदीस 46।

रसूलुल्लाह सल्ल० को इस तरह नमाज़ पढ़ते न देखता तो कभी ऐसे नमाज़ न पढ़ता।"[1] इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।

١٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذَهُ وَقَالَ إِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا** فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं कि नबी अकरम सल्ल० ने सोने की एक अंगूठी बनवाई, तो सहाबा किराम रज़ि० ने भी आप सल्ल० की देखा देखी अंगूठियां बनवा लीं। आप सल्ल० ने फ़रमाया : "मैंने सोने की अंगूठी बनवाई थी।" (तुमने भी बनवा लीं) अतएव आप सल्ल० ने अंगूठी उतार फेंकी और फ़रमाया : "अब मैं कभी इस्तेमाल नहीं करूंगा।" (आप सल्ल० के अनुसरण में) सहाबा किराम रज़ि० ने भी अपनी अपनी अंगूठियां उतार कर फेंक दीं।"[2] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

١٤- عَنِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **نِعْمَ الرَّجُلُ خُرَيْمٌ الْأَسَدِيُّ لَوْلَا طُولُ جُمَّتِهِ وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ** فَبَلَغَ ذٰلِكَ خُرَيْمًا فَعَجِلَ فَأَخَذَ شَفْرَةً فَقَطَعَ بِهَا جُمَّتَهُ إِلَى أُذُنَيْهِ وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) (حَسَنٌ)

सहाबी रसूल इब्ने हन्ज़ला रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया : "अगर ख़ुरैम असदी के बाल लम्बे न होते और तहबन्द लम्बा न होता तो बहुत अच्छा आदमी था। रसूले अकरम सल्ल० की यह बात ख़ुरैम असदी तक पहुंची, तो स्वयं ही छुरी लेकर कानों तक अपने बाल काट दिए और तहबन्द आधा पिंडलियों तक ऊंचा कर लिया।[3] इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

---

1. किताबुत्तफ़सीर।
2. किताबुल आसाम।
3. सहीह सुनन अबी दाऊद लिल अलबानी तीसरा भाग, हदीस 4461।

١٥- وَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: **يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ** فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ لَا وَاللّٰهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने एक आदमी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, तो उसे उतार कर फेंक दिया और फ़रमाया : "तुममें से कोई सोने की अंगूठी पहन कर मानो आग के अंगारे का इरादा करता है। रसूलुल्लाह सल्ल० के तशरीफ़ ले जाने के बाद उस आदमी से कहा गया अंगूठी उठा लो और उससे कोई (दूसरा) लाभ हासिल कर लो (अर्थात अपनी पत्नी, बहन को दे दो या बेच दो) सहाबी ने कहा : "अल्लाह की क़सम! जिस अंगूठी को रसूलुल्लाह सल्ल० ने फेंक दिया है उसे कभी नहीं उठाऊंगा।"[1] इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

١٥- وَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: **يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ** فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ لَا وَاللّٰهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

हज़रत जाबिर रज़ि० से रिवायत है कि एक बार जुमा के दिन रसूलुल्लाह सल्ल० (ख़ुतबा) देने के लिए मिंबर पर तशरीफ़ लाए तो फ़रमाया : लोगो! बैठ जाओ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० ने सुना तो मस्जिद के दरवाज़े पर ही बैठ गए। रसूलुल्लाह सल्ल० ने देखा तो फ़रमाया : "अब्दुल्लाह मस्जिद के अंदर आकर बैठो।"[2] इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

---

1. किताबुल्लिबास वज़्जीनत।
2. सहीह सुनन अबी दाऊद लिल अलबानी प्रथम भाग, हदीस 203।

أَلسُّنَّةُ وَالْأَئِمَّةُ

सुन्नत इमामों की नज़र में

मसला 61 : सुन्नते रसूल सल्ल० की मौजूदगी में तमाम इमामों ने अपने कथनों और राय को तर्क करके सुन्नत पर अमल करने का हुक्म दिया है।

سُئِلَ عَنْ اَبِیْ حَنِیْفَۃ رَحِمَہُ اللّٰہُ تَعَالٰی اِذَا قُلْتَ قَوْلًا وَ کِتَابُ اللّٰہِ یُخَالِفُہُ قَالَ اتْرُکُوْا بِکِتَابِ اللّٰہِ فَقِیْلَ اِذَا کَانَ خَبْرُ الرَّسُوْلِ یُخَالِفُہُ ؟ قَالَ اتْرُکُوْا قَوْلِیْ بِخَبْرِ رَسُوْلِ اللّٰہِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقِیْلَ اِذَا کَانَ قَوْلُ الصَّحَابَۃِ یُخَالِفُہُ ؟ قَالَ اُتْرُکُوْا قَوْلِیْ بِقَوْلِ الصَّحَابَۃِ ذَکَرَہُ فِیْ عَقْدِ الْجِیْدِ (١)

हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रह० से पूछा किया अगर आपका कोई कथन क़ुरआन मजीद के ख़िलाफ़ हो तो क्या किया जाए? इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने जवाब दिया कि "क़ुरआन मजीद के मुक़ाबले में मेरा कथन छोड़ दो।" फिर पूछा गया अगर आपका कोई कथन सुन्नते रसूल सल्ल० के ख़िलाफ़ हो तो क्या किया जाए? इमाम अबू हनीफ़ा रह० ने जवाब दिया कि "सुन्नते रसूल सल्ल० के मुक़ाबले में मेरा कथन छोड़ दो। फिर पूछा गया कि आपका क़ौल सहाबा किराम रज़ि० के कथन के विपरीत हो तो फिर क्या किया जाए? फ़रमाया : "सहाबा के कथन के मुक़ाबले में भी मेरा कथन छोड़ दो। यह कथन अक़दिल जदीद में है।[1]

قَالَ مَالِكُ بْنِ اَنَسٍ رَحِمَہُ اللّٰہُ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ اُخْطِئُ وَاُصِیْبُ فَانْظُرُوْا فِیْ رَأْیِیْ فَکُلُّ مَاوَافَقَ الْکِتَابَ وَالسُّنَّۃَ فَخُذُوْہُ وَکُلُّ مَالَمْ یُوَافِقْ فَاتْرُکُوْہُ ذَکَرَہُ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِی الْجَامِعِ (٢)

हज़रत इमाम मालिक बिन अनस रज़ि० फ़रमाते हैं "निःसन्देह मैं मनुष्य हूं, मेरा कथन सही भी हो सकता है, ग़लत भी हो सकता है। अतः मेरे कथन पर सोच विचार करो जो किताब व सुन्नत के मुताबिक़ हो उस पर अमल करो,

---

1. हक़ीक़तुल फ़िक़्ह अज़ मुहम्मद यूसुफ़, सफ़ा 69।

और जो उसके ख़िलाफ़ हो उसे छोड़ दो।'' अब्दुल बर ने (किताब) जामे बयानुल इल्म में इसका ज़िक्र किया है।[1]

عَنِ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللّٰهُ اِنَّهُ كَانَ يَقُولُ اِذَا وَجَدتُّم فِي كِتَابِي خِلَافَ سُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُوا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعُوا مَا قُلْتُ وَفِي رِوَايَةٍ فَاتَّبِعُوهَا وَلَا تَلْتَفِتُوا اِلَى قَوْلِ اَحَدٍ ذَكَرَهُ ابْنِ عَسَاكِرَ وَالنَّوَوِى وَابْنُ الْقَيِّمِ (١)

हज़रत इमाम शाफ़ई रह० फ़रमाते हैं ''जब तुम मेरी किताब में कोई बात सुन्नते रसूल सल्ल० के ख़िलाफ़ पाओ तो मेरी बात छोड़ दो और सुन्नत के मुताबिक़ अमल करो। एक दूसरी रिवायत में है कि केवल सुन्नते रसूल सल्ल० का अनुसरण करो और किसी भी दूसरे व्यक्ति की बात पर ध्यान न दो।''[2] इब्ने असाकिर नववी और इब्नुल क़य्यिम ने इसका ज़िक्र किया है।

قَالَ الْاِمَامُ اَحْمَدُ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى لَا تُقَلِّدُونِي وَلَا تُقَلِّدُوا مَالِكًا وَلَا الشَّافِعِيَّ وَلَا الْاَوْزَاعِيَّ وَلَا الثَّورِيَّ وَخُذْ مِنْ حَيْثُ اَخَذُوا ذَكَرَهُ الْفُلَانِيُّ (٢)

इमाम अहमद रह० फ़रमाते हैं ''न मेरी तक़्लीद करो, न इमाम मालिक की, न इमाम शाफ़ई की, न इमाम औज़ाई और न इमाम सूरी की बल्कि दीन के आदेश वहीं से लो जहां से उन्होंने लिए।'' (अर्थात किताब व सुन्नत से) फ़लानी ने (अपनी किताब हुमम ऊलिल अबसार) में इसका ज़िक्र किया है।[3]

عَنْ اَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى اِنَّهُ كَانَ يَقُولُ اِيَّاكُم وَالْقَولَ فِي دِيْنِ اللّٰهِ تَعَالَى بِالرَّأي وَعَلَيْكُم بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ فَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا ضَلَّ ذَكَرَهُ فِي الْمِيزَانِ (٤)

इमाम अबू हनीफ़ा रह० फ़रमाते हैं ''लोगो! दीन में अपनी अक़्ल से बात करने से बचो और सुन्नते रसूल सल्ल० के अनुसरण को अपने लिए लाज़िम कर लो, जो कोई सुन्नत से हटा, वह गुमराह हो गया।''[4] इसका ज़िक्र (इमाम शोअरानी ने अपनी किताब) अल मीज़ान में किया है।

---

1. अल हदीस हुज्जत बिनफ़सिही लिल अलबानी पृ० 79।
2. हक़ीक़तुल फ़िक़्ह, पृ० 75।
3. हदीस हुज्जत बिनफ़्सिही पृ० 80।
4. हक़ीक़तुल फ़िक़्ह, पृ० 72।

मसला 62 : इमाम अबू हनीफ़ा रह० के नज़दीक हदीस पर अमल करना हिदायत है और हदीस के विपरीत करना गुमराही और बिगाड़ है।

عَنْ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ فِى صَلَاحٍ مَادَامَ فِيْهِم مَنْ يَّطْلُبُ الْحَدِيْثَ فِاِذَا طَلَبُوا العِلْمَ بِلَا حَدِيْثٍ فَسَدُوا ذَكَرَهُ الشَّعْرَانِىُّ فِى الْمِيزَانِ (١)

इमाम अबू हनीफ़ा रह० फ़रमाते हैं "लोग उस समय तक हिदायत पर क़ायम रहेंगे जब तक उनमें इल्मे हदीस हासिल करने वाले मौजूद रहेंगे। जब हदीस के बिना (दीन का) इल्म हासिल किया जाएगा तो लोगों में बिगाड़ और फ़साद पैदा हो जाएगा।"[1] शोअरानी ने मीज़ान में इसका ज़िक्र किया है।

मसला 63 : सुन्नते रसूल सल्ल० की मौजूदगी में राय मालूम करने वाले को इमाम मालिक रह० ने फ़ितने में पड़ने या अज़ाब का शिकार होने की चेतावनी।

جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى مَالِكٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَهُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ الرَّجُلُ: اَرَأَيْتَ؟ قَالَ مَالِكٌ: فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٢٤ :٦٣) - رَوَاهُ فِى شَرْحِ السُّنَّةِ (٢)

एक आदमी इमाम मालिक रह० के पास आया और कोई मसला मालूम किया। इमाम मालिक रह० ने बताया कि इस बारे में रसूलुल्लाह सल्ल० का इरशाद मुबारक यह है। उस आदमी ने अर्ज़ किया "इस बारे में आपकी क्या राय है?" इमाम मालिक रह० ने जवाब में यह आयत तिलावत फ़रमाई "जो लोग रसूलुल्लाह सल्ल० के हुक्म का विरोध करते हैं उन्हें डरना चाहिए कि वे किसी फ़ितने या दरर्दनाक अज़ाब का शिकार न हो जाएं।"[2] यह रिवायत शरहुस्सुन्नह में है।

मसला 64 : सुन्नते रसूल सल्ल० के बारे में इमाम शाफ़ई रह० के कुछ कथन।

اَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلٰى اَنَّ مَنِ اسْتَبَانَ لَهُ سُنَّةٌ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ اَنْ يَدَعَهَا لِقَوْلِ اَحَدٍ. ذَكَرَهُ اِبْنُ قَيِّمٍ وَالْفَلَّانِيُّ (٣)

---

1. हक़ीक़तुल फ़िक़्ह, पृ० 70।
2. प्रथम भाग, पृष्ठ 216।

"इस बात पर तमाम मुसलमानों की सहमति है कि जिस व्यक्ति को सुन्नते रसूल सल्ल० मालूम हो जाए उसके लिए किसी आदमी के कथन की ख़ातिर सुन्नत को तर्क करना जाइज़ नहीं।"[1] इब्ने क़य्यिम और फ़लानी ने इसका ज़िक्र किया है।

إِذَا رَأَيْتُمُونِى اَقُولُ قَوْلًا وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خِلَافُهُ فَاعْلَمُوا اَنَّ عَقْلِيْ قَدْ ذَهَبَ . ذَكَرَهُ اِبْنُ اَبِيْ حَاتِمٍ وَ اِبْنُ عَسَاكِرَ (١)

"मुझे जब नबी अकरम सल्ल० की सहीह हदीस के ख़िलाफ़ बात करते देखो तो समझ लो मेरा दिमाग़ चल गया।"[2] इब्ने अबी हातिम और इब्ने असाकिर ने इसका ज़िक्र किया है।

عَنِ الشَّافِعِيِّ رحمه الله تعالى اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ وَفِيْ رِوَايَةٍ اِذَا رَأَيْتُم كَلَامِيْ يُخَالِفُ الْحَدِيْثَ فَاعْمَلُوا بِالْحَدِيْثِ وَاضْرِبُوا بِكَلَامِيْ الْحَائِطَ ذَكَرَهُ فِى عَقْدِ الْجِيْدِ (٢)

हज़रत इमाम शाफ़ई रह० फ़रमाते हैं : "जब सहीह हदीस मिल जाए तो वही मेरा मज़हब है, और फ़रमाया जब मेरा कथन हदीस के ख़िलाफ़ पाओ, तो हदीस पर अमल करो और मेरा कथन दीवार पर दे मारो।"[3] इसका ज़िक्र अक़दिल जदीद में है।

मसला 65 : इमाम अहमद बिन हंबल रह० किसी आदमी के कथन की ख़ातिर सुन्नते रसूल सल्ल० को तर्क करना विनाश का कारण समझते थे।

قَالَ الْإِمَامُ اَحْمَدُ رَحمه الله تعالى: مَنْ رَدَّ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَهُوَ عَلَى شَفَا هَلَكَةٍ. ذَكَرَهُ اِبْنُ الْجَوْزِيِّ (٣)

इमाम अहमद रह० फ़रमाते हैं जिसने रसूलुल्लाह सल्ल० की हदीस को निरस्त कर दिया वह विनाश के किनारे पर खड़ा है।[4] इसका ज़िक्र इब्नुल जोज़ी ने किया है।

---

1. हदीस हुज्जत बिनफ़्सिी, लिल अलबानी पृष्ठ 80।
2. वजूबुल अमल, पृष्ठ 24।
3. हक़ीक़तुल फ़िक़्ह, पृष्ठ 74।
4. प्रथम भाग, पृष्ठ 216।

وَقَالَ: رَأْىُ الْأَوْزَاعِيِّ وَرَأْىُ مَالِكٍ وَرَأْىُ اَبِيْ حَنِيْفَةَ كُلُّهُ رَأْىٌ وَهُوَ عِنْدِىْ سَوَاءٌ وَاِنَّمَا الْحُجَّةُ فِى الْآثَارِ. ذَكَرَهُ اِبْنُ عَبْدُ الْبَرِّ فِى الْجَامِعِ

इमाम अहमद रह० फ़रमाते हैं इमाम औज़ाई, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा रह० में से हर एक की बात राय है और मेरे निकट सबका दर्जा एक जैसा है। हुज्जत केवल सुन्नते रसूल सल्ल० है। इब्ने अब्दुल बर ने जामेअ में इसका ज़िक्र किया है।

रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया :

(दीन में) हर नई चीज़ बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है– और हर गुमराही का ठिकाना आग है।

(इसे नसाई ने रिवायत किया है।)

تَعْرِيْفُ الْبِدْعَةِ

बिदअत की परिभाषा

मसला 66 : बिदअत का शाब्दिक अर्थ कोई चीज़ ईजाद करना या बनाना है।

मसला 67 : शरई परिभाषा में बिदअत का मतलब दीन में सवाब हासिल करने के लिए किसी ऐसी चीज़ की वृद्धि करना है जिसकी बुनियाद या असल सुन्नत में मौजूद न हो।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

हज़रत जाबिर रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "प्रशंसा व स्तुति के बाद (याद रखो) बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है और बेहतरीन हिदायत मुहम्मद सल्ल० की हिदायत है और बदतरीन काम दीन में नई बात ईजाद करना है और हर बिदअत (नई ईजाद हुई चीज़) गुमराही है।"[1] इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

1. किताबुल जुमआ।

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَه (٢) (صَحِيْح)

हज़रत इरबाज़ बिन सारिया रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "दीन में नई चीज़ों से बचो, इसलिए कि हर नई बात गुमराही है।"[1] इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

1. सहीह सुनन इब्ने माजा लिल अलबानी पहला भाग, हदीस 40।

ذَمُّ الْبِدْعَةِ

बिदअत की निंदा

मसला 68 : तमाम बिदअत सरासर गुमराही हैं।

मसला 69 : अच्छी बिदअत और बुरी बिदअत की तक़्सीम ख़िलाफे सुन्नत है।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرَّ الْأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

हज़रत जाबिर रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "प्रशंसा व स्तुति के बाद (याद रखो) बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है और बेहतरीन हिदायत मुहम्मद सल्ल० की हिदायत है और सबसे बुरा काम दीन में नई बात ईजाद करना है और हर बिदअत (नई ईजाद हुई चीज़) गुमराही है।"[1] इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُوْرَ الْمُحْدَثَاتِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (٢) (صَحِيْح)

हज़रत इरबाज़ बिन सारिया रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "दीन में नई चीज़ों से बचो, इसलिए कि हर नई बात गुमराही है।"[2] इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَإِنْ رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ. (٣)

---

1. किताबुल जुमआ।
2. सहीह सुनन इब्ने माजा लिल अलबानी पहला भाग, हदीस 40।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० फ़रमाते हैं : "तमाम बिदअतें गुमराही हैं, चाहे प्रत्यक्ष में लोगों को अच्छी ही लगें।"[1] इसे दारमी ने रिवायत किया है।

मसला 70 : बिदअती की हिमायत करने वाले पर अल्लाह की लानत है।

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللّٰهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١)

हज़रत अली रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "अल्लाह ने लानत की है उस व्यक्ति पर, जो ग़ैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़ब्ह करे, जो ज़मीन की हदें तब्दील करे, जो अपने मां बाप पर लानत करे और जो बिदअती को पनाह दे।"[2] इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 71 : बिदअती अमल अल्लाह के यहां मर्दूद हैं।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢)

हज़रत आइशा रज़ि० कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "जिसने कोई ऐसा काम किया जो दीन में नहीं है वह काम अल्लाह के यहां मर्दूद है।"[3] इसे बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 72 : बिदअती की तौबा स्वीकार्य नहीं, जब तक बिदअत न छोड़े।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم: اِنَّ اللّٰهَ حَجَبَ التَّوبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتّٰى يَدَعَ بِدْعَتَهُ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ (٣) (حَسَنٌ)

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने

---

1. पृष्ठ 17।
2. किताबुल अज़ाही।
3. लुअ्लूअू वल मरजान, तीसरा भाग, हदीस 1120।

फ़रमाया : "अल्लाह तआला बिदअती की तौबा क़ुबूल नहीं करता, जब तक वह बिदअत छोड़ न दे।"[1] इसे तबरानी ने रिवायत किया है।

मसला 73 : बिदअत से हर क़ीमत पर बचने का हुक्म है।

عَنِ الْعِرْبَاضِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِيَّاكُمْ وَالْبِدَعَ ـ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي كِتَابِ السُّنَّةِ .(١)

हज़रत इरबाज़ रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "लोगो! बिदअत से बचो।"[2] इसे इब्ने अबू आसिम ने किताबुल सुन्नह में रिवायत किया है।

मसला 74 : क़ियामत के दिन बिदअती हौज़े कौसर के पानी से महरूम रहेंगे।

मसला 75 : क़ियामत के दिन रसूले अकरम सल्ल० बिदअतियों से सख़्त बेज़ारी स्पष्ट फ़रमाएंगे।

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَأَقُولُ إِنَّهُمْ مِنِّي فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢)

हज़रत सहल बिन साअद रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा जो वहां आएगा पानी पिएगा और जिसने एक बार पी लिया उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जिन्हें मैं पहचानूंगा (और समझूंगा कि यह मेरे उम्मती हैं) और वे भी मुझे पहचानेंगे कि मैं उनका रसूल हूं फिर उन्हें मुझ तक आने से रोक दिया जाएगा। मैं कहूंगा ये तो मेरे उम्मती हैं, लेकिन मुझे बताया जाएगा "ऐ मुहम्मद सल्ल०! आप नहीं जानते आपके बाद इन लोगों ने कैसी कैसी बिदअतें प्रचलित कीं।" फिर मैं कहूंगा "दूरी हो, दूरी हो ऐसे लोगों के लिए

1. सहीह तर्ग़ीब वत्तर्हीब लिल अलबानी प्रथम भाग, हदीस 52।
2. किताबुस्सुन्नह लिलहानी प्रथम भाग, हदीस 34।

जिन्होंने मेरे बाद दीन बदल डाला।"[1] इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 76 : बिदअत जारी करने वाले पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की और सारे इंसानों की लानत है।

عَنْ عَاصِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ أَحَرَّمَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢)

हज़रत आसिम रज़ि० कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस रज़ि० से पूछा "क्या रसूलुल्लाह सल्ल० ने मदीना को हरम क़रार दिया है?" उन्होंने कहा "हां! फ़लां जगह से लेकर फ़लां जगह तक कोई पेड़ न काटा जाए। और नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया : जो व्यक्ति यहां कोई बिदअत प्रचलित करे उस पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की और सारे इंसानों की लानत है।"[2] इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 77 : बिदअत प्रचलित करने वाले पर अपने गुनाह के अलावा उन तमाम लोगों के गुनाहों का बोझ भी होगा, जो उस बिदअत पर अमल करेंगे।

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً فَعُمِلَ بِهَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْزَارُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهَا شَيْئًا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه (١) (صَحِيح)

हज़रत कसीर बिन अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन औफ़ मुज़नी बयान करते हैं कि मुझसे मेरे बाप ने (मेरे बाप से) मेरे दादा ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "जिसने मेरी सुन्नत से कोई एक सुन्नत ज़िंदा की और लोगों ने उस पर अमल किया, तो सुन्नत ज़िंदा करने वाले को भी उतना ही सवाब मिलेगा, जितना उस सुन्नत पर अमल करने वाले तमाम लोगों को मिलेगा जबकि लोगों के अपने सवाब में से कोई कमी नहीं की जाएगी और

---

1. लुअ्लूअू वल मरजान, दूसरा भाग, हदीस 1476।
2. लुअ्लूअू वल मरजान, दूसरा भाग, हदीस 865।

जिसने कोई बिदअत जारी की और फिर उस पर लोगों ने अमल किया, तो बिदअत जारी करने वाले पर उन तमाम लोगों का गुनाह होगा, जो उस बिदअत पर अमल करेंगे जबकि बिदअत पर अमल करने वाले लोगों के अपने गुनाहों की सज़ा से कोई चीज़ कम नहीं होगी। (अर्थात वे भी पूरी पूरी सज़ा पाएंगे)''[1] इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)

हज़रत अबू हुरैरह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : ''जिस व्यक्ति ने लोगों को हिदायत की दावत दी उसे उस हिदायत पर अमल करने वाले तमाम लोगों के बराबर सवाब मिलेगा और हिदायत पर अमल करने वालों का अपना अज्र भी कम नहीं होगा। इसी तरह जिस व्यक्ति ने लोगों को गुमराही की तरफ़ बुलाया उस व्यक्ति पर उन तमाम लोगों का गुनाह होगा जो उस गुमराही पर अमल करेंगे जबकि गुनाह करने वालों के अपने गुनाहों में भी कोई कमी नहीं की जाएगी।''[2] इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 78 : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० बिदअती के सलाम का जवाब नहीं दिया करते थे।

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا تُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١)

हज़रत नाफ़ेअ रह० से रिवायत है कि एक आदमी हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० के पास आया और कहा : ''फ़लां आदमी ने आपको सलाम कहा है।'' हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० ने फ़रमाया : ''मैंने सुना है कि

1. सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी प्रथम भाग, हदीस 173।
2. किताबुल इल्म।

उसने बिदअत पैदा की है। अगर यह सहीह है तो उसे मेरी तरफ़ से सलाम मत पहुंचाना।"[1] इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 79 : बिदअत इख़्तियार करने वाले लोग सुन्नतों से महरूम कर दिए जाते हैं।

عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِي دِيْنِهِمْ إِلَّا نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيْدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ (٢)

हज़रत हिसान रज़ि० फ़रमाते हैं "जो लोग दीन में कोई बिदअत इख़्तियार करते हैं अल्लाह तआला उनमें से उसी क़द्र सुन्नत उठा लेता है और फिर वह सुन्नत क़ियामत तक उन लोगों में नहीं लौटाता।"[2] इसे दारमी ने रिवायत किया है।

मसला 80 : दूसरे गुनाहों की तुलना में बिदअत शैतान को ज़्यादा महबूब है।

قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى: اَلْبِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَى إِبْلِيْسَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ الْمَعْصِيَةُ يُتَابُ مِنْهَا وَالْبِدْعَةُ لَا يُتَابُ مِنْهَا - رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ. (١)

हज़रत सुफ़ियान सूरी रह० फ़रमाते हैं कि शैतान को गुनाह के मुक़ाबले में बिदअत ज़्यादा पसन्द है क्योंकि गुनाह से तौबा की जाती है जबकि बिदअत से तौबा नहीं की जाती।[3] यह रिवायत शरहुस्सुन्नह में है।

स्पष्टीकरण : बिदअत चूंकि सवाब हासिल करने की नीयत से की जाती है इसलिए बिदअती उससे तौबा करने के बारे में कभी नहीं सोचता ताकि उसका बुनियादी अक़ीदा सहीह न हो जाए।

मसला 81 : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० ने बिदअतियों को मस्जिद से निकाल दिया।

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ قَوْمًا اجْتَمَعُوْا فِيْ مَسْجِدٍ يُهَلِّلُوْنَ

---

1. मिश्कातुल मसाबीह, लिल अलबानी प्रथम भाग, हदीस 116।
2. मिश्कातुल मसाबीह, लिल अलबानी प्रथम भाग, हदीस 118।
3. प्रथम भाग, पृष्ठ 216।

وَيُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ جَهْرًا فَقَامَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا عَهِدْنَا ذَالِكَ فِيْ عَهْدِهِ ﷺ وَمَا أَرَاكُمْ إِلاَّ مُبْتَدِعِيْنَ وَمَا زَالَ يَذْكُرُ ذَالِكَ حَتَّى أَخْرَجَهُمْ مِنَ الْمَسْجِدِ ـ رَوَاهُ أَبُوْ نُعَيْمٍ • (٢)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि० को पता चला कि कुछ लोग मस्जिद में मिलकर ऊंची आवाज़ से ज़िक्र और दुरूद शरीफ़ पढ़ रहे हैं आप उनके पास आए और फ़रमाया : “हमने रसूलुल्लाह सल्ल० के ज़माने में किसी को इस तरह ज़िक्र करते या दुरूद शरीफ़ पढ़ते हुए नहीं देखा, अतः मैं तुम्हें बिदअती समझता हूं, यही शब्द दोहराते रहे यहां तक कि उन्हें मस्जिद से निकाल बाहर किया। इसे अबू नईम ने रिवायत किया है।

मसला 82 : मुहद्दिसीन किराम के निकट बिदअती की रिवायत की हुई हदीस स्वीकार्य नहीं।

عَنْ (مُحَمَّدٍ) ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٣)

हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन रह० कहते हैं कि शुरू शुरू में लोग हदीस की सनद के बारे में सवाल नहीं किया करते थे, लेकिन जब फ़ितना (बिदअतों और मन गढ़त रिवायात) का फैलना शुरू हुआ, तो लोगों ने हदीस की सनद पूछना शुरू कर दी (और यह उसूल भी बना लिया) कि देखा जाए कि अगर हदीस बयान करने वाले अहले सुन्नत हैं, तो उनकी हदीस क़ुबूल की जाएगी अगर अहले बिदअत हैं, तो उनकी हदीस क़ुबूल नहीं की जाएगी।[1] इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 83 : बिदअत फ़ितनों में पड़ने या दुखदायी यातना का शिकार होने का कारण हैं।

سُئِلَ الْإِمَامُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ! مِنْ أَيْنَ أُحْرِمُ؟ قَالَ: مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُحْرِمَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ عِنْدِ الْقَبْرِ قَالَ: لاَ تَفْعَلْ وَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ الْفِتْنَةَ ، فَقَالَ: وَأَيُّ فِتْنَةٍ فِيْ هٰذِهِ؟ إِنَّمَا هِيَ أَمْيَالٌ

---

1. मुक़दमा मुस्लिम।

أَرَيْتُهَا. قَالَ وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَرَى أَنَّكَ سَبَقْتَ فَضِيْلَةً قَصُرَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ؟ إِنِّيْ سَمِعْتُ اللهَ يَقُوْلُ: فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ — رَوَاهُ فِي الْاِعْتِصَامِ (١)

हज़रत इमाम मालिक रह० से पूछा गया कि "ऐ अबू अब्दुल्लाह! मैं एहराम कहां से बांधूं?" इमाम मालिक रह० ने फ़रमाया : "ज़ुल हुलीफ़ा से जहां से रसूलुल्लाह सल्ल० ने बांधा।" उस आदमी ने कहा "मैं मस्जिद नबवी में रोज़ा रसूल सल्ल० के क़रीब से बांधना चाहता हूं।" इमाम मालिक रह० ने फ़रमाया : "ऐसा मत करना मुझे तुम्हारे फ़ितने में फंसने का डर है।" उस आदमी ने अर्ज़ किया : "इसमें फ़ितने की कौन-सी बात है कि मैंने कुछ मील पहले (एहराम बांधने) का इरादा किया है।" इमाम मालिक रह० ने फ़रमाया : "इससे बड़ा फ़ितना किया हो सकता है कि तुम यह समझो (कि एहराम बांधने के सवाब में) नबी पर सबक़त ले गए हो जिससे कि नबी अकरम सल्ल० क़ासिर रहे। मैंने अल्लाह तआला से सुना है। जो लोग रसूलुल्लाह सल्ल० के हुक्म का विरोध करते हैं। उन्हें डरना चाहिए कि वे किसी फ़ितने या दर्दनाक अज़ाब में न फंस जाएं।"[1] यह रिवायत अल एतेसाम (इमाम शातबी की किताब) में है।

मसला 84 : दीन के मामले में अपनी मर्ज़ी और नफ़्सानी इच्छा पर चलने से पनाह मांगनी चाहिए।

عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ بَعْدِيْ بُطُوْنَكُمْ وَفُرُوْجَكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْأَهْوَاءِ — رَوَاهُ اِبْنُ أَبِيْ عَاصِمٍ فِيْ كِتَابِ السُّنَّةِ. (١) (صحيح)

हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया : "मैं अपने बाद तुम्हारे बारे में पेट और शरमगाह के मामलों और गुमराह कर देने वाली इच्छाओं से भयभीत हूं (कहीं तुम उन बातों की वजह से गुमराह न हो जाओ)।"[2] इसे इब्ने अबू आसिम ने किताबुस्सुन्नह में रिवायत

---

1. पृष्ठ 21-22।
2. किताबुस्सुन्नह लिल अलबानी पहला भाग, हदीस 13।

किया है।

मसला 85 : बिदअती का कोई नेक अमल क़ाबिले क़ुबूल नहीं।

عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَيَاضٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قَالَ: اِذَا رَأَيْتَ مُبْتَدِعًا فِيْ طَرِيْقٍ فَخُذْ فِيْ طَرِيْقٍ آخَرَ وَلَا يُرْفَعُ لِصَاحِبِ بِدْعَةٍ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَمَلٌ وَمَنْ اَعَانَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اَعَانَ عَلٰى هَدْمِ الدِّيْنِ. رَوَاهُ فِيْ خَصَائِصِ اَهْلِ السُّنَّةِ (٢)

हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रह० फ़रमाते हैं जब तुम बिदअती को आते देखो तो (वह रास्ता छोड़ कर) दूसरा रास्ता इख़्तियार करो बिदअती का कोई अमल अल्लाह के यहां स्वीकार्य नहीं होता। जिसने बिदअती की मदद की उसने मानो दीन मिटाने में मदद की।[1] यह रिवायत ख़साइस अहले सुन्नह में है।

---

1. पृष्ठ 22।

اَلْاَحَادِيْثُ الضَّعِيْفَةُ وَالْمَوْضُوْعَةُ

ज़ईफ़ और मौज़ूअ हदीसें

١- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِيْنَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ، كَيْفَ تَقْضِيْ إِذَا عُرِضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ أَقْضِيْ بِمَا فِيْ كِتَابِ اللهِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ كِتَابِ اللهِ؟ قَالَ: بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ: اَجْتَهِدُ رَأْيِيْ لَا آلُوْ، قَالَ فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَدْرَه وَقَالَ: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لِمَا يَرْضَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

1. हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ि० से रिवायत है कि जब नबी अकरम सल्ल० ने उन्हें (गवर्नर बनाकर) यमन भेजा, तो इरशाद फ़रमाया : मुआज़! तुम्हारे सामने जब मुक़दमात पेश किए जाएंगे, तो तुम उनका फ़ैसला कैसे करोगे?'' हज़रत मुआज़ रज़ि० ने अर्ज़ किया : ''अल्लाह की किताब के मुताबिक़।'' रसूलुल्लाह सल्ल० ने पूछा : ''अगर वह बात अल्लाह की किताब में न हुई?'' हज़रत मुआज़ रज़ि० ने अर्ज़ किया : ''तो फिर सुन्नते रसूल सल्ल० के मुताबिक़ फ़ैसला करूंगा। रसूलुल्लाह सल्ल० ने पूछा : ''अगर सुन्नते रसूल में भी न पाओ? फिर मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा और कोई कसर उठा नहीं रखूंगा। रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने उनके सीने पर हाथ मारा और फ़रमाया तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जिसने रसूल के ऐलची को यह सौभाग्य प्रदान किया जिससे अल्लाह के रसूल सल्ल० भी राज़ी हुए।

स्पष्टीकरण : यह हदीस ज़ईफ़ (मुंकिर) है विवरण के लिए देखो सिलसिला अहादीस ज़ईफ़ वल मौज़ूअ, भाग दो, हदीस 881।

٢ اِخْتِلَافُ اُمَّتِي رَحْمَةٌ

2. मेरी उम्मत में मतभेद रहमत का कारण है।

स्पष्टीकरण : इस हदीस की कोई बुनियाद नहीं, विवरण के लिए देखो सिलसिला अहादीस ज़ईफ़ वल मौज़ूअ, पहला भाग, हदीस 57।

٣ اِنّهَا تَكُونُ بَعْدِى رُوَاةٌ يَرْوُوْنَ عَنّى الْحَدِيْثَ فَأَعْرِضُوْا حَدِيْثَهُم عَلَى الْقُرْآنِ فَمَا وَافَقَ الْقُرْآنَ فَخُذُوْا بِهِ وَمَا لَمْ يُوَافِقِ الْقُرْآنَ فَلَا تَأْخُذُوْا بِهِ.

3. मेरे बाद लोग मुझसे हदीसें रिवायत करेंगे। उनकी बयान की हुई हदीसों को क़ुरआन से परखना जो हदीस क़ुरआन के मुताबिक़ हो वह क़ुबूल कर लेना और जो हदीस क़ुरआन के ख़िलाफ़ हो उसे मत क़ुबूल करना।

स्पष्टीकरण : यह हदीस ज़ईफ़ है विवरण के लिए देखो सिलसिला अहादीस ज़ईफ़ वल मौज़ूअ, तीसरा भाग, हदीस 1087।

٤ أَصْحَابِي كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ

4. मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं उनमें से जिनका भी अनुसरण करोगे हिदायत पाओगे।

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ (मन गढ़त) है विवरण के लिए देखो सिलसिला अहादीस ज़ईफ़ वल मौज़ूअ पहला भाग, हदीस 58।

٥ اَهْلُ بَيْتِى كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُم اِهْتَدَيْتُم

5. मेरे अहले बैअत सितारों की तरह हैं उनमें से जिसका भी अनुसरण करोगे हिदायत पाओगे।"

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ (मन गढ़त) है विवरण के लिए देखो सिलसिला अहादीस ज़ईफ़ वल मौज़ूअ पहला भाग, हदीस 62।

٦ يَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِىْ رَجُلٌ يُقَالُ لَه مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيْسَ اَضَرُّ عَلى أُمَّتِيْ مِنْ إِبْلِيْسِ وَيَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِىْ رَجُلٌ يُقَالُ لَه أَبُوْ حَنِيْفَةَ هُوَ سِرَاجُ أُمَّتِى.

6. मेरी उम्मत में एक आदमी होगा जिसका नाम मुहम्मद बिन इदरीस (अर्थात इमाम शाफ़ई) होगा जो मेरी उम्मत के लिए इबलीस से भी ज़्यादा हानिकारक होगा और मेरी उम्मत में एक आदमी होगा जिसका नाम अबू हनीफ़ा होगा, वह मेरी उम्मत का चिराग़ होगा।

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ (मन गढ़त) है विवरण के लिए देखो सिलसिला अहादीस ज़ईफ़ वल मौज़ूअ दूसरा भाग, हदीस 570।

٧ اِتَّبِعُوا الْعُلَمَاءَ فَإِنَّهُم سُرُجُ الدُّنْيَا وَمَصَابِيْحُ الْآخِرَةِ

7. उलमा का अनुसरण करो, क्योंकि वह दुनिया का चिराग़ और आख़िरत की क़ंदीलें हैं।

स्पष्टीकरण : यह हदीस मौज़ूअ (मन गढ़त) है विवरण के लिए देखो सिलसिला अहादीस ज़ईफ़ वल मौज़ूअ पहला भाग, हदीस 378।

जन्नत का बयान

संकलन

मुहम्मद इक़बाल कीलानी

प्रकाशक

अल-किताब इन्टर नेशनल

मुरादी रोड, बटला हाउस, जामिया नगर,
नई दिल्ली- 110025

जहन्नम का बयान

संकलन

मुहम्मद इक़बाल कीलानी

प्रकाशक

अल-किताब इन्टर नेशनल

मुरादी रोड, बटला हाउस, जामिया नगर,

नई दिल्ली- 110025

Sunnat Ka Anusaran